खण्ड-283, अंक-1
गुरूवार, 31 वैशाख, शक संवत् 1892
(21 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 283 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१—५
प्रश्नोत्तर	५—४०
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	४०—४१
नियम ५१ के अन्तर्गत स्थगित सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी ..	४१
सदन की समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी	४१—४२
श्री शिवदास का निलम्बन समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थना	४२—४३
उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों के विनियमन) अधिनियम, १९५८ के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	४३
श्री रामधारी शास्त्री द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४३—४६
बरेली जिले के सिरसा बीज भंडार के चौकीदार के भाई की पत्नी के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी)	४६—४८
प्रतापगढ़ जिले में डकैतियों एवं कत्ल की बढ़ती हुई घटनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य	४८—४९
बरेली जिले के सिरसा बीज भंडार के चौकीदार के भाई की पत्नी के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में वक्तव्य	४९—५४
१९७०—७१ के आय-व्ययक में अनदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११—आयुक्त और, जिला प्रशासन, अनुदान संख्या १५ पुलिस, अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशने तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (जारी)	५५—९८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)	९८
कुक्कुट आहार केन्द्र, हापुड़ में अष्टाचार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	९९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	९९—१००
नत्थियां	१०१—१०४

133939

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २१ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३५५

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आशा राम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्र मणी, श्री
इन्द्र लाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमा शंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० माइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला पति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशो राम, श्री (जिला बदायूं)
केशो राम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेश दत्त वाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासी राम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्र पाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी , श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेज पाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर,
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री
(जिला मुजफ्फर नगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री

बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसा राम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोती लाल यादव, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पाण्डेय, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवा नन्द नौटियाल, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्यान किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर

सुखबीर, श्री
सदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २१ मई, १९७०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कोषाधिकारी—लेखाधिकारी की वैभागिक परीक्षा

****१—श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह सत्य है कि कोषाधिकारी/लेखाधिकारी की वैभागिक परीक्षा में सचिवालय के वित्त शाखा के अवर/प्रवर वर्ग सहायकों के साथ सचिवालय के अन्य शाखा के अवर/प्रवर वर्ग सहायक जिनकी योग्यता उन्हीं के समकक्ष है और जिनकी भरती का श्रोत भी एक ही है, बैठने के पात्र नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि मई, १९७० में होने वाले कोषाधिकारी/लेखाधिकारी की वैभागिक परीक्षा में सचिवालय के अन्य सहायकों को भी बैठने की अनुमति दे दी जाये ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी हां। क्योंकि निर्धारित नियमों में इसका प्राविधान नहीं है। प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वर्तमान नियमों में अभी तक ऐसा प्राविधान नहीं है।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह निर्धारित नियम उस समय का बना हुआ है जब सचिवालय में पी० डब्लू० डी०, वित्त विभाग और जनरल सेक्रेटेरियट अलग-अलग थे और १९५७ के बाद इन तीनों विभागों का मर्जर हो गया। इनमें अपर और लोअर डिवीजन एक ही इम्तहान पास करके आते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन्स भी एक ही होती हैं। तो क्या मंत्रीजी नियमों में संशोधन करके अन्य शाखाओं के अपर और लोअर डिवीजन असिस्टैन्ट्स को इम्तहान में बैठने की अनुमति देंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य की सूचना सही है। अब वित्त सचिव शाखा का विलियन सामान्य सचिवालय में हो गया है लेकिन जो संशोधन का सवाल है यह विधायिका विभाग,

पब्लिक सर्विस कमीशन और एप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट के परामर्श से ही होता है । नियमावली में संशोधन करने का कार्य जारी है और मुझे आशा है कि उसका शीघ्र ही संशोधन हो जायेगा और जो नई संशोधित नियमावली है उसमें सभी वर्गों के सहायकों के लिये जो निर्धारित योग्यता रखते हैं इस प्रकार का प्राविधान हो सकेगा ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि यह नई नियमावली जो संशोधित हो रही है यह कब तक संशोधित हो कर आ जायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसकी तिथि अगर सरकार का ही प्रश्न होता तो कहा जा सकता था लेकिन यह पब्लिक सर्विस कमीशन का दायित्व है कि वह सर्विस रूल्स को देखे और वहां अधिक समय लग जाता है । फिर जैसा मैंने बताया यह कार्य एप्वाइन्टमेंट डिपार्टमन्ट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट, और पब्लिक सर्विस कमीशन तीनों के परामर्श से होता है इसलिये निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है । लेकिन जितनी शीघ्रता हो सकेगी उतनी शीघ्रता की जायेगी ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जबतक कि नियमावली में संशोधन हो, सचिवालय के अन्य शाखा के सहायकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दें । क्या यह सम्भव है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सम्भव नहीं है । जो नियम बने हैं उनका उल्लंघन करना हमारे लिये सम्भव नहीं है ।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मंत्री जी कृपया बतायें क्या यह सम्भव है कि जब तक नियमावली बन कर न आ जाय तब तक के लिये परीक्षायें स्थगित कर दें जिससे इन क्लर्कों का हक न मारा जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, परीक्षायें शुरू हो चुकी हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अभी मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन और फाइनेन्स डिपार्टमेंट की वजह से देरी होती है । तो क्या सरकार की तरफ से नियमावली का अन्तिम रूप दिया जा चुका है या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, अन्तिम रूप तो तब दिया जा सकता है जब पब्लिक सर्विस कमीशन स्वीकार कर ले ।

कारागार महानिरीक्षक कार्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों के संबंध में जांच

**२--श्री मोहनलाल कपूर, श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ स्थित कार्यालय के इस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जो सिविल सप्लाईज विभाग में पहले कार्य करता था और जिनकी घूसखोरी के आरोप में सेवायें समाप्त कर दी गई थीं ?

कारागार मंत्री (श्री बिशन लाल)--

जी नहीं ।

श्री मोहनलाल कपूर--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह व्यक्ति सिविल सप्लाईज डिपार्ट में से आया था और वह फिट फार रीइम्प्लायमेंट में नहीं आता था फिर भी उसको रखा गया। मुख्य मंत्री जी को उसकी शिकायत मिली थी क्या इसकी भी सूचना माननीय मंत्री जी को है ?

श्री बिशन लाल--

जी हां, इस प्रकार की शिकायत मिली थी। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से १३ आदमियों की लिस्ट आई थी। यह पता नहीं चल रहा है कि उस व्यक्ति क खिलाफ कोई शिकायत थी।

श्री राम सिंह--

जो लिस्ट आई थी उसमें उस व्यक्ति का भी नाम था अथवा नहीं ?

श्री बिशन लाल--

जो १३ आदमियों की लिस्ट आई थी उसमें उस व्यक्ति का भी नाम था।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी उस शिकायत की प्रति जो उस व्यक्ति के खिलाफ थी सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बिशन लाल--

जो शिकायत है वह हमारे जेल विभाग के आई० जी० के पास तथा जेल डिपार्टमेन्ट में भी आई थी कि एक व्यक्ति इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया गया है जिसके खिलाफ घूसखोरी की शिकायत थी और वह उसी कारण से निकाल दिया गया था। उसकी जांच की गई परन्तु कोई चीज नहीं मिली ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या वह यही व्यक्ति था जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी और जो जेल विभाग में रखा गया ?

श्री बिशन लाल--

वह व्यक्ति जी० के० अस्थाना है जो इस वक्त जेल विभाग में काम कर रहा है।

नित्यानन्द स्वामी---

शिकायत को सब्सटेन्शियेट करने के लिये क्या किया गया ? क्या इन्डीपेन्डेन्टली कोई शिकायत नहीं की गई ?

श्री बिशन लाल—

जिन व्यक्ति ने शिकायत की थी उनसे कहा गया था कि इस शिकायत का आप सबूत दें लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेन्ट से पूछा गया परन्तु वहां पर कोई रिकार्ड नहीं मिला। यह व्यक्ति यहां पर सन् १९५३ से है जेल डिपार्टमेंट में। पिछला रेकार्ड नहीं मिल रहा है। उसकी मैं जांच करवा रहा हूं।

श्री राम सिंह---

जो जांच आप करवा रहे हैं वह किस अधिकारी के द्वारा करवा रहे हैं। किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवायें और जब तक उसकी जांच पूरी न हो जाय अपने निर्णय को आप पेंडिंग रखें और उस व्यक्ति को आप नियुक्ति में न रखे।

श्री बिशन लाल—

जांच तो डिपार्टमेंट के जरिये से ही करवा रहे हैं। यदि आप चाहें तो हम जांच दूसरे व्यक्ति से भी करवा सकते हैं आप उसको बता दें।

श्री मोहनलाल कपूर---

जो सूची १३ आदमियों की आई थी क्या उनके कैरेक्टर रोल्स और सर्विस बुक्स आदि जेल विभाग में आ चुकी हैं। अगर आ चुकी हैं तो उस व्यक्ति की भी आई होगी ?

श्री बिशन लाल---

सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में कैरेक्टर रोल नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही कागज मिल जायेंगे उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर मंत्री जी की तरफ से यह उत्तर आ जाय कि कागज नहीं मिल रहे हैं, जो रिश्वत की शिकायतें हैं उनका रेकर्ड नहीं मिल रहा है, तो इतना आश्वासन तो दिलवा ही दें कि जांच के लिये किसी उच्च अधिकारी को नियुक्त कर दें।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आप जिसको कहें उसे कर दें।

कारागार महानिरीक्षक कार्यालय, लखनऊ में लेखा अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति

**३---श्री राम सिंह, श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या कारागार मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स, लखनऊ के कार्यालय में लेखा अधिकारी के राजपत्रित पद पर ४८०-७०० के वेतन मान में जिस अधिकारी की नियुक्ति अगस्त, १९६८ में एक वर्ष के लिये की गई थी उसकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से ४ मई, १९७० तक प्राप्त नहीं की गई ? क्या यह सही है कि नियुक्ति के समय उक्त अधिकारी की आयु ५५ वर्ष ५ माह से अधिक थी और लोक सेवा आयोग की स्वीकृति इस लिये नहीं मांगी जा रही है कि उक्त अधिकारी अपने पद पर ५८ वर्ष की आयु तक बने रहें ?

श्री बिशन लाल—

जेल विभाग में लेखा अधिकारी का एक अस्थायी पद वेतन मान रु० २५०-७५० में जनवरी, १९६८ में सृजित हुआ। इस पद पर नियुक्ति अस्थायी रूप से अगस्त १९६८ में हुई थी और ४ मई, १९७० तक लोक सेवा आयोग की सहमति इस नियुक्ति के लिए नहीं प्राप्त की जा सकी। यह सही है कि नियुक्ति के समय सम्बन्धित अधिकारी की आयु ५५ वर्ष ५ माह से अधिक थी, किन्तु यह सही नहीं है कि लोक सेवा आयोग की स्वीकृति इस लिए नहीं मांगी जा रही है कि उक्त अधिकारी अपने पद पर ५८ वर्ष की आयु तक बने रहें क्योंकि उक्त पद के सृजन के पूर्व ही उन्हें ५५ वर्ष की आयु के बाद सेवा में कार्य करते रहने की अनुमति कारागार महा निरीक्षक द्वारा दी जा चुकी थी।

श्री राम सिंह—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता क्या है और इन सज्जन की अपनी योग्यता क्या है ?

श्री बिशन लाल—

दिक्कत तो यही है कि इस पद के लिये अलग-अलग विभागों में अलग-अलग योग्यता है। कुछ ठीक पता नहीं चला और दूसरे विभागों को लिखा भी गया लेकिन वहां से कुछ जवाब नहीं आया। जहां तक इस व्यक्ति का सवाल है, करीब ३८ साल की इनकी सेवाएं हैं, १४ साल से इसी विभाग में काम कर रहे हैं और पहले जिला परिषद् में काम किया था २४ वर्ष के करीब।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी कृपया बताएंगे कि ५८ वर्ष इनके पूरे होने में कितना समय बच गया है ?

श्री बिशन लाल—

अब बस रिटायर होने ही वाले हैं। कुछ महीनों का समय ही बाकी है।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यही कारण है कि आयोग से स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी कि ५८ साल पूरे करने हैं ?

श्री बिशन लाल—

ऐसी बात तो नहीं है। विभाग की तरफ से कुछ ढिलाई जरूर रही यह मैं मानूंगा। विभाग की तरफ से जिस अधिकारी की ढिलाई रही उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या ऐसी नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग की स्वीकृति आवश्यक है। यदि हां तो यह अनियमितता क्यों की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जवाब तो दे दिया कि अनियमितता हुई उस पर ऐक्शन ले रहे हैं।

श्री राम सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नियुक्ति के तुरन्त बाद लोक सेवा आयोग का एप्रूवल बहुत आवश्यक था—अब उनके रिटायरमेन्ट का समय बहुत नजदीक है—तो उसी वक्त वह एप्रूवल क्यों नहीं लिया गया, उसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री बिशन लाल—

उसका कारण तो कोई खास नहीं है सिर्फ विभाग की ढिलाई रही और जिनकी ढिलाई थी उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी कृपा कर बताएंगे कि पूरे विभाग की ढिलाई थी या कोई सम्बन्धित अधिकारी है जिसने यह ढिलाई की और वह कौन सा अधिकारी है ?

श्री बिशन लाल—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, उत्तर आया है कि विभाग की ढिलाई है, कागजात नहीं मिल रहे हैं, तो इतना आश्वासन तो दिला ही दें कि इस सारे मामले के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी जांच कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने कह दिया कि जांच कराएंगे ।

चीनी मिलों को छूट

**४—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार ने सभी चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद पर दी जाने वाली धनराशि में १५ मई, १९७० के बाद से कुल ५१ पैसा प्रति क्विंटल छूट देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण मिलों को छूट की कुल रकम कितनी होगी ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

जी हां । १५ मई, १९७० से क्रय कर में पूरी छूट दी गई है । छूट की कुल रकम १५ मई, १९७० के बाद पेरे गये गन्ने की मात्रा पर निर्भर है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताऐंगे कि इन चीनी मिलों को सामुहिक रूप से पूरी छूट देने का क्या कारण है ?

श्री राममंगल पांडेय—

यह बात सब को मालूम है कि मई और अप्रैल से लेकर के गन्ने का वेट गर्मी में कुछ कम होना शुरू हो जाता है और उसकी रिकवरी परसेन्टेज भी कम होता है । ऐसी सूरत में फैक्टरी वालों के सामने बड़ी दिक्कत है । इस वक्त ७ ६ तक वह पहुंच गई है । हर एक प्वाइन्ट पर उनको नुकसान उठाना पड़ता है । वह फैक्टरी बन्द न कर दें इस वजह से काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए यह ५१ पैसे की छूट दी गई है ताकि काश्तकारों का सारा गन्ना पेरा जा सके ।

श्रीराम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि मई के महीने में मिल मालिकों को छूट इसलिये दी जाती है कि गन्ने का वेट कम होता है, जब वेट कम होता है तो यह पैसा किसानों को दिलाने की सरकार कृपा करेंगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

इस पैसे को किसानों को देने या दिलाने का सवाल नहीं है। यह इसलिये कर रहे हैं कि रिकवरी १०.२ से ७.६ तक पहुंच गई है और फैक्टरी वाले किसी तरह से फैक्टरी चलाने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये हम उनको इन्सेन्टिव के रूप में यह दे रहे हैं ताकि किसानों का गन्ना अधिक से अधिक पेरा जा सके।

श्री राम धारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

यह गन्ना जो मिलों को एलाट होता है वह सरकार के द्वारा एलाट होता है दूसरे मिल में वह नहीं ले जा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों का जो नुकसान हो रहा है गन्ना सूखने के कारण तो उन किसानों को भी राहत देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राजमंगल पाण्डे—

गन्ना बांड हुआ था उससे डेढ़ गुना आज भी ऐसा है जो बांड नहीं हुआ है। किसान उसको पैनाल्टी के साथ देने को तैयार है। गन्ना खेतों में इतना हुआ कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इन फैक्टरियों ने रिजर्व्ड एरिया के बाहर का गन्ना पेरा है और इनका खड़ा रह गया इसलिये ये किसान तबाह हो गये ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नही आई है। अगर माननीय सदस्य बतायेंगे तो इसकी जांच की जायगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह छूट देते समय चीनी मिल मालिकों से सरकार ने यह आश्वासन ले लिया है कि जो किसानों का गन्ना खड़ा है उसकी वह अवश्य पिराई करेंगे क्योंकि यह सरकार छूट इसीलये दे रही है और यदि वह अपने एरिया का गन्ना नहीं पेरेंगे तो सरकार इस छूट वापस ले लेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह छूट उनको इसलिये ही दी गई है ताकि किसानों का सारा गन्ना जहां तक हो सके पेर सकें और फैक्टरी चलती रहें और अगर गन्ना नहीं पेरा जायगा तो सरकार जरुर सोचेंगी।

श्री राम कुमार शास्त्री—

क्या सरकार को इतमिनान है कि इतनी छूट देने के बावजूद किसानों का जो गन्ना खड़ा है वह निश्चित अवधि तक पेरा जा सकेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५१ पैसा प्रति क्विंटल की छूट दी गई है तो क्या किसानों के गन्ने का रेट १५ जुलाई तक रिकवरी के आधार पर और कम तो नहीं किया जायगा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मेरे मित्र ने शायद इस को समझने की कोशिश नहीं की मैंने कहा कि चूंकि गन्ना सूख रहा है गर्मी की वजह से और उस की रिकवरी का प्रतिशत कम हो रहा है इसलिये हम ने रिकवरी को प्राइस से लिन्क नहीं किया है बल्कि हम इनसे न्टिव देने के लिये एक छूट दी है ताकि किसानों का गन्ना पिर सके । ज्यों-ज्यों गर्मी होगी रिकवरी तो कम होगी ही ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ५१ पैसा प्रति क्विंटल की छूट की मांग मिल मालिकों ने कब की थी और आप ने उस की कब इजाजत दी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मालिकों की तरफ से कोई छूट मांगने का सवाल नहीं था सवाल यह था कि वे फैक्टरीज को और अधिक चलाना नहीं चाहते थे क्योंकि उसमें उन को नुकसान होता था । हम ने उन की समस्याओं और किसानों की गन्ने की समस्याओं का समाधान करने के लिये मजबूर होकर यह रास्ता अख्तियार किया है ।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—

मंत्री जी ने गलत बयानी की है, मैं इस संबंध में विशेषाधिकार का नोटिस देना चाहता हूं ।

श्री अजब सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो किसानों का गन्ना बांड हुआ है उसके अलावा जो फालतू गन्ना पड़ा है क्या उसका भी बान्ड कराया जायगा और वह गन्ना भी मिलों को जायगा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

सरकार को इस बात का अहसास है कि जितना गन्ना बान्ड किया गया था उसके अलावा भी गन्ना अभी खेतों में है । ऐसी परिस्थिति थी कि कुछ काश्तकार साढ़े ३ रुपए पर गन्ना लेते थे और क्शर वालों से लेकर २ रुपया बढ़ाकर ७ . ३७ पर देते थे और ब्लेक करते थे । हमने कहा कि १५ मई तक बान्ड हो चुके हैं आगे वह नहीं भरे जायेंगे, हमने माननीय मित्र की दरख्वास्त पर आदेश दे दिया हैं और सम्भव है कि बान्ड भर कर बचे हुये गन्ने को भी लिया जाय ।

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, कल भी माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया था कि मसौधा चीनी मिल बन्द हो गई है और किसानों का कई लाख मन गन्ना छोड़ दिया गया है तो क्या मंत्री जी अपने आश्वासन की रोशनी में वहां के लिये कोई कार्यवाहीं करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, मेरी जानकारी में अभी तक इस किस्म की कोई चीज नहीं आई है । अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो मैं जानकारी करूंगा और कोशिश करूंगा कि वह गन्ना फैक्ट्री में जा सके ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, कल गिरिजाशंकर तिवारी जी ने एक नोटिस भेजी थी । नियम के अनुसार दो कापी नोटिस की भेजी जाती है जिसकी एक प्रति सरकार के पास जाती है । उस नोटिस में लिखा था कि मसौधा चीनी मिल बन्द कर दी गई है और बाराबंकी और फैजाबाद जिलें में किसानों का गन्ना पड़ा हुआ है और फसल सूख रही है और मंत्री जी कह रहे है कि उनको जानकारी नहीं है । तो श्रीमन्, मंत्री जी उस संबंध में बयान दे और अगर बयान नहीं देते हैं तो उनसे स्पष्टीकरण करावें ।

श्री अध्यक्ष—

जब मेरे पास नोटिस की सूचना आ जाती है तो एक कापी मैं मंत्री जी के पास भेज देता हूं । मैं उसकी जांच करालूंगा कि उनके पास कापी भेजी गई है अथवा नहीं । यह कल की बात है अगर उनके पास सूचना न हो तो सूचना पहुंच जायगी ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि मसौधा चीनी मिल बन्द है या नहीं इसकी जानकारी उनको नहीं है । श्रीमन्, चीनी मिल जो हैं वह सरकार के नियन्त्रण में है और वह बन्द हो गई है और किसानों का गन्ना पेरा नहीं गया है और मंत्री जी कहते हैं कि उनकी जानकारी नहीं है यह गलतबयानी है ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा कि जानकारी नहीं है इससे गलतबयानी की बात नहीं आती ।

श्री कृष्णानन्द राय—

जो चीज सरकार के नियन्त्रण में है उसकी जानकारी उनको नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने पूछा कि उनको जानकारी इस बात की है या नहीं और उन्होंने जवाब दिया कि जानकारी नहीं है । तो इसमें गलतबयानी नहीं आती ।

श्री राजमंगल पांडेय—

कल जो नोटिस दी गई वह मुझे नहीं मिली । श्रीमन्, इसलिए मैंने कहा कि मुझे जानकारी इसकी नहीं है । दूसरे यह कहा गया कि सरकार के नियंन्त्रण में है इसके बारे में पता लगाकर बताऊंगा मेरा ख्याल है कि वह सहकारी क्षेत्र में है सरकार के नियन्त्रण में नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री राम गोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क०के० बोस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला

*२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अभी हाल में उच्च न्यायालय, लखनऊ ने श्री के० के० बोस बनाम श्रीमती सावित्री अग्रवाल के एक बार के लाइसेन्स एफ० एल० ६ से सम्बन्धित

मामले में कोई फैसला लिया है तथा यह भी बतायेगी कि फैसले के विरुद्ध श्रीमती सावित्री अग्रवाल लखनऊ को एक बार का एफ० एल० ६ लाइसेन्स दिया गया है ? क्या यह लाइसेन्स नियमानुसार है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने श्री के० के० बोस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में १४-४-१९७० को फैसला किया है तथा इस फैसले में श्रीमती, सावित्री अग्रवाल के हित में बार लाइसेंस एफ० एल० ६ तय करने के आदेश को रद्द कर दिया है। फैसले के विरुद्ध श्रीमती अग्रवाल द्वारा उच्च न्यायालय में एक स्पेशल अपील डिवीजन बेंच के सम्मुख दायर की गयी है तथा निर्णय के विरुद्ध रोधनादेश प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार वह मामला न्यायाधीन है तथा निर्णय होने के पहले कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

मुरादाबाद कोतवाली में इनफैंट मिल्क पाउडर फूड फैक्टरी, दलपतपुर के ठेलों से दुर्घटना की रिपोर्ट

*३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ अप्रैल, १९७० को दो बजकर ४५ मिनट (दिन के) पर कोतवाली मुरादाबाद में जो रिपोर्ट इनफैन्ट मिल्क पाउडर फूड फैक्टरी, दलपतपुर की दो ठेले टकराने से चार व्यक्तियों के मरने और ७ के गम्भीर चोटें आने की जो रिपोर्ट दर्ज हुई उस पर पुलिस कोतवाली, मुरादाबाद ने क्या कार्यवाही की ?

*४—क्या यह सही है कि उपर्युक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना श्री महेश्वरी बी० जी० ओ०, फरीदपुर, जिला बरेली द्वारा टेलीफोन से थाना कोतवाली और थाना मुगलपुरा को दी गई परन्तु यह कहकर टाल दिया कि आज पहली अप्रैल है ?

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, प्रश्न की गम्भीरता को देखें ? ४ आदमी मरे हैं और ७ आदमी जख्मी हुए हैं और दो बजकर पैंतालीस मिनट पर रिपोर्ट लाज हुई है। इसको १५ दिन हो गये और आज यह जवाब मिलता है कि वांछित सूचना नहीं है। श्रीमन्, तो कल तो यह सूचना दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

तारांकित प्रश्न के संदर्भ में एक बार ऐसा जवाब दिया जा सकता है और उसके बाद जब आयेगा तो वह ऐसा जवाब नहीं दे सकते।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इसमें पुलिस की नेगलीजेन्स और केयरलेसनेस है पांच मील के दूर पर एक ऐक्सीडेन्ट हो और जिसमे चार आदमी मर जांय और ७ आदमी जख्मी हो जायं उसमें न डाक्टर पहुंचे और न पुलिस पहुंचे जबकि २.४५ पर रिपोर्ट भी लाज कर दी गई। तो श्रीमन् इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप आदेश दें कि वायरलेस से सूचना मंगाकर कल जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष—

वह जवाब देंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह रिपोर्ट पहली अप्रैल, १९७० की है और कई दिन हुए उत्तर के लिये सरकार को भेजी गयी थी। इसमें एफ० आई० आर० लौंज हो गयी थी। टाइम भी दिया जा रहा है। यहां पर सरकार उत्तर दे रही है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। अभी यहां पर एक उत्तर यह दिया गया कि उन्हें नहीं मालूम कि कितनी-कितनी मिलें उनके यहां हैं। कल यह भी कह देंगे कि हमें यह भी मालूम नहीं है कि कितने-कितने महकमें हमारे अधीन हैं। तो कम से कम आप ऐसी व्यवस्था तो कर दें जिससे ये सही उत्तर दे दिया करें ?

श्री अध्यक्ष—

ये जो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में ये कहते हैं कि हमको मालूम नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

राज्य विद्युत् परिषद् में पत्र-व्यवहार की भाषा

*१—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ अप्रैल, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय कुल कितने पत्र, परिपत्र, शासनादेश, विज्ञप्ति आदि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को जारी किये गये तथा उनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी ?

विद्युत् मंत्री (श्री राम लखन)—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने १-३-१९६९ से ३०-९-१९६९ तक की अवधि में राज्य तथा केन्द्र सरकारों को कुल २,४८१ पत्र भेजे, जिसमें से १,५९३ की भाषा अंग्रेजी थी।

[२१ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री इन्द्रलाल—

[४ मई, १९७० को प्र० सं० २५ के अन्तर्गत उत्तरित]

तराई भावर सब-डिवीजन में जुडीशियल आफिसर नियुक्त करने की मांग

*२—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक २५ अगस्त, १९६९ ई० को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि तराई भावर से जिस वक्त भाटिया जुडीशियल आफिसर का पद रिक्त किया था उस वक्त कुल वादों की संख्या क्या थी और अब इस वक्त वादों की संख्या क्या है ?

श्री चरण सिंह—

जुडिशियल आफिसर का पद ६ अगस्त, १९६८ से रिक्त हुआ। उस समय फौजदारी के मुकदमों की संख्या ३८९ थी और अप्रैल, १९७० के अन्त में इन वादों की संख्या ५७९ थी।

श्री इन्द्र लाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को विदित है कि दिनांक ११ मई, १९७० के प्रश्न संख्या ११ के सन्दर्भ पर ३१ दिसम्बर, १९६९ ई० तक वादों की संख्या भाभर सब डिवीजन में ५२५ और तराई सब डिवीजन में ६७३ बतायी गयी थी। इसके मायने यह हैं कि १९६९ के अन्त तक ११९८ केसेज थे। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन केसेज की बढ़ोत्तरी को देखते हुये, जैसा कि सदन में यह बताया गया कि केसेज की कमी की वजह से जुडीशियल आफिसर्स को उठा लिया गया था, तो इस क्षेत्र में केसेज की बढ़ोत्तरी को देखते हुए जुडीशियल आफिसर को वहां पर नियुक्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

मेरे मित्र की शिकायत सही है कि जुडीशियल आफिसर्स के हट जाने के बाद जो क्रिमिनल केसेज भी थे वे भी मुन्सिफ को सुपुर्द कर दिये गये। सिविल के पहले से थे। उनके यहां पर १ हजार केसेज हो गये लेकिन ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट कोई वहां पर कोई जुडीशियल अफसर या दूसरा मुन्सिफ नियुक्त नहीं कर पाये। हाई कोर्ट की भी डिफिकल्टी सही है। अफसरों की कमी है। हमारी चीफ जस्टिस से बात हुयी थी और हम अधिक संख्या में अफसरों की नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं।

श्री इन्द्र लाल—

श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र की जनता को न्याय पाने के लिये ६०–६० मील चल कर नैनीताल में न्याय पाने के लिये जाना पड़ता है तो क्या इस कठिनाई को देखते हुए सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस पर निर्णय करने का कष्ट करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

हम उनको लिखेंगे। हाई कोर्ट को चाहिये कि चूंकि वहां पर लोगों को कठिनाई है इसलिये एक आदमी को वह जल्द से जल्द भेज दें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, पूरे प्रदेश में जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपेरेशन हुआ है लेकिन पहाड़ में यह नहीं हुआ है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में भी मुन्सिफ और जुडीशियल आफिसर को अलग-अलग कर दें ?

श्री चरण सिंह—

अगर मेरे मित्र का मतलब यह है कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपेरेशन नहीं हुआ है तो यह गलत है। १९६७, अक्टूबर २ में जुडिशियल अफसर जिलाधीश और सरकार के अधीन थे। अब हम सब को हाई कोर्ट के अधीन कर दिया है और वे उनके अधीन हैं।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मेरा मतलब यह है कि मैदानी इलाके में जुडीशियरी का सेपेरेशन हो गया है लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में एस० डी० ओ० जुडीशियरी का काम कर रहे हैं। वे हाई कोर्ट के अधीन नहीं हैं। तो क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो मैदानी इलाके की तरह से जुडिशियरी को सेपेरेट किया गया है वह पर्वतीय क्षेत्र में भी लागू करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो उसकी इत्तला सही होगी लेकिन अगर वे कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट के मातहत कर दिया जाय तो इसमें दो राय

हो जायेंगी। वकीलों, लिटिगैन्ट्स और माननीय सदस्यों की राय यह है कि यह नहीं करना चाहिए। इसलिये उनको बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिये इस सिलसिले में।

*३—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[४ मई, १९७० के प्र० सं० २६ के अन्तर्गत उत्तरित]

*४—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[१२ मई, १९७० के प्र० सं० १३ के अन्तगत उत्तरित]

*५—श्री रियासत हुसैन—

[११ मई, १९७० के प्र० सं० ५ क अन्तर्गत उत्तरित]

*६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[११ मई, १९७० के प्र० सं० ६ के अन्तर्गत उत्तरित]

देहरादून में तांगा चालकों की हड़ताल

*७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि देहरादून के सैकड़ों तांगा चालक पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन, हड़ताल एवं सभायें कर रहे हैं तथा एक प्रतिवेदन भी जून, १९६९ में सरकार को उन्होंने भेजा था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दिनांक २३-६-६९ को कुछ तांगा चालकों और यात्रियों के बीच रोडवेज बस स्टैण्ड देहरादून पर हुई मारपीट की घटना को लेकर दिनांक २७-६-६९ को तांगा चालको की एक सांकेतिक हड़ताल हुई थी जो उसी दिन दोपहर तक समाप्त हो गई थी। इसके अतिरिक्त कोई और आन्दोलन, हड़ताल व सभायें तांगा चालकों द्वारा उस समय नहीं हुई।

तांगा चालकों का कोई प्रतिवेदन प्राप्त होना प्रतीत नहीं हुआ। प्रश्नकर्त्ता महोदय का एक तार अवश्य प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई और जांच से पुलिस के विरुद्ध अत्याचार का आरोप सही नहीं पाया गया।

श्री नित्या नन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनको यात्री कहा गया है और जिनकी मार पीट तांगा चालकों से हुई थी क्या वे पुलिस के ही कर्मचारी थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जहां तक जानकारी है ये पुलिस के कर्मचारी नहीं थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह जांच करायेंगे कि जिन्होंने तांगा चालकों को मारा और फिर उन्हीं पर मुकदमा दायर किया गया क्या ये पुलिस के ही व्यक्ति थे ?

श्री चरण सिंह—

श्रीमन्, इतने से तो नहीं लेकिन अगर आप और डिटेल्ड इन्फार्मेशन देंगे तो जांच करा लेंगे।

जाखधार (गुप्तकाशी) में उद्यान भवनों के ठेकेदारों का भुगतान

*८—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६४ में जाखधार (गुप्तकाशी) जिला चमोली में उद्योग सम्बन्धी कुछ इमारतों का ठेका किन-किन ठेकेदारों ने लिया था और किन-किन को अब तक (१० अगस्त, १९६९) पूरी धनराशि का भुगतान हो चुका है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जाखधार (गुप्तकाशी), जिला चमोली के उद्यान भवनों का ठेका सर्वश्री गबर सिंह कण्डारी तथा पाती राम डोभाल को दिया गया था। श्री गबरसिंह भण्डारी को पूरी धनराशि का भुगतान हो चुका है।

*९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ठेकेदारों में से किसी ठेकेदार की कार्य पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो गई ? तो क्या जितना कार्य उस ठेकेदार ने किया था उसका भुगतान उनके वारिसों को कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्री पाती राम डोबाल की मृत्यु कार्य पूरा होने से पहले ही हो गई थी। हिसाब से रु० १,४५१.७८ श्री डोभाल के गवर्नमेन्ट के जिम्मे निकलते थे और यह रुपया अधिशासी अभियंता जिलाधीश गढ़वाल को भुगतान हेतु भेज दिया था किन्तु उक्त ठेकेदार के वारिस उसको लेने नहीं आए। वह धनराशि वे कभी भी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन उद्यान भवनों का जो ठेका दिया गया था वह कुल कितना ठेका था और श्री गबर सिंह भन्डारी को कितना भुगतान किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

महोदय, ये अलग-अलग ठेके थे। अगर आप कहें तो पढ़कर सुना सकता हूं। ठेका कई साख में था। पहला ठेका था उसमें भुगतान किया गया था। दो पार्टनर्स का काम था—श्री पातीराम डोभाल और श्री गबरसिंह भन्डारी। इनका पहला भुगतान ६,३१३.५० पैसे था और दूसरा भुगतान ४,०५१.९४ पैसे था। इस तरह से इनका अन्तिम बिल था, उसका भी भुगतान हुआ है और इसमें जो रह गया था वह २,९६३ रु० ५६ पैसे का था। यह दोनों के अन्तिम बिल में था। श्री पालीराम डोबाल की मृत्यु हो चुकी थी। आधा पैसा भंडारी ने ले लिया था और पातीराम डोबाल के वारिसों ने नहीं लिया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह भुगतान कब किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इनकी डेट्स अलग-अलग तो नहीं है। मगर अन्तिम भुगतान के लिये लिखा गया है। इनका पैसा बाकी था। फरवरी, १९६९ को १,४५१.७८ पैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास इन्जीनियर ने भेज दिये थे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या इस बात की जांच की गयी कि इतनी देरी से भुगतान क्यों हुआ ?

श्री चरणसिंह—

उसके लिये तो फिर पी० डब्लू० डी० के सारे सिस्टम को ही बदलना होगा। यह तो आपको मालूम ही है कि देरी क्यों होती है।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या विभाग की तरफ से ठेकेदार के वारिसों से भी सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की गयी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जिलाधीश की तरफ से उनके वारिसों को भी लिखा गया था।

श्री शिवानन्द नोटियाल—

यह जो १,४५१ रुपये उनके वारसों को दिया जाने वाला था ठेके का बकाया था या जमानत का रुपया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह ठेके के रुपये थे।

सिकन्दराराऊ थाने में श्री वीरेन्द्रपाल सिंह के गुम होने की रिपोर्ट

*१०—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम नगला बरी, थाना सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ के निवासी श्री वीरेन्द्र पालसिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह की हत्या जनवरी, सन् ६७ में कर दी गई थी जिसकी रिपोर्ट थाना सिकन्दराराऊ में ५/६ जनवरी, १९६७ को की गई थी और उनकी लाश पुरदिलपुर, जिला अलीगढ़ के पास ९ जनवरी, १९६७ को नहर से बरामद हुई ? यदि हां, तो पुलिस ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

नगलाबरी जिला अलीगढ़ निवासी श्री राजवीर सिंह ने अपने पुत्र श्री वीरेन्द्र पाल सिंह के गुम हो जाने के बारे में थाना सिकन्दराराऊ पर दिनांक ११-१-६७ को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना निधौली जिला एटा क्षेत्र की एक नहर से दिनांक ८-१-६७ को एक लाश पाई गई थी जो थी वीरेन्द्र पाल सिंह की लाश शिनाख्त हुई। हत्या का मामला प्रतीत होने पर धारा ३०२ भा०द०वि० का मुकदमा दर्ज करके जांच की गई और जांच के पश्चात् चार अभियुक्तों का चालान किया गया जो बाद को न्यायालय से मुक्त हो गये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

किन कारणों से छोड़ा गया वे यह जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वे पूछ लेंगे।

श्री जगदीश गांधी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि मुक्त करने के कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—

कारण हमको नहीं मालूम हैं, न हमने जानने की कोशिश की है। वे अदालत से बरी हुये हैं। उस पर हम कोई कमेन्ट नहीं करना चाहते।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जजमेंट में क्या इस प्रकार का कोई इशारा है कि अभियुक्तों को झूंटे ही फंसाया गया है ? यदि हां, तो उसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

श्री चरणसिंह—

जजमेंट देखना हमारा काम नहीं है। अगर कोई कमेन्ट पुलिस के खिलाफ होगा तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया होगा नियमानुसार।

फाइनेंशियल हैन्डबुक का हिन्दी अनुवाद

*११—श्री जगदीश गांधी तथा श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फाइनेंशियल हैन्डबुक का हिन्दी अनुवाद कराने की दिशा में अब तक क्या प्रयास किया गया है और यह अनुवाद कब तक प्रकाशित हो जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

फाइनेंशियल हैन्डबुक के प्रचलित ७ खण्डों में से सभी का अनुवाद कार्य समाप्त हो गया है। इनमें कुछ नियम परिनियत (Statutory) हैं जिनका विधीक्षण (Legal Vetting) कराया जा रहा है।

जहां तक इनके प्रकाशन का संबंध है, ५ खण्ड छपने के लिए राजकीय मुद्रणालय भेज दिये गये हैं। विधीक्षण कार्य समाप्त होते ही शेष खण्ड भी छपने के लिये भेज दिये जायंगे। सरकार इन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।

श्री जगदीश गांधी—

यह पांचों खंड कब तक छप कर आ जायेंगे तथा शेष दोनों कब तक तैयार हो जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

समय तो नहीं बताया जा सकता, जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश की जा रही है।

*१२-१३—श्री मंजूर अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

केन डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड, बाराबंकी के गोदाम में खाद का गबन

*१४—श्री अनन्तराम जयसवाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६५ से १९६७ के बीच बाराबंकी सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड, बाराबंकी के खाद गोदाम से खाद के गबन का कोई मुकदमा पुलिस थाना कौतवाली बाराबंकी में कायम हुआ था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। जिला गन्ना अधिकारी, बाराबंकी की लिखित सूचना पर कि केन डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड, बाराबंकी के गोदाम में खाद तथा उर्वरकों की भारी कमी पाई गई है

दिनांक २१-७-६७ को थाना कोतवाली, बाराबंकी पर एक मुकदमा धारा ४०९ भा०द०वि० के अन्तर्गत कायम किया गया । विवेचना के सम्बन्ध में यूनियन के अकाउन्टस का स्पेशल आडिट कराया गया और इस कारण विवेचना १८-११-६९ तक स्थगित रही । आडिट रिपोर्ट विवेचना अधिकारी को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और अभियोग से सम्बन्धित कागजात आडिटरों के पास है। उन्हें विवेचना अधिकारी विवेचना हेतु प्राप्त कर रहा है।

*१५--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि खाद के गबन का उपरोक्त मामला कितने रुपये का है और इस गबन का उत्तरदायित्व किन-किन पर है तथा उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

प्रथम सूचना रिपोर्ट में ३०,८०८.५७ रु० के गबन की सूचना दी गई थी और इसके लिए स्टोर क्लर्क, सेक्रेटरी, एकाउन्टेंट तथा सीजनल क्लर्क को जिम्मेदार बताया गया था। जैसा कि प्रश्न १४ के उत्तर में कहा गया है मुकदमें की विवेचना अभी जारी है। स्टोर क्लर्क, जो निलम्बित है, का गबन की एक मद के सम्बन्ध में मफरूरी में चालान किया गया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या कारण है कि आडिट रिपोर्ट विवेचनाधिकारी तक नहीं पहुंची ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

विवेचनाधिकारी ने उसकी रिपोर्ट मांगी है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैंने पूछा था कि क्या कारण है कि उनको वह नहीं मिली और आडिटर रोके रहे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

यह गबन का केस है और गन्ना विभाग से उसका सम्बन्ध है । उसकी रिपोर्ट मांगी है, जैसे ही आ जायेगी फौरन ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी

श्रीमन् जब दो अधिकारी इसमें दोषी पाये गये एक एकाउन्टेंट तथा एक स्टोरकीपर, तो एक को तो सस्पेंड किया गया, दूसरे को क्यों नहीं किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह आडिट रिपोर्ट कब कम्पलीट हुई और क्या वह विभागाध्यक्ष के पास अब तक पहुंची है या नहीं ? अगर पहुंची है तो उनमें किन-किन लोगों को दोषी पाया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जब रिपोर्ट विवेचना अधिकारी के पास आ जायेगी तभी पता चलेगा कि कौन-कौन दोषी हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैंने पूछा था कि वह कब कम्पलीट हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जब वह कम्पलीट हो जायेगी तभी विभागाध्यक्ष के पास पहुंच जायेगी ।

(अगला प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री अनन्त राम जायसवाल—

आपने हमें प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है । (व्यवधान)

*१६-१७—श्री राम गोपाल संड—

[१२ मई, १९७० को प्र० सं० १४-१५ के अन्तर्गत उत्तरित]

*१८—श्री रियासत हुसैन—

[११ मई, १९७० को प्र० सं० ५ के अन्तर्गत उत्तरित]

गांवों में चौकीदार

*१९—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों में नये चौकीदार न रखें जाने के शासन द्वारा कोई आदेश हाल में ही दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मैजिस्ट्रेटों व आयुक्तों के बंगलों में खेती

*२०—श्री मंजूर अहमद (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि १९६६ से ३० नवम्बर, १९६९ तक जिलाधीशों और आयुक्तों के बंगलों की भूमि में किसके खर्चे से काश्त की गयी और उसकी पैदावार कहां गई ?

श्री चरण सिंह—

१९६६ से ३०-११-६९ तक जिन जिला मैजिस्ट्रेटों व आयुक्तों के बंगलों की भूमि में काश्त की गई वह उन्होंने अपने खर्चे से की और उसकी पैदावार का उपयोग भी उन्होंने स्वयं ही किया ।

*२१—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[२८ अप्रैल, १९७० को प्र० सं० ३८ के अन्तर्गत उत्तरित]

वाराणसी हवालात में पुलिस द्वारा कैदी को शराब पिलाना

*२२—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि गत १५ दिसम्बर को जब एक हवालाती कैदी ने अतिरिक्त जिलाधीश वाराणसी के अदालत में बयान दिया कि उसे कचहरी की हवालात में पुलिस वालों द्वारा जबरन शराब पिलाई गई है ताकि वह पुलिस वालों की इच्छानुसार बयान दे सके, तब सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही करने पर उक्त हवालात से शराब की बोतल बरामद हुई यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण तथ्य सदन के पटल पर रख कर अब तक की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री चरण सिंह—

१५ दिसम्बर, १९६९, को जब एक विचाराधीन बन्दी अतिरिक्त जिलाधीश (न्यायिक) वाराणसी के न्यायालय में पेश किया गया तो अतिरिक्त जिलाधीश ने उसे शराब के नशे में पाया । पूछने पर कैदी ने बताया कि हवालात में उसने एक कांस्टेबिल को १० रुपये दिये थे, उसके बदले में उसे तथा अन्य दो हवालातियों को शराब पीने को मिली । अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश पर पब्लिक प्राजीक्यूटर ने इस मामले की जांच की । जांच के दौरान हवालात के अन्दर एक खाली अद्धा बोतल मिली जिसमें शराब की कुछ बूंदें बाकी थीं । जांच से यह निष्कर्ष निकला कि हवालात में शराब पहुंचाने में एक कांस्टेबल का हाथ था । अतः उसे तथा एक हेड कांस्टेबिल को उपयुक्त सजा दी गई ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि दोषी व्यक्तियों को सजा क्या दी गयी और जब पब्लिक प्रासीक्यूटर ही सरकारी वकील है तो उनके द्वारा ही जांच क्यों करायी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दो आदमियों को इसमें सजा दी गयी है एक को १४ दिन की दलेल और दूसरे को ७ दिन की दलेल दी गयी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

पब्लिक प्रासीक्यूटर सरकारी वकील होता है और हमने स्पष्ट लिखा था कि हवालाती पर जो अभियोग लगाये गये थे उसको स्वीकार करे, इसलिए उसको हवालात में शराब पिलाई गई ? तो फिर सरकारी वकील से इसकी जांच क्यों कराई गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वह जांच करने का अधिकारी था, इसलिये उससे जांच कराई गई थी ।

श्री रामधारी शास्त्री—

इसमें साफ लिखा गया है कि उसने अदालत में बयान दिया कि उसे कचेहरी की हवालात में पुलिस वालों द्वारा जबरन शराब पिलाई गई है ताकि वह पुलिस वालों की इच्छानुसार बयान दे सके, और यह सिद्ध भी हो गया है, तो यह एक बड़ा सीरियस अपराध है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं कि जिस कानेस्टिबिल ने शराब पिलाई वह इसीलिये पिलाई, यदि हां तो उसको जो सजा दी गई क्या वह पर्याप्त थी ?

श्री चरण सिंह—

यह तो उसका बयान है, हम उसको सही मान कर नहीं चल सकते । उसको गवर्नमेंट सही नहीं मानती है। यदि यही बात है तो उसको बेशक सजा ज्यादा मिलनी चाहिये थी ।

श्री रामधारी शास्त्री—

इस प्रश्न में जो एलीगेशन हैं, क्या मुख्य मंत्री जी उसकी जांच करायंगे कि न्यायिक मामलों में बयान बदलवाने के लिए पुलिस द्वारा शराब पिलाई जाती है ?

श्री चरणसिंह—

पब्लिक प्रासीक्यूटर या इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर द्वारा बयान बदलवाने के लिए यदि शराब पिलाई गई तो बेशक सजा मिलनी चाहिये और ज्यादा मिलनी चाहिये । अब चूंकि सजा दी जा चुकी है उसे गवर्नमेंट बढ़ा सकती है या नहीं यह देखना पड़ेगा । यदि बढ़ सकती है, कम मिली है, उसे और सजा मिलनी चाहिये ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

इस मामले में एक कांस्टेबिल–हेड कांस्टेबिल को सजा मिली है, लेकिन इसके लिए हवालात का इंचार्ज भी समान रूप से जिम्मेदार है? जो दरोगा तफ्तीश करता है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी जांच कराने की कोशिश करेंगे कि इस घटना में सरकारी वकील और सम्बन्धित दरोगा भी शामिल हैं या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

मैं नहीं समझता कि इसमें सब इन्स्पेक्टर का कसूर होगा या सरकारी वकील का, जो कर्मचारी हवालात का अधिकारी है उसी की जिम्मेदारी होगी । इसलिये इसमें और जांच इस दृष्टि से कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है कि जांच के दौरान हवालात के अन्दर एक खाली अद्धा बोतल मिली जिसमें शराब की कुछ बूंदें बाकी थीं । इस मामले की पब्लिक प्रासीक्यूटर ने जांच की और वह खुद ही हवालात की निगरानी का जिम्मेदार होता है। तो वह चोर और वही जांच करेगा ? यह कैसा न्याय है ? मुख्य मंत्री जी क्या इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री चरण सिंह—

पब्लिक प्रासिक्यूटर को आप चोर मानते हैं, तो मैं उसके लिये क्या कहूं। यों तो डी० एम० इन सबके लिये जिम्मेदार होता है। तो सुपरवाइजरी अफसर उसकी जांच नहीं करेगा तो कौन करेगा ? मैं उनको गिल्टी मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पब्लिक प्रासिक्यूटर या उसका कोई मेम्बर कचेहरी के हवालात का इंचार्ज होता है, इससे इसमें साफ जाहिर होता है कि उसकी लापरवाही से मामला इस हद तक बढ़ गया है कि सिपाहियों के जरिये से शराब पहुंचाई जाती है और हवालातियों को जबरन पिलाई जाती है। तो क्या आप पब्लिक प्रासिक्यूटर और उन सिपाहियों को सख्त से सख्त सजा देने का आश्वासन देंगे ?

श्री चरण सिंह—

अब पब्लिक प्रासिक्यूटर इंचार्ज होगा यह बात ठीक है, मैंने खुद क्रिमिनल प्रेक्टिश नहीं की है । लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जो सुपरवाइजरी आफिसर है, उसे यह मान लियाजाय किनेसेसरिली गिल्टी है, तो ठीक नहीं है। इसलिए मैं जांच करवाने को तैयार नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह चाहते हैं कि इन्क्वायरी करा लें। इन्क्वायरी करा लेंगे या नहीं ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस तरह से इनकार से काम नहीं चलेगा। इसमें डेफिनिट एलीगेशन है अदालत में कि दस रुपये लेकर उसको शराब पहुंचाई है, यह इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ। क्या माननीय मुख्य मंत्री घूस का मुकदमा कायम करवा कर इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

मैं जवाब दे चुका। इसके अलावा एक बात और है। शराब के मुताल्लिक कुछ ही लोगों का बयान तो है कि शराब है, सब का तो नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अदालत में मुल्जिम का बयान है।

श्री चरण सिंह—

मैं जवाब दे चुका। मैं मजीद तहकीकात इस दृष्टि से कि पब्लिक प्रासीक्युटर गिल्टी है कराना जरूरी नहीं समझता । अपनी अपनी राय हो सकती है, कि यह इतना बड़ा मामला है या नहीं। मेरी राय में यह इतना बड़ा मामला नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह पब्लिक प्रासीक्युटर का सवाल नहीं है। सवाल यह है, उसने अदालत में यह निश्चित बयान दिया है कि दस रुपये लेकर उस तक शराब पहुंचायी गयी है। यह साफ साफ घूस का केस हो गया। यह ट्रायल का केस है। तो क्या मुकदमा कायम करवाएंगे और जांच करवाएंगे ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आप हुक्म दे रहे हैं जवाब देने के लिए । मैं रिपीट कर चुका, अपने जवाब को दे चुका कई बार।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, वह नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि वह जांच कराने को तैयार नहीं हैं । अदालत में फिर से नहीं भेजेंगे वह।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि पब्लिक प्रासिक्यूटर सुपरवाइजरी बाडी होता है। जब उनके चार्ज में था तो उनकी जिम्मेदारी थी। शराब की बोतल उसे भेजी गई। ऐसी स्थिति में क्या जांच करवायेंगे जिससे पब्लिक प्रासीक्युटर, और सिपाहियों और सब इंस्पेक्टर के जरिये से शराब भेजी गयी सही तथ्यों का पता चल जाय, कि किसकी साजिश है।

श्री अध्यक्ष—

इसका वह जवाब दे चुके। वह इनकार कर रहे हैं ।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन से कारण थे.....

श्री अध्यक्ष—

आप जो चाहें कनक्लुजन निकालें लेकिन आप बाध्य नहीं कर सकते ।

जेल की जमीन पर खेती

*२६—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या जेल मंत्री बतायेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जेलों के मातहत कितने एकड़ जमीन है और उसका क्या प्रयोग होता है ?

श्री बिशन लाल—

समस्त जेलों के पास लगभग ९१६०.८० एकड़ भूमि है जिसमें से लगभग १,६८१, एकड़ भूमि पर इमारतें व सड़कें आदि हैं, लगभग ७,२०६.८० एकड़ भूमि पर खेती होती है तथा लगभग २७३ एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर खेती नहीं की जा सकती।

श्री मंजूर अहमद—

२७३ एकड़ जो भूमि है जिस पर खेती नहीं की जा सकती, उस पर किन कारणों से खेती नहीं की जा सकती ?

श्री बिशन लाल—

अध्यक्ष जी, २७३ एकड़ भूमि पर तालाब, बागात, नाले और कुछ बंजर भूमि है। इसलिये खेती नहीं की जा सकती ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या उस बंजर भूमि को माननीय मंत्रीजी उन आदमियों को देनें के लिये तैयार हैं जो भूमिहीन भी हैं और बेरोजगार भी हैं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री जगदीश गांधी—

यह जो २७३ एकड़ जमीन है उसे ठीक करा कर क्या सरकार कैदियों को उसमें खेती के काम में लगायेगी ?

श्री बिशन लाल—

कैदी लगे रहते हैं और काम भी करते रहते हैं और इसके लिये भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जायेगा ।

खेड़ा बझेड़ा परगना में विद्युतीकरण

*२४—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी शताब्दी वर्ष में जिला शाहजहांपुर में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण होना है और उनमें तहसील तिलहर के परगना खेड़ा बझेड़ा के कौन-कौन से गांव हैं ?

श्री राम लखन—

गांधी शताब्दी वर्ष में शाहजहांपुर जनपद के ९० ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। इनमें से तहसील तिलहर के परगना खेड़ा बझेड़ा के निम्न लिखित चार ग्राम हैं :—

१. मथाना
२. गढ़िया रांगी
३. बौरों
४. खमरिया ।

बुलन्दशहर जिले में विद्युतीकरण

*२५—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या विद्युत मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गांधी शताब्दी के संबंध में बुलन्दशहर जिले की प्रत्येक तहसील में कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, उनकी सूची ग्रामवार बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राम लखन—

गांधी जन्म शताब्दी के संबंध में बुलन्दशहर जनपद की प्रत्येक तहसील में जितने ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है उनका विवरण इस प्रकार है—

तहसील	गांव
अनूपशहर	४०

नोट:— तारांकित प्रश्न २३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

बुलन्दशहर	..	..	६९
खुर्जा	..	..	२२
सिकन्दराबाद	..	..	४२

उपरोक्त ग्रामों की सूची †संलग्न है ।

*२६—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या विद्युत मंत्री यह भी बतायेंगे कि गांवों के विद्युतीकरण का चुनाव उन्होंने किस आधार पर किया है ?

गांधी शताब्दी के उपलक्ष्य में उन्हीं गांवों का विद्युतीकरण करने के लिये चुनाव किया गया है जिन पर राज्य विद्युत परिषद को आर्थिक दृष्टि से कम भार वहन करना पड़े और उपलब्ध धनराशि में अधिक से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सके । साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि उक्त गांवों से राज्य विद्युत परिषद् को यथोचित प्रतिलाभ मिल सके ।

*२७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत रानीगंज थाने में डकैतियां

*२८—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत रानीगंज थाने में फरवरी ११/१२, १९७० ई० को जरियारी एवं आमापुर बेरा ग्रामों में अनेक भीषण डकैतियां पड़ीं और लगभग ५०,००० (पचास हजार) की संपत्ति, आभूषण वस्त्र एवं नकद रुपये डकैतों ने निश्चिन्तता-पूर्वक लूटा ? यदि हां, तो २८ फरवरी, १९७० तक क्या कार्यवाही हुई ? कौन, कहां के और कितने डकैत गिरफ्तार हुए और कौन, कहां के तथा कितने फरार हैं ?

श्री चरण सिंह—

पुलिस की सूचना के अनुसार फरवरी ११/१२, १९७० को तो नहीं वरन् फरवरी ९/१०, १९७० की रात्रि में एक सशस्त्र डकैती प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत रानीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम आमापुर बेरा में पड़ी, जिसमें करीब ३,८०० रु० का माल लूटा गया तथा दूसरी डकैती फरवरी १०/११, १९७० की रात्रि में उसी थाना क्षेत्र के ग्राम जरियारी में पड़ी, जिसमें करीब २२,२०० रु० का माल लूटा गया । दोनों अपराधों में धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अलग अलग मुकदमें कायम किये गये और विवेचना आरंभ की गई । अब तक की गई विवेचना से दोनों डकैतियां मेवा उर्फ जियाउद्दीन, निवासी ग्राम सरखेलपुर थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ तथा बटुई, ग्राम राजापुर, थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़, के गिरोह द्वारा की गई प्रतीत हुई । मेवा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और बटुई व उसके साथियों की खोज जारी है ।

*२९—श्री रामदेव—

क्या मुख्य मंत्री प्रतापगढ़ जनपद में डकैतियों एवं हत्याओं की बढ़ती संख्या को रोकने के लिये अविलम्ब कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

प्रतापगढ़ जनपद में डकैतियों तथा हत्याओं की रोक थाम के लिये पी० ए० सी० एवं सशस्त्र पुलिस दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कराये जा रहे हैं ।

†सूची छापी नहीं गई ।

*३०—श्री नित्यानन्द स्वामी , श्री शेर सिंह दानू तथा श्री कल्यान सिंह—

[८ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों के शस्त्रास्त्र संग्रहालय में रखने का सुझाव

*३१—श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने वाले क्रांतिकारियों के जो अस्त्र शस्त्र आज राज्य सरकार के पास हैं उन्हें किसी राजकीय संग्रहालय में एक विशेष कक्ष में जनता के दर्शनार्थ रखने की कृपा करेगी ?

सूचना मंत्री (श्री गेंदा सिंह)—

शासन का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

अलीगढ़ जिले में नये थाने

*३२—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार अलीगढ़ में थानों और पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां ?

श्री चरण सिंह—

जिला अलीगढ़ में ४ थाने और बढ़ाए जा रहे हैं जिनमें से एक थाना सासनी गेट शहर में और ३ थाने गंगीरी, हाथरस जंक्शन और लोधा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे। चौकियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है ।

रायबरेली जिलान्तर्गत सरैनी क्षेत्र में सिंचाई साधनों की कमी

*३३—श्री गुप्तार सिंह (जिला राय बरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद राय बरेली के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र सरैनी में ग्राम रामपुर कलां व राजपुर में सिंचाई का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां ट्यूबवैल लगाने के लिये शीघ्रातिशीघ्र बिजली की लाइन भेजवाने की कृपा करेगी ?

श्री राम लखन—

राय बरेली जनपद के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र सरैनी में ग्राम रामपुर कलां में बिजली की लाइन पहुंचाने की अभी कोई योजना नहीं है ।

रायबरेली तथा बहराइच कारागार में कर्मचारियों को भुगतान न होना

*३४—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या जेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ५६ नम्बर वेतन रजिस्टर पर तारीख २२ सितम्बर, १९६६ को जिला कारागार रायबरेली में किस-किस कर्मचारी का बिल बनाया गया है और कितने को अभी तक भुगतान नहीं दिया गया है, क्यों ?

श्री बिशन लाल—

जिन कर्मचारियों का बिल बनाया गया उनके नाम की सूची संलग्न तालिका में दी हुई है। केवल एक को भुगतान नहीं किया गया है । यह पुराना क्लेम था । इसका प्री आडिट नहीं हो पाया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०१ पर)

*३५—श्री शिवप्रसाद पांडिया—

क्या जेल मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि १ जून, १९५३ से ३० जून, १९५४ तक का वेतन जिला कारागार बहराइच द्वारा किस-किस वार्डर को अभी नहीं दी गई है ? और क्यों ?

श्री बिशन लाल—

१ जून, १९५३ से ३० जून, १९५४ तक के संबंधित केवल वेतन रजिस्टर को छोड़कर प्राय: सभी रजिस्टर नष्ट कर दिये गये हैं। उक्त रजिस्टर में श्री राजा राम वार्डर का दिसम्बर १९५३ से जून १९५४ तक का वेतन भुगतान नहीं किया जाना दिखाया गया है। जांच की जा रही है कि बाद में भुगतान हुआ या नहीं ।

मुरादाबाद जिले में कत्ल तथा डकैतियां

*३६—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में जनवरी, १९६९ से जनवरी, १९७० तक कितनी डकैतियां तथा कत्ल हुए तथा अब कितने गैंग कार्यरत हैं ? क्या पुलिस कप्तान ने कोई विशेष व्यवस्था इन गैंगों को परास्त करने के लिये की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जिला मुरादाबाद में जनवरी, १९६९ से जनवरी, १९७० की अवधि में डकैतियों की ८८ तथा हत्याओं की १७४ घटनायें होने की रिपोर्टें विभिन्न थानों पर प्राप्त हुईं। इस जिले में डकैतों के छ: गैंगों के कार्यरत होने की सूचना है। इन गैंगों की गतिविधियों की रोकथाम के लिये पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पी० ए० सी० तथा ए० पी० गार्ड एवं स्थानीय पुलिस पार्टियों द्वारा रात एवं दिन में गश्त की व्यवस्था की गई है ।

हिन्दुस्तान अल्मोनियम कारपोरेशन लि०, रेन्यूकोट को बिजली सप्लाई की दरें

*३७—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान अल्मोनियम कारपोरेशन लिमिटेड, रेन्यूकट, मिर्जापुर को बिजली किस दर पर दी जा रही है और कृषकों को किस दर पर ?

श्री राम लखन—

हिन्दुस्तान अल्मोनियम कारपोरेशन लिमिटेड, रेन्यूकोट, मिर्जापुर को बिजली की सप्लाई की दरें निम्न हैं :—

(१) ५५ मेगावाट अल्मूनियम बनाने के लिये—

(क) यूनिट दर—

(१) १,१०० लाख यूनिट किसी भी तिमाही में और ४३३६.२० लाख यूनिट एक वर्ष में, १.१९९७७१७ पैसे प्रति यूनिट

(२) उपरोक्त यूनिटों से अधिक शक्ति व्यय करने पर १० पैसे प्रति यूनिट।

(ख) डिमांड चार्ज—

(१) ५५,००० कि० वा० तक — कुछ नहीं

[श्री रामलखन—]

(२) ५५,००० कि० वाट से अधिक – चालीस रुपये प्रति कि० वा० प्रति माह।

(२) ५० मेगावाट—आपत्तिकालीन तथा पैरेलल अपरेशन के लिये—

(क) डिमांड चार्ज—रु० २.५० प्रति के० वी० ए० प्रति सप्ताह ।

(ख) एनर्जी चार्ज - ६.९ पैसे प्रति यूनिट ।

(रेट शेड्यूल एच० वी०-२ के पहले खण्ड की दर पर वाजिब छूट देने के उपरान्त इसके अतिरिक्त और कोई छूट न होगी। कोल क्लाज तथा दूसरी शर्तें भी लागू हैं।

कृषकों को सिंचाई के लिए विद्युत १५ पैसे प्रति यूनिट (ए० सी० सप्लाई में) तथा १७ पैसे प्रति यूनिट (डी० सी० सप्लाई में) की दर से दी जाती है।

*३८—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[६ठे सोमवार के प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला जेल, फतेहगढ़ के डिप्टी जेलर का लूटा जाना

*३९—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि दिनांक २ मार्च, १९७० को फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद में जेलर से बदमाशों ने रास्ते में रुपया लूट लिया था और उनके अंग रक्षक के पास राइफल भी थी परन्तु कोई फायर नहीं किया ? यदि हां, तो इस घटना के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २ मार्च, १९७० को जिला जेल, फतेहगढ़ के डिप्टी जेलर की एक लिखित रिपोर्ट थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई जिसमें सूचित किया गया था कि उसी दिन तीन बजे जब वे स्टेट बैंक से कारागार के कर्मचारियों का वेतन तथा ,अन्य मद के कुछ रुपये लेकर लौट रहे थे, तो रास्ते में दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर हमला किया और उनका थैला जिसमें कुल रकम, उनके कुछ निजी कागजात और खजाने की चाबी थी, लेकर भाग गये। रिपोर्ट में यह सूचना भी थी कि रिजर्व गार्ड को जो हेड वार्डर उनके साथ था उसने उनके कई बार कहने पर भी भागते हुए अभियक्तों पर फायर नहीं किया। इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा ३९४ भां० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया, जिसमें विवेचना हो रही है। हेड वार्डर को निलम्बित कर दिया गया है।

*४०—श्री महरम सिंह—

क्या सरकार को पता है कि उक्त घटना में पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पूछ-तांछ की है ? यदि हां, तो किन-किन को और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री चरण सिंह—

इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा अभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने कुछ व्यक्तियों से पूछतांछ अवश्य की है। अनुसंधान का विवरण देना जनहित में नहीं होगा ।

*४१—श्री डी० पी० बोरा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

गोंडा जिलान्तर्गत परसपुर थाने में कत्ल व डकैतियां

*४२—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के परसपुर थाने के अन्तर्गत सन् १९६९–७० के वर्ष में कितने कत्ल व डकैतियां पड़ीं ? इन डकैतियों की जांच के लिये कौन-कौन उच्चाधिकारी मौके पर गये ? कितने मुल्जिमों का चालान हुआ और क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

श्री चरण सिंह—

थाना परसपुर, जिला गोंडा के अन्तर्गत वर्ष १९६९ में डकैती और कत्ल की एक-एक घटनाएं हुयीं थीं। वर्ष १९७० में डकैती और कत्ल की कोई घटना उक्त थाने के अन्तर्गत नहीं हुई।

१९६९ की डकैती की घटना के संबंध सर्किल अफसर घटनास्थल पर गये थे। इस घटना से संबंधित मुकदमें में १० अभियुक्तों का चालान किया गया। कत्ल के मुकदमें में चार अभियुक्तों का चालान किया गया। दोनों मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं।

* ४३–४४—श्री शेर सिंह दानू तथा श्री नरेन्द्र सिंह—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित]

एटा जिलान्तर्गत अलीगंज थाने में सुखराम सिंह की हत्या

*४५—श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २९ दिसम्बर, १९६९ को थाना अलीगंज, जिला एटा के ग्राम रामनगर मजरा विरसुलिया में सुखराम सिंह, पुत्र सुम्मेर सिंह, की गोली मार कर हत्या की गई। उसमें पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

*४६—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २९ दिसम्बर, १९६९ को उसी घटना के बाद मेवाराम को बदमाश पकड़ कर ले गये थे और उनको १५/१६ जनवरी की रात्रि को छोड़ा गया।

श्री चरण सिंह—

३० दिसम्बर, ६९ को थाना अलीगंज, जिला एटा पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक २९–१२–६९ की रात्रि में अमुक व्यक्ति मेवाराम, निवासी ग्राम रामनगर, मजरा विरसुलिया, जिला एटा को पकड़ कर ले गए और पीछा करने पर उनके पिता जी श्री सुखराम को गोली मार दी जिनकी मृत्यु हो गई।

मेवाराम १६–१–७० को किसी प्रकार छूट कर वापस आये।

२९–१२–६९ की उपरोक्त घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाने पर धारा १४८/१४९/३६४/३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और जांच प्रारम्भ की गई। जांच से वास्तविक अभियुक्तों का पता नहीं लगा, अतः अन्तिम रिपोर्ट लगा कर जांच समाप्त की गई।

प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत अन्तू थाने में अयोध्याप्रसाद तथा शिवमूर्ति के घर डकैती

*४७—श्री रामदेव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिले के अन्तू थाने के अन्तर्गत लोहानपुर ग्राम में दिनांक १ मार्च, १९७० की रात में, डाकुओं ने भीषण डकैती डाल कर दो परिवारों को लूट लिया और लगभग २० हजार रुपये की सम्पत्ति उनके हाथ लगी ? यदि हां, तो अभी तक

[श्री रामदेव---]

उसमें क्या कार्यवाही हुई, कितने, कहां के और कौन पकड़े गये ? कितने, कहां के और कौन अभी तक फरार हैं ?

श्री चरण सिंह---

अन्तू थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार मार्च १/२, १९७० की रात्रि में ग्राम लोहंगपुर, थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़ के श्री अयोध्या प्रसाद तथा उनके भतीजे श्री शिव मूर्ति के यहां एक डकैती पड़ी जिसमें करीब ४,००० रुपये के आभूषण आदि तथा अन्य घर का सामान लूटा जाना बताया गया है। इसमें धारा ३९५ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

लहरपुर थानाध्यक्ष श्री रामकुमार दुबे के विरुद्ध अवक्षेप के संबंध में जांच

*४८---श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि थाना लहरपुर, जिला सीतापुर, के इंचार्ज श्री रामकुमार दुबे के विरुद्ध मुकदमा धारा ४०९/४६७ आई० पी० सी०, थाना कमलापुर, जिला सीतापुर सेशन ट्रायल नं० २०७ व २०७-ए, सरकार बनाम सुधाकर नाथ शुक्ला के अन्तिम निर्णय में सिविल एवं सेशन जज श्री ओ० पी० श्रीवास्तव, सीतापुर की अदालत ने गम्भीर आरोप लगाते हुये स्ट्रेचर पास किया है ? यदि हां, तो उक्त स्ट्रेचर के आधार पर सम्बन्धित पुलिस दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरण सिंह---

उक्त मुकदमें के निर्णय में थानाध्यक्ष श्री रामकुमार दूबे के विरुद्ध अवक्षेप पारित किए गए थे। इन अवक्षेपों के संबंध में पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशस के अन्तर्गत जांच की जा रही है। जांच समाप्त होने पर मामले में उचित कार्यवाही की जायेगी।

*४९---श्री रामलाल राही---

क्या यह भी सत्य है कि सम्बन्धित दरोगा के विरुद्ध स्ट्रेचर होने के बावजूद उनको थाना इंचार्ज बना दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह---

जी हां। चूंकि उक्त दरोगा के विरुद्ध पारित अवक्षेपों के संबंध में अभी जांच चल रही है, अवक्षेपों के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना न्यायसंगत नहीं है।

थाना एका में कल्लू की लाश नहर में मिलना

*५०---श्री गंगा प्रसाद--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ दिसम्बर, १९६९ की रात में, जिला मैनपुरी, थाना एका ग्राम नगला सुग्रटा का कल्लू उर्फ सुजान सिंह नामक की लाश गठरी में बंधी हुई उपरोक्त गांव के नजदीक नहर में पाई गई इस घटना की रिपोर्ट थाने में ७-१२-६९ को की गई थी, उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह---

दिनांक १५-१२-६९ की रात में नहीं बल्कि १४-१२-६९ को ग्राम नगला सोंटा के पास कल्लू की लाश मिलने की सूचना प्राप्त होने पर थाना एका में एक अभियोग धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत अंकित किया गया और विवेचना तुरन्त प्रारम्भ की गई। विवेचना से समुचित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

133939

मोहम्मद जलील, थानाध्यक्ष, जहांगीरगंज के कत्ल के संबंध में जमील अहमद का प्रार्थना-पत्र

*५१—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सब-इन्सपेक्टर मोहम्मद जलील, थानेदार जहांगीरगंज, फैजाबाद के पुत्र मो० जमील ने अपने पिता के कत्ल के सबंध में मुख्य मंत्री को हाल में एक प्रार्थना-पत्र भेजा है जिसमें उसने यह शिकायत की है कि इसमें जिले के अधिकारियों का हाथ है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उन अधिकारियों का स्थानान्तरण कराके गुप्तचर विभाग के किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करायेंगे ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। श्री मो० जमील अहमद, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद जलील, भूतपूर्व थानाध्यक्ष, थाना जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद ने अपने पिता की हत्या के संबध में एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उनके पिता की हत्था में जिले के पुलिस अधिकारियों का हाथ होने की शिकायत की गई है। प्रार्थी के पिता की हत्या की घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराए जाने के आदेश शासन द्वारा भेजे जा चुके हैं। यदि जांच के दौरान किसी अधिकारी, कर्मचारी के स्थानान्तरण की आवश्यकता प्रतीत होगी तो उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के बंगले का नलकूप

*५२—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर) तथा श्री राम शिरोमणी (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में एस० पी० महोदय के बंगले पर जो पेयजल का नलकूप है वह एस० पी० महोदय के बंगले पर पानी देने के लिये स्वीकृत था या कि पुलिस लाइन में ? यदि पुलिस लाइन के लिये स्वीकृत था तो क्या पुलिस लाइन में पानी देने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री चरण सिंह—

कथित नलकूप का निर्माण पुलिस लाइन, जौनपुर के लिए स्वीकृत किया गया था और उससे पुलिस लाइन में पानी दिया जा रहा है ।

स्टेट पुलिस रेडियो आफिस, लखनऊ में आपरेटरों को वार्षिक वृद्धि न मिलना

*५३—श्री दुलारे लाल (जिला उन्नाव)--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्टेट पुलिस रेडियो आफिस, लखनऊ में कितने आपरेटरों तथा हेड आपरेटरों की वार्षिक वेतन-वृद्धि लगभग ८ माह से रोकी गई है तथा क्यों ?

श्री चरण सिंह--

किसी भी सहायक आपरेटर की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकी गयी है परन्तु २४७ हेड आपरेटरों की वार्षिक वृद्धि लगभग आठ महीने से अधिक से रोकी गयी है क्योंकि उन्होंने विशिष्ठ योग्यता पास नहीं की जो अनिवार्य है ।

अशोक मार्ग, लखनऊ की मोटर दुर्घटना में नूर मोहम्मद की मृत्यु

*५४--श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १६ अगस्त, १९६९ को लखनऊ स्थित अशोक मार्ग पर हुये एक मोटर दुर्घटना उप-निदेशक कृषि के सुपुत्र से हुई थी जिसमें कृषि निदेशालय

[श्री डी० पी० बौरा—]

के कर्मचारी नूर मुहम्मद की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो पुलिस ने दिनांक १५ मार्च, १९७० तक उस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह--

जी हां। दिनांक १६-८-६९ को अशोक मार्ग पर उपनिदेशक कृषि के पुत्र से मोटर दुर्घटना हुई थी जिसमें कृषि निदेशालय के एक कर्मचारी श्री नूर मोहम्मद दुर्घटना ग्रस्त हुए थे। बाद में १९-८-६९ को उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई।

दुर्घटना की सूचना थाना हजरतगंज पर १६-८-६९ को प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर धारा २७९/३३७ भा० दं० वि० के अंतर्गत एक मुकदमा कायम किया गया था जो श्री नूर-मोहम्मद की मृत्यु की सूचना मिलने पर धारा ३०४ ए० भा० दं० वि० के अन्तर्गत तरमीम कर दिया गया था। मुकदमे की विवेचना १५-२-७० को समाप्त हो चुकी थी परन्तु इसमें वैधानिक राय लेना आवश्यक पाया गया, अतः वैधानिक राय लेने के पश्चात् चार्जशीट दिनांक ८-५-७० को न्यायालय भेजी गई।

सिमरी बाजार, जिला सुल्तानपुर में नन्दा सेठ के घर डकैती

*५५—श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि फरवरी, १९७० ई० में सुल्तानपुर जिले में थाना जयसिंह-पुर की सिमरी बाजार में श्री नन्दा सेठ के यहां एक ऐसी डकैती पड़ी जिसमें आटोमेटिक गन के साथ फैजाबाद फौज का कोई अफसर भी डाकुओं में था जिसके कारण हथियारों से लैस स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच जाने के बाद भी डाकुओं को पकड़ने अथवा उन पर फायर करने की हिम्मत नहीं की और डाकुओं की मोटर आसानी के साथ पुलिस मोटर को पार कर भागने में सफल हो गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक १ फरवरी, ७० को ७ बजे शाम राम आनन्द उर्फ नन्दा निवासी सेमरी बाजार थाना जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर के यहां १०-१२ डाकुओं द्वारा हथियारों से लैस होकर डकैती डाले जाने की रिपोर्ट उक्त थाने पर २-२-७० को १ बजे सुबह प्राप्त हुई। उक्त डकैती में आटोमेटिक गन के साथ फैजाबाद के किसी फौज के अफसर के शामिल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक डकैत घटनास्थल से जा चुके थे। अतः घटनास्थल पर डाकुओं के पकड़ने का प्रयास किए जाने अथवा उसके सम्बन्ध में फायर किए जाने या पुलिस की उपस्थिति में डाकुओं की किसी मोटर का निकल भाग जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[दर्वे शुक्रवार के लिये स्थगित]

मोहम्मदाबाद थाने में अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद होना

*५७—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मोहमदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के माहपुर गांव में गढ़वाकोट के पास २० मार्च, १९७० को किसी व्यक्ति की लाश पुलिस ने बरामद किया है ? यदि हां, तो उस सिलसिले में अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की और कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये ?

श्री चरण सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के माहपुर गांव में गढ़वाकोट के पास एक कुएं से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश २० मार्च, १९७० को पुलिस ने बरामद की। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया जिससे ज्ञात हुआ कि मृत्यु बन्दूक की गोली लगने से हुई। तत्पश्चात् धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। विवेचना से मृतक तथा अपराधियों का कुछ भी पता नहीं चला। अतः विवेचना समाप्त करके अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

*५८--श्री श्यामलाल--

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि लाश किस व्यक्ति की है और उसका पता क्या है?

श्री चरण सिंह--

पुलिस की जांच से यह पता नहीं लग सका कि लाश किस व्यक्ति की थी।

विद्युत् विभाग में अंग्रेजी

*५९--श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकारी सचिवालय के विद्युत विभाग द्वारा अब भी अंग्रेजी में पत्र एवं परिपत्र जारी किये जा रहे हैं यदि हां, तो क्यों?

श्री रामलखन--

विद्युत विभाग में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में होता है। केवल अपवाद स्वरूप उन राज्य सरकारों को जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है तथा कुछ तकनीकी मामलों में व विदेशी कम्पनियों को पत्र अंग्रेजी में लिखने पड़ते हैं।

बदायूं जिले में मदनगोपाल शर्मा के कत्ल के अभियुक्त आरिफ की गिरफ्तारी

*६०--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक १० अगस्त, १९६९ को नामजद अभियुक्त आरिफ जो दिनांक १७ जून, १९६९ को श्री मदन गोपाल शर्मा, हेड कानिस्टेबिल, चौकी काजी मुहल्ला, थाना सहसवान, जिला बदायूं की हत्या में नामजद था, जिसकी गिरफ्तारी एस० आई० ने मक्का के खेत में की, को जनरल डायरी में गिरफ्तार करने वाले एस० आई० ने यह लिखा है कि मुलजिम को श्री हर बिलास गोयल और श्री श्रीकृष्ण गोयल, एम० एल० सी० के फार्म से गिरफ्तार किया गया?

श्री चरण सिंह--

अभियुक्त आरिफ की गिरफ्तारी एक सब-इन्सपेक्टर ने दिनांक १०-८-६९ को की। जनरल डायरी में सब-इन्सपेक्टर ने यह लिखा है कि "हस्ब मुखबिरी खेत श्री हर बिलास गोयल जिसमें मक्का की फसल खड़ी है जो वहद मौजा महौना थाना उझियानी में है करीब डेढ़ बजे दिन पहुंचे मुलजिम पुलिस पार्टी को देख कर टांड पर से कूद कर सर्विस बस रोड जो रिसौली की ओर जाती है पर भागा किन्तु उसे पीछा करके गिरफ्तार कर लिया गया।" सब इन्सपेक्टर ने खेत की मिल्कियत सम्बन्धी सूचना मुखबिरी के आधार पर अंकित की थी और उनको इस बारे में कोई निजी जानकारी नहीं थी।

*६१—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री जांच करके बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी सही है कि वह मक्का का खेत जिसमें गिरफ्तारी की गई है १० साल के लिये श्री जुम्मा ने श्री हरिबिलास गोयल व श्री श्रीकृष्ण गोयल को रेहन में दिया है जिसके कब्जे के ७ साल पूरे हो चुके हैं और ३ साल अभी बाकी हैं ?

श्री चरण सिंह—

भूमि सम्बन्धी कागजात में इन्दराज के अनुसार सम्बन्धित खेत के मालिक श्री जुम्मा खां हैं और वे ही उस पर काबिज बताए जाते हैं।

कानपुर जिले में पुराने थानेदार

*६२—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में कौन-कौन ऐसे थाना इंचार्ज और एस० आई० हैं जो कि ५ वर्ष की अवधि से कानपुर जिले में तैनात हैं और उनके स्थानान्तरण न किय जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह—

कानपुर जिले में ४ थानाध्यक्ष और ४१ सब-इन्सपेक्टर पांच वर्ष या उससे अधिक से तैनात हैं। उनके नाम संलग्न सूची में दिय हुय हैं। चूंकि एक सब-इन्सपेक्टर एक जिल में ९ वष तक तैनात रह सकता है, उपरोक्त अधिकारियों का अभी जिले से बाहर स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०२–१०३ पर)

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिये आयोग

*६३—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक व्यक्तियों तथा सत्ता में उच्च स्थान प्राप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिये किसी आयोग की स्थापना कर रहे हैं यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरण सिंह—

इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अन्य प्रश्न नही उठता।

*६४—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

[९वें शुक्रवार के प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानातरित]

सिरोही, जिला बरेली में पुलिस और बदमाशों में भिड़ंत

*६५—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष ग्राम सिरोही थाना भमौरा, जिला बरेली में कुछ व्यक्तियों और पुलिस के बीच सशस्त्र मुठ भेड़ हुई थी ? क्या यह सही है कि जिला धीश बरेली ने उन व्यक्तियों के आर्म्स लाइसेंस सस्पेंड करके उनको जमा करने के आदेश अगस्त १९६९ में दिये थे, किन्तु एस० पी० बरेली ने यह बन्दूकें १७ फरवरी, १९७० को जमा करवाई ? यदि हां, तो इतनी देरी से इन अवांछनीय व्यक्तियों को आर्म्स लाइसेंस जमा कराने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—

११-६-६९ की रात्रि को ग्राम सिरोही के पास भेजा नदी के किनारे कुछ सशस्त्र बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी परन्तु अंधेरे के कारण न तो कोई व्यक्ति पकड़ा जा सका और न किसी व्यक्ति का नाम ही प्रकाश में आ सका। अतः इस मुठभेड़ से संबंधित किसी व्यक्ति क आर्म्स लाइसेंस ससपेन्ड करने अथवा देर से जमा कराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

थाना कैन्ट, देहरादून में श्री वेद प्रकाश को पीटने की शिकायत

*६६—श्री नित्यानंद स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक ११ अप्रैल, १९६९ को सायंकाल, देहरादून के सरकारी कर्मचारी वेद प्रकाश को देहरादून कैन्ट थान के एक दरोगा नें पकड़ कर थाने में ले जाकर इतना मारा कि उसको गम्भीर एवं असाधारण १६ चोटें आईं और फिर उसी दरोगा ने एक झूठा मुकदमा वेद प्रकाश के विरुद्ध चलाया लेकिन वेद प्रकाश उसमें बरी हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा दोषी दरोगा को उचित दण्ड देगी ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ११-४-६९ की रात में थाना कैन्ट में टेलीफोन पर एक झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां श्री वेद प्रकाश एवं दो अन्य व्यक्तियों को लड़ते-झगड़ते पाया गया अतः उन लोगों को धारा १६० भा० दं० वि० १५१ जा० फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार करके थाने लाया गया। झगड़े के कारण श्री वेद प्रकाश को चोटें आईं। पुलिस क दरोगा द्वारा उन्हें मारा पीटा नहीं गया था। दूसर दिन तीनों अभियक्तों का चालान कर दिया गया जो बाद में न्यायालय से बरी हो गये। जांच से दरोगा को दोषी नहीं पाया गया अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष, देवबन्द का स्थानान्तरण रोकना

*६७—श्री राम सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान स्टेशन अफसर, देवबन्द, जिला सहारनपुर का स्थानान्तरण दो बार जिले से बाहर किया गया और दोनों बार उनको रिलीव कर दिया गया तथा रिलीव करने के बाद पुनः सरकार ने उन्हें वहीं नियुक्त करने का आदश प्रसारित किये ? यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री चरण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहारनपुर जिले में घसौती गांव से श्रीमती लाडो का लापता होना

*६८—श्री राम सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९ सितम्बर, १९६९ के ग्राम घसौती, थाना रामपुर, जिला सहारनपुर में मुसम्मात लाडो का कत्ल हुआ ? उसकी जांच किन-किन अधिकारियों ने कब-कब की तथा अन्तिम परिणाम क्या रहा ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ५-९-६९ को थाना रामपुर पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि श्रीमती लाडो ३/४-९-६९ की रात्रि अपने दरवाजे के सामने सहन में सो रही थी परन्तु प्रातः मकान पर नहीं मिली। सूचना के आधार पर धारा ३६४ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया।

[श्री चरण सिंह---]

इस अपराध की विवेचना उप निरीक्षक पुलिस द्वारा ६-९-६९ स १५-९-६९ तक और थानाध्यक्ष द्वारा २१-९-६९ से २८-१-७० तक की गई। सर्किल अफसर द्वारा भी इसकी जांच १५-९-६९ को की गई। समस्त विवेचना तथा जांच से श्रीमती लाडो का कुछ पता नहीं चला अतः जांच अन्तिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त कर दी गई।

गोला, लखीमपुर के दौरे पर विद्युत मंत्री द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध सुनवाई

*६९—श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय श्री वीरेन्द्र वर्मा विद्युत सिंचाई मंत्री ३० मार्च, को लखीमपुर के दौरे में गये थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन्होंने गोला और लखीमपुर में सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक मीटिंग की थी?

श्री चरण सिंह—

जी हां।

*७०—श्री करन सिंह—

क्या यह सही है कि उक्त मीटिंग में मौखिक शिकायत पर अधिकारियों से वहीं खड़े होकर जवाब मांगा गया? क्या यह भी सही है कि मंत्री जी ने उक्त मीटिंग को जन अदालत घोषित किया? क्या सरकार ऐसी अदालत को मान्यता दे सकती है?

श्री चरण सिंह—

प्रायः मंत्री जी के विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों का वहीं स्पष्टीकरण कर दिया। जिन शिकायतों पर अधिकारियों के स्पष्टीकरण से मंत्री जी की सन्तुष्टि न हो सकी, उन पर मंत्री जी ने सम्बन्धित विभाग के उच्च अधिकारी को शिकायतकर्त्ता की उपस्थिति में जांच के आदेश दिये।

मंत्री जी ने उक्त मीटिंग को जन अदालत नहीं घोषित किया। अतः किसी ऐसी अदालत को सरकार द्वारा मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तराखंड में उद्योग-धंधों के लिये समिति की सिफारिशें

*७१—श्री गोविन्द सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड में उद्योग धन्धों के विकास के लिये सुझाव देने हेतु सरकार ने कोई समिति बनाई थी? यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं? यदि हां, तो कब और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है? क्या मंत्री जी उपरोक्त समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशों को सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री चरण सिंह—

जी हां। समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को नवम्बर, १९६८ में प्रस्तुत कर दी थीं। समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ‡विवरण संलग्न है।

---

‡ विवरण छापा नहीं गया।

मंत्रियों द्वारा सम्पत्ति सूचना

*७२—श्री कल्यान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मंत्रिमंडल के समस्त मंत्रियों से अपनी-अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है? यदि हां, तो अब तक किन-किन मन्त्रियों ने अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत कर दिया है? यदि नहीं, तो कब तक उक्त विवरण प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री चरण सिंह—

भारत सरकार ने १९६४ में मंत्रियों के लिये जो आचरण कोड बनाया उसे तत्कालीन राज्य सरकार ने उसी समय स्वीकार कर लिया था। वर्तमान राज्य सरकार ने भी हाल ही में उक्त कोड को स्वीकार कर लिया है। आचरण कोड के प्राविधानों के अधीन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को अपनी सम्पत्ति आदि का ब्योरा १ माह की अवधि के अन्दर देना होता है। अभी तक वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों में से केवल बिक्री-कर मंत्री जी ने अपने विषय में सूचना भेजी है। आशा की जाती है कि अन्य मंत्रियों से भी वांछित सूचना शीघ्र प्राप्त हो जायगी ।

*७३—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार उक्त विवरण को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

उक्त ब्योरे गोपनीय होते हैं और उनको बताना जनहित में उचित न होगा।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले में बिजली

१—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला इलाहाबाद के किस-किस गांव में बिजली उपलब्ध कराने की योजना है ?

श्री रामलखन—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद जनपद के किस-किस गांव में बिजली पहुंचायी जायेगी इसकी कोई सुनिश्चित रूप-रेखा अभी तैयार नहीं है।

२—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित]

जिलाधीशों एवं पुलिस कप्तानों के स्थानान्तरण

३—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १७ फरवरी, से ३१ मार्च, १९७० तक कितने जिलाधीशों एवं पुलिस कप्तानों के स्थानान्तरण किये गये?

श्री चरण सिंह—

२ जिलाधीशों तथा ५ पुलिस कप्तानों के स्थानान्तरण किये गये।

४—श्री भगवती सिंह विशारद—

[८वें गुरुवार के प्र० सं० १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना नवावगंज तथा वजीरगंज, जिला गोंडा में विभिन्न अपराध

५—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बनाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में थाना वजीरगंज, थाना नवाबगंज में १ जनवरी, १९७० ई० से लेकर ३१ मार्च, १९७० ई० तक कितने कत्ल, डकैती, चोरी व राहजनी की घटनायें हुयीं और किन ग्रामों में ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ १०४ पर)

६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।]

बांसगांव तहसील में चकबन्दी अधिकारियों के कार्यालय में मारपीट

७—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में चकबन्दी अधिकारी, बांसगांव एवं चकबन्दी अधिकारी कौड़ीराम तथा चकबन्दी अधिकारी, मांझीगांव के कार्यालय पर कितनी मारपीट की घटनाएं १ मार्च, १९६९ से १५ जनवरी, १९७० तक घटीं ?

श्री चरण सिंह—

१ मार्च, १९६९ से १५ जनवरी, १९७० की अवधि में गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में चकबन्दी अधिकारी, बांसगांव, कौड़ीराम तथा मांझी गांव के कार्यालयों पर मारपीट आदि की एक एक घटना होने की सूचनायें संबंधित थानों पर प्राप्त हुई ।

८—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चकबन्दी अधिकारियों के कार्यालयों पर घटी मारपीट की घटनाओं के संबंध में कितने मुकदमें चल रहे हैं ? कितने की तफतीश हो रही है एवं कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री चरण सिंह—

चकबन्दी अधिकारी, बांसगांव एवं कौड़ी राम के कार्यालय पर हुई घटनाओं से संबंधित मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं । चकबन्दी अधिकारी, मांझीगांव के कार्यालय में हुई घटना के संबंध में पुलिस द्वारा चकबन्दी अधिकारी, मांझीगांव को सुझाव दिया गया है कि वे न्यायालय में इस्तगासा दायर करें ।

प्रश्नों के संबंध में शिकायत

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

प्रश्नों के बारे में कई बार विभिन्न सदस्यों ने अपनी शिकायत की थी और यह कहा गया था कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों के प्रश्न आ जाते हैं और हम लोगों के नहीं आते और अगर आते भी हैं तो एजेंडे पर बाद में ऐसी जगह पर आते हैं कि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स नहीं हो पाते । अगर

आप पूरे एजेंडे को देखें तो ८, १० आदमियों के बीच में तमाम प्रश्न रहते हैं। मेरे क्षेत्र में कोई बड़ा नेता नहीं है और छोटे वर्कर्स के प्रश्न अगर इस तरह से टलते रहेंगे या बहुत बाद में रखते रहेंगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जायेंगी। आप प्रश्नों के महत्व को देख कर प्रश्नों को एजेंडे पर रक्खे न कि मुख्य व्यक्तियों के प्रश्नों की प्राथमिकता देकर उनके प्रश्नों को ऊपर एजेंडे पर रखा जाय। हम लोगों के प्रश्न एक तो मंजूर ही नहीं होते और अगर होते भी हैं तो ऐसे नम्बर पर आते हैं जिनमें केवल संक्षिप्त उत्तर हमारे कमरे में भेज दिया जाता है और सदन में उन पर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स नहीं हो पाते हैं। इसकी विशेष तौर से जांच कराई जाय और ऐसे आदेश दिये जाएं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

पहले भी यह शिकायत की जा चुकी है और यह लोगों का कहना था कि उपाध्यक्ष के सामने इसको जांच के लिये भेज दिया जाय। उन्होंने उस पर वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार ही प्रश्न रखे जाते हैं, किसी नियम को भंग नहीं किया जाता। अगर आपका प्रश्न देर से आए और दूसरों का पहले आ जाय तो उनका पहले ले लिया जाता है।

नियम ५१ के अन्तर्गत स्थगित सूचनाओं के संबंध में जानकारी

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)--

कल नियम ५१ के अन्तर्गत मेरा एक प्रश्न था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

नियत्य ५१ के दो और स्वीकृत हुए थे लेकिन पहले के एक ही प्रश्न पर माननीय सदस्य ज्यादा प्रश्न कर रहे थे कि उसी में आध घन्टा लग गया और चूंकि दूसरे प्रश्न नहीं आ पा रहे थे इसलिये उनको स्थगित कर दिया। किसी और रोज मैं उसको रख सकता हूं, आज नहीं ले सकता। लेकिन कृपा करके यह भी आप समझ लें अगर शोरगुल होता है या एक ही प्रश्न पर माननीय सदस्य ज्यादा प्रश्न करते चले जाते हैं तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। यह आपके लिये अपने साथियों को समझाने की बात है ताकि सबका काम हो सकें और सबके प्रश्न आ सकें। मैं कोई न कोई तारीख उसके लिये मुकर्रर कर दूंगा। मैंने जवाब दे दिया है। आप बैठें।

सदन की समितियों के चुनाव के संबंध में जानकारी

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, जो हमारे हाउस की कमेटियां बनी हुई हैं उनका कार्यकाल ३१ मार्च को समाप्त हो गया है और अभी तक उनके चुनाव का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। तो मैं चाहता हूं कि विधान सभा की इन बैठकों के दौरान ही उनका चुनाव करा लिया जाय जिससे उनका निर्माण हो सके और उनका काम आरंभ हो सके।

श्री अध्यक्ष--

आज शाम को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। उसमें इन समितियों के चुनाव के बारे में निर्णय लिया जायगा कि चुनाव कब और किस वक्त कराये जाएं। यह भी फैसला लिया जायगा कि जिन समितियों का निर्वाचन नामजदगी से होता है वह पहले करा ली जायं। क्योंकि बाद में एकोमोडेट करने की भी बात आ जाती है। इस पर आज विचार किया जायेगा और वह फैसला सदन को सुना दिया जायगा।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)--

श्रीमन्, मेरे कल के एजेंडे में दी गई नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना आप कल के एजेंडे में ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

एजेंडे में रखने की कोशिश करूंगा ।

श्री शिवदास का निलम्बन समाप्त करने के संबंध में प्रार्थना

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से एक सवाल रखना चाहता हूं कि माननीय शिवदास तिवारी जो इस सदन के सदस्य हैं, को निलम्बित हुए काफी दिन हो गये हैं मैं इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको सदन की कार्य वाही में भाग लेने की इजाजत दें और उनको जो बाकी सजा है उसे समाप्त कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर इस प्रकार का एक प्रस्ताव मेरे पास भेज दें । अचानक प्रश्न उपस्थित करके निलम्बन समाप्त नहीं किया जा सकता है ।

श्री गोविंद सिंह—

मान्यवर, ऐसा प्रश्न सदन में उठाया जा सकता है क्योंकि सदन ने उन्हें दण्ड दिया है। तो सदन ही क्षमा भी कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रस्ताव भेजें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, ऐसे प्रस्ताव में लिखित भेजने की परम्परा नहीं रही है । मौखिक प्रस्ताव भी लाया जा सकता है । मैं आपसे निवेदन करूंगा किआप माननीय नेगी जी का प्रस्ताव मानकर उनके निलम्बन को समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे आप लिखित भेज दें । तब मैं इसके लिये कोई समय निश्चित करूंगा । सवाल यह है कि कोई भी प्रश्न नियमानुसार समय पर ही लिया जा सकता है । अनुदानों पर जब विचार होता है तो उस दिन बीच में कोई प्रश्न नहीं लाये जा सकते और न लाये जायेंगे । अनुदानों पर विचार होने के बाद उसे लिया जायगा । तो आप कृपा करके अपने नेताओं से विचार विमर्श कर लें और सर्वसम्मति से हो जाय तो उचित होगा । तो मेरा सुझाव है कि आप लिखित रूप में ऐसा प्रस्ताव ले आएं ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा अभी माननीय जायसवाल जी ने कहा है कि प्रायः इस प्रकार के प्रस्ताव मौखिक रूप से आते हैं और सदन उस पर विचार कर लेता है। प्रश्न यह है कि जैसा माननीय नेगी जी ने कहा कि माननीय शिवदास तिवारी की अवशिष्ट सजा समाप्त कर दी जाय तो इस संबंध में मेरा निवेदन है कि माननीय नेता सदन और माननीय त्रिपाठी जी भी इससे सहमत होंगे कि अब काफी समय हो गया है और यह सदन उसे स्वीकार कर लेगा और उन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अवसर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसीलिये कह रहा हूं कि इस संबंध में नेता सदन, नेता विरोधी दल, माननीय कमला पति त्रिपाठी जी आदि जो नेता हैं उनसे विचार करना है । ये लोग बैठकर विचार कर लें तो दिक्कत

नहीं होगी। लेकिन अकस्मात ही नेगी जी ने एक सवाल उपस्थित कर दिया। अब उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि किस की उसके बारे में क्या राय हो। अतः मैंने आपको यह सलाह दी और आपके हित में ही दी है कि आप उसको लिख कर मेरे पास भेज दें और सब लोगों से उसके बारे में सलाह कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यह ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसके लिये किसी सूचना की आवश्यकता हो। श्री शिवदास तिवारी के विरुद्ध एक कार्यवाही सदन ने की और उसका उनको काफी दण्ड भी मिल गया। आप कृपया इस पर विचार कर लें। माननीय सदस्य काफी दिनों से सदन के बाहर हैं। माननीय नेता सदन का भी ऐसा कोई ऐटीट्यूड नहीं था कि उनके प्रति कोई बदले की भावना हो। उनकी भी राय आप इसी समय ले लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस समय कोई प्रस्ताव नहीं ले सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्रस्ताव तो श्रीमन्, आ ही गया।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव कोई नहीं आया। एक बात वैसे ही बीच में खड़े होकर कह दी गई और मैंने उनसे कह दिया कि इसको लिखकर मेरे पास भेज दीजिए।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों के विनियमन) अधिनियम, १९५८ के संबंध में याचिका

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों के विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष दाखिल की गई अपीलों और शासन के समक्ष दाखिल किये गये पुनरीक्षणों के निस्तारण के लिये प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्तों के अनुरूप प्रक्रिया निहित करने हेतु उपर्युक्त अधिनियम में समुचित संशोधन करने के संबंध में श्री श्री चन्द्र, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री रामधारी शास्त्री द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है। वह श्री रामधारी शास्त्री का है। मैं उसको पढ़ कर सुनाता हूं—"कल दिनांक २० मई, ७० को गोरखपुर फर्टीलाइजर फैक्ट्री में १ मई, ७० को मजदूर नेता क्रिस्टो सिंह की हत्या के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों की जान को खतरा होने की कोई बात भी प्रकाश में नहीं आई है। जबकि वास्तविकता यह है कि श्री रमाकान्त पांडेय मंत्री, फर्टीलाइजर कारखाना मजदूर यूनियन, गोरखपुर को पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक १४ मई, ७० के अनुसार दस दिनों के लिये एक आर्म्ड शैडो नियुक्त किया गया है और श्री पांडेय

[श्री अध्यक्ष]
उक्त शैडो के साथ लखनऊ आए भी हैं। इस प्रकार गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया गया है। जिसमें सदन का अवमान हुआ है।

अतः मैं, जिस अधिकारी ने सूचना दी उनके विरुद्ध तथा माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाता हूं और अनुरोध करता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय।

इसके बारे में कल भी आपने वक्तव्य होने के बाद यह कहा था—"मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों की जान को खतरा होने की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। क्या यह सही है कि यूनियन के सेक्रेटरी रमाकान्त पांडेय को एक आर्म्ड शैडो मिला हुआ है, तो यह सूचना सही है या जो वह वक्तव्य में दी गई है, वह सही है, इसका पता लगावेंगे।"

मंत्री जी ने इसके बारे में कहा—"इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है"।

फिर आपने कहा—मैं सूचना दे रहा हूं। १० दिन के लिये तत्काल आदेश है, और उसमें आज भी है, रमाकान्त पांडेय को पुलिस ने एक आर्म्ड शैडो दिया है, मेरी सूचना को आधार मान कर क्या मंत्री जी फिर इस पर कोई कार्यवाही करेंगे कि उनको इस तरह की अधूरी सूचना क्यों मिली ?"

इसका उत्तर दिया गया—"इसका पता लगायेंगे, जैसा आपने कहा है"।

इसके बाद भी आप कहते हैं कि जानबूझ कर कोई गलत उत्तर दिया गया। आप यह कह सकते थे कि वहां से जो उत्तर आया वह गलत आया। लेकिन मंत्री जी के बारे में यह किस प्रकार से लागू होता है, क्या आप यह बता सकते हैं।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे किसी की शिकायत करने की आदत तो है नहीं। हमारे यहां पानी का कोई इन्तजाम नहीं है मेहरबानी करके आप उनको इन्तजाम करने की हिदायत कर दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, यह सही है, जो आपने पढ़ कर सुनाया है। मेरा निवेदन यह है कि जो उत्तर आया है वह १४ तारीख को आया है। जो चिट्ठी पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने श्री रमाकान्त को लिखी है उसको मैंने अपने विशेषाधिकार के प्रश्न के साथ दिया है। उन्होंने लिखा है—"आपके पत्र संख्या ३९९/७० दिनांक १२ मई, १९७० के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि थाना चिलवाताल में आपके लिये एक आर्म्ड शैडो १० दिवस के लिये नियुक्त कर दिया जाता है। जब आप बाहर जाने लगें तो उसको अपने साथ ले लीजिये।

कृपया तुरन्त यह सूचित करिये कि आपको किन-किन व्यक्तियों से (मय पूरा पता के) जान का खतरा है और आपके इस कहने का आधार क्या है। जिससे इन्सदादी कार्यवाही की जा सके।"

यह जवाब गलत मिला। जो उत्तर दिया गया है वह २० तारीख को दिया गया है। यह पत्र १४ तारीख को सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने लिखा है। जब यह सूचना जिलाधिकारी से मांगी गई थी तो निश्चित रूप से पुलिस अधीक्ष क से यह सूचना प्राप्त की गई होगी। १४ तारीख को पुलिस अधीक्षक लिखते हैं कि १० दिन को आर्म्ड शैडो दिया जाता है और इधर जवाब देते हैं कि किसी की जान को कोई ख तरा नहीं है। इस बात को इस सूचना में छिपाया गया है और इस प्रकार से इ स सदन को गुमराह किया गया। इसलिये पुलिस अधिकारी के विरुद्ध प्रागदेशन में यह केस बनता है कि उसने जानबूझ कर सूचना को छिपाया है। इस तरह की

एक आपकी रूलिंग भी हो चुकी है, उसको भी पढ़ कर सुना देना चाहता हूं---७ दिसम्बर, १९६६ को गृह उपमंत्री द्वारा कथित गलत बयानी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना के संबंध में आपने कहा था--"दूसरी बात है आरोप अधिकारी पर जैसा माननीय राधेश्याम जी ने कहा कि यह जितना भाषण उनका इस आदरणीय सदन के सामने रखा गया, वह एक वकील की राय से बनाया गया था। अब इस शहादत से यह पता चलता है कि वस्तुत: वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कोई ऐसी अनुचित कार्यवाही हुई। जिलाधिकारी द्वारा सूचना मंत्री जी को दी गई। अत: कोई इस झूठी बात का जिम्मेदार है तो वह अधिकारी है मंत्री नहीं हो सकते। इस वास्ते कि मंत्री तो अपनी सूचना के आधार पर इस आदरणीय सदन के समक्ष अपनी सूचना रखी है। तो माननीय शिव प्रसाद गुप्त के खिलाफ कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन केवल इतना है कि पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध निश्चित एलीगेशन है। मेरे नियम ५१ के सिलसिले में जो उन्होंने यह उत्तर दिया है कि यूनियन के किसी पदाधिकारी की जानमाल को खतरा नहीं है। और इस तरह की एक रूलिंग श्रीमन्, के द्वारा दी जा चुकी है। इसके अलावा जब मैंने सरकार से यह पूछा तो सरकार को निश्चित सूचना के साथ आना चाहिये था और उसका निश्चित उत्तर देना चाहिये था। जो उत्तर दिया गया वह भी स्पष्ट नहीं है, इसलिये मंत्री जी भी उसकी परिधि में आ जाते हैं और इस विशेषाधिकार से बाहर नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी के बारे में मैं फैसला देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

फैसला देने के पहले आप हमें सुन लें। आपका कहना तो हम लोग मानते ही हैं।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, आप कृपा करके बैठ जाएं। मैं फैसला देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

वह स्वीकार कर लें तो आप क्यों परेशान हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं उनसे नहीं पूछना चाहता। अगर उसके लिये कोई जिम्मेदार हो सकता है तो जिसने सूचना भेजी है, मंत्री नहीं। जहां तक मंत्री का सवाल है, वह आप स्वीकार करते हैं और जबतक वह जानबूझ कर असत्य बात न कहे या सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करते तब तक उनके ऊपर यह लागू नहीं होता। जहां तक किसी अधिकारी ने गलत बयानी को; इसका सवाल है, उसके बारे में मैंने आपसे कह दिया, वहां भी फैसला यही हुआ है कि मंत्री जी इसकी जांच करें और जांच करने के बाद अगर यह मालूम हो कि जानबूझ कर गलत बयानी की है तो उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये। इसीलिये मंत्री जी ने यह कहा कि उसका पता लगायेंगे। जैसा कि आपने कहा आपके कहने के बाद वह उसकी जांच करायेंगे और जिसका कसूर हो उसे दंड देंगे। इसके बारे में जैसा पहले फैसला हो चुका है उसी तरह का फैसला होगा। विशेषाधिकार का प्रश्न अभी उठता नहीं है। जांच के बाद अगर मंत्री जी सजा देते हैं उसके बाद आप चाहें तो प्रश्न उठा दें। इसके

[श्री अध्यक्ष]
ऊपर प्राग्दर्शन में यह चीज पैदा नहीं होती क्योंकि किस वक्त उन्होंने उत्तर दिया और किस वक्त दरख्वास्त दी गयी इसके समय की कुछ जानकारी नहीं है। इसलिये मैं इसको मंत्री जी द्वारा जांच तक के लिये स्थगित रखता हूं। माननीय मंत्री जी जांच कर लें और सदन को बतायें कि जांच का क्या परिणाम निकला।

श्री नित्यानन्द स्वामी—
समय भी निर्धारित कर दें।

श्री रामधारी शास्त्री—

अगर जरा भी संशय मालूम होता है श्रीमन् को कि दो तरह की सूचनायें हैं और मैंने निश्चित तारीख दी है कि उस अधिकारी ने १४ मई को पत्र लिखा और उसके मुताबिक शैडो मुकर्रर किया और जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उन्होंने १२ तारीख को चिट्ठी लिखी थी। यह सूचना २० तारीख को यहां आयी। मंत्री जी क्या, यह तो आपकी एजेन्सी से जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--
मैं भी जांच कर लूंगा, वह भी जांच कर लेंगे।

बरेली जिले के सिरसा बीज भण्डार के चौकीदार के भाई की पत्नी के साथ बलात्कार के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब थाना बहेड़ी, जिला बरेली के सिरसा बीज भंडार के चौकीदार के छोटे भाई की पत्नी से श्री महेन्द्र सिंह द्वारा बलात्कार तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे नियम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जब कोई सदस्य कोई प्रश्न यहां पर उठाना चाहते हैं तो उसके लिये दो ही चार नियम हैं जिनके अन्तर्गत वह उठाया जा सकता है। एक नियम ५१ है जिसमें ध्यान आकृष्ट होता है। उसमें मंत्री जी का वक्तव्य होता है और हम लोगों को भी स्पष्टीकरण करने का मौका होता है। उसके बाद नियम ५२ है, नियम ५६ वगैरह है। हमारे नियमों में ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि कोई प्रश्न जब कोई सदस्य उठाये और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहे तो आप केवल मंत्री का वक्तव्य देने के लिये यहां रख दें। हम लोग एक बड़ी कठिनाई में फंस गये हैं। इसी प्रश्न को लें लें।

श्री अध्यक्ष--
मैंने कल वक्तव्य के लिए कहा है मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--
आपकी कुर्सी से जब कभी कोई बयान दिलवाया गया.....

(व्यवधान)

वृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--
(वक्तव्य पढ़ना आरंभ किया।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--
यह तो बरेली के सिरसा बीज भंडार का सवाल है....

बरेली जिले के सिरसा बीज भण्डार के चौकीदार के भाई की पत्नी के साथ बलात्कार के ४७ सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

व्यवस्था का प्रश्न है। एक बात माननीय कृष्णानन्द जी ने उठायी। हम चाहते हैं कि ऐसी बात न हो, लेकिन अगर ऐसी बात आ गयी और नियम ५१ के अन्तर्गत आप समझते हैं कि स्पष्टीकरण हो सकता है तो कृपया इस वक्तव्य को नियम ५१ में ले लें। क्योंकि एक गम्भीर आरोप है और माननीय मुख्य मंत्री के सामने तो स्वच्छ प्रशासन की बात है, उसको ध्यान में रखते हुए वह इसका स्वागत करें कि अगर कोई ऐसी बात है तो उस पर पूरी चर्चा सदन में हो और उसका स्पष्टीकरण हो जाय। अगर यह मसला दबा दिया गया और एक तरफा वक्तव्य हो गया और हमारी जबान बन्द रही तो न्याय नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर वक्तव्य के बारे में, इस सवाल के बारे में नियम ५१ के अन्तर्गत चर्चा हो और स्पष्टीकरण हमको मिल जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, एक सवाल अजीब किस्म का था, लेकिन चूंकि इसमें एक उपमंत्री के संबंधी का प्रश्न आ गया तो मुझे तो यह आश्चर्य होता है कि उन्हीं उपमंत्री को क्यों सरकार की तरफ से खड़ा किया जाय। अगर इसके उत्तर को पढ़ेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि इसमें इतनी स्वीकारोक्ति है कि उनके चचेरे भाई नहीं हैं, लेकिन कुछ जरूर हैं। क्योंकि जिस भाषा में यह वक्तव्य लिखा गया है उसका अर्थ ही यह है कि चचेरे भाई तो नहीं हैं लेकिन कुछ संबंधित हैं। ऐसी परिस्थिति में सदन की भावनाओं का आदर करना चाहिये और यदि उपमंत्री उसको न पढ़ कर मुख्य मंत्री जी पढ़ दें और श्रीमान् भी समय दें कि इसके संबंध में चर्चा हो तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त तो नहीं होगा.....

श्री राम कुमार शास्त्री--

आपने इससे भी कम महत्व के प्रश्नों को नियम ५१ में स्थान दिया है और यह तो इतनी हैरतअंगेज और सनसनीखेज घटना है उस पर केवल बयान हो और चर्चा न हो, यह कहां तक उचित होगा? इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो सारे तथ्यों को दबाया गया है.....

श्री अध्यक्ष--

मुझे क्या मालूम कि क्या बात है। मेरे पास जो प्रश्न आते हैं उनमें मैं एक नियम ५१ का स्वीकार करता हूं। उसके बाद अगर कोई सदस्य आते हैं कि हमारे प्रश्न पर वक्तव्य ही करा दीजिये तो उसका मौका दे देता हूं। यह होता है मेरे कमरे में आकर। और जब वक्तव्य के लिए कहता हूं तो मैं केवल वक्तव्य ही स्वीकार करता हूं। तो यह जो चीज आयी, उसी तरह से आयी। उस पर केवल वक्तव्य के लिये आयी। तो वक्तव्य देने का मतलब यही है कि जोनकारी आप को दे दें सरकार की तरफ से।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि "केवल वक्तव्य के लिए" कोई भी नहीं कहता। "केवल वक्तव्य" में तो उधर से सफाई होती है, हमारी बात सामने नहीं आती। श्रीमन्, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जिसका सम्बन्ध एक उपमंत्री से है। नियम ५१ में इसे लेकर आप वक्तव्य दिलवा दें। केवल वक्तव्य हम लोग नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि मैं नियम ५१ में एक वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। एक स्वीकार कर लेने के बाद लोग वक्तव्य के लिये कहते हैं कि आप वक्तव्य दिलवा दीजिये। उसी तरह से इसमें भी है ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

आपने इसको देख लिया है ? आपने वक्तव्य को पढ़ लिया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने नहीं देखा है ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों ने जो आपत्ति उठायी है उस पर आपने क्या निश्चय किया ? मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि बयान को मैं पढ़ दूं और माननीय सदस्य मुझसे जो पूछना चाहें पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष--

पहले नं० ६ पर--प्रतापगढ़ जिले में भीषण डकैतियां तथा हत्याओं के सम्बन्ध में वक्तव्य हो जाय । वह छूट गया था ।

प्रतापगढ़ जिले में डकैतियों एवं कत्ल की बढ़ती हुई घटनाओं के संबंध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत इधर गत तीन महीनों में ९ उल्लेखनीय डकैतियां पड़ीं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतिदिन यहां डकैतियां पड़ती ही रहती हैं अथवा जनता में भय या असुरक्षा की भावना फैली हुई है। यह भी सही नहीं है कि प्रतिदिन दर्जनों डकैतियों व हत्याओं की सूचनाएं मिल रही हैं । यदि दिनांक १-१-७० से ३०-४-७० तक पड़ी डकैतियों एवं हत्याओं के आंकड़ों की इसी अवधि के सन् १९६८ और सन् १९६९ के आंकड़ों से तुलना की जाय तो यह विदित होगा कि सन् १९७० में जब इस अवधि में २८ डकैतियां पड़ीं तो सन् १९६८ और १९६९ में क्रमशः २८ और २३ डकैतियां पड़ीं। इसी प्रकार १९७० की १२ हत्याओं की तुलना में १९६८ में १३ और १९६९ में १० हत्याऐं हुई। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि १९७० में अब तक डकैती और हत्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ।

डकैतियों के दौरान निर्दयतापूर्ण हत्याओं, बलात्कार और दुधमुहे बच्चों की टांगें चीरने की धमकी देकर छुपे हुए धन की पूछ ताछ करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। केवल ग्राम पूरे पंडित की डकैती की घटना के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट मिली कि एक बच्चे को मार डालने की धमकी दी गई थी ।

थाना रानीगंज तथा पट्टी में फरवरी से अप्रैल, १९७० के बीच तीन-तीन डकैतियां अवश्य पड़ीं लेकिन कोतवाली थाना क्षेत्र में २ डकैतियों की वारदातें हुई। कन्धई क्षेत्र में कोई सच्ची घटना डकैती की नहीं हुई। इस वर्ष जनवरी से ३० अप्रैल की अवधि में डकैतों द्वारा लगभग ४२,४०० की लागत का माल लूटा गया ।

यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण है कि डकैतों के गिरोह प्रति दिन घूमते नजर आते हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना पट्टी, रानीगंज और लक्ष्मीगंज बाजार में हुई डकैतियों

से सम्बन्धित कुछ डकैतों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और प्रभावित क्षेत्रों में पी० ए० सी० और सशस्त्र पुलिस दल द्वारा बराबर गश्त कराये जा रहे हैं।

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि रानीगंज थाने में गिरफ्तारी जो हुई, किनकी हुई और कब हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

यह तो बहुत विशद प्रश्न है, इसके लिये तो सूचना की आवश्यक होगी।

श्री रामदेव--

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कन्धई थाने में, रानीगंज थाने में और पट्टी थाने में जो हाल में डकैतियां पड़ी हैं उनमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस दबे स्वरों में यह कहती है कि प्रतिष्ठित घरानों के डकैत हैं इसलिये हम विवश हैं उनको गिरफ्तार करने में। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस सिलसिले में सी० आई० डी० द्वारा जांच करावेंगे और जो तथा कथित प्रतिष्ठित डकैत कहलाते हैं, डाका डाल रहे हैं, हत्यायें कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे कि इस प्रकार की सूचना है तो उस पर जरूर कार्यवाही करायी जा सकती है।

श्री रामदेव--

मैंने जो सूचना दी है उससे बहुत से गांव भी सम्बन्धित हैं, बहुत से परिवार भी सम्बन्धित लेकिन माननीय मंत्रीजी के जिले से गलत सूचनाएं आई हैं। आप मेरी बात को सूचना मान कर चलें। वहां आज भी आतंक व्याप्त है, आज भी वहां लूट, हत्या चल रही हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी तुरन्त जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय सदस्य अगर पूरी सूचना दे देंगे तो उसके आधार पर जांच करा ली जायेगी।

श्री रामदेव--

जिस क्षेत्र की डकैती का हवाला हमने दिया है वह क्षेत्र माननीय राम किंकर जी का है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उनसे सम्पर्क स्थापित करके सी० साई० डी० से जांच करवायेंगे। कुछ की रिपोर्टें लिखी गई ह और कुछ की नहीं लिखी गई हैं। अगर वह कह दें कि यह सही है तो क्या सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंग ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उनसे सम्पर्क स्थापित करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

बरेली जिले के सिरसा बीज भण्डार के चौकीदार के भाई की पत्नी के साथ बलात्कार के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)--

दिनांक २७-४-७० को सायंकाल ६:३० बजे थाना बहेड़ी, जिला बरेली को खन्ड विकास अधिकारी, बहेड़ी के माध्यम से श्री राजसिंह, सहायक कृषि निरीक्षक, राजकीय कृषि

[श्री चरण सिंह—]

बिक्री केन्द्र, सिरसा द्वारा प्रेषित इस आशय की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि दिनांक २६–४–७० को रात के लगभग ७ बजे श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी ग्राम सिरसा बीज गोदाम पर आये और चौकीदार श्री शिवदत्त जोशी के भाई की पत्नी को जबरदस्ती खींच कर ले गये। महेन्द्र सिंह के साथ कुछ और आदमी तथा शायद कुछ हथियार भी थे। उन्होंने प्रार्थी तथा श्री शिवदत्त जोशी को गालियां दी और मार देने की धमकी दी। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि २७–४–७० को प्रातःकाल महेन्द्र सिंह फिर कुछ व्यक्तियों के साथ गोदाम पर आये और श्री जोशी चौकीदार की पिटाई की।

उक्त सूचना के आधार पर थाना बहेड़ी मे एक अभियोग धारा ३६६/३२३ भा० दं० वि० का कायम किया गया और जांच प्रारम्भ कर दी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार भगाई गई स्त्री श्रीमती खगवती दूसरे दिन वापस आ गई और २९–४–७० को उसका डाक्टरी परीक्षण कराया गया। डाक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक ३०–४–७० को उसका बयान धारा १६४ द० प्र० न० के अन्तर्गत कराया जा चुका है। धारा १६१ एवम् धारा १६४ द० प्र० स० के अन्तर्गत दिये गये बयानों में श्रीमती खगवती ने अभियुक्त महेन्द्र सिंह व उसके दो साथियों द्वारा भगाये जाने के आरोप की पुष्टि की है किन्तु उन्होंने बलात्कार से सम्बन्धित किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। अभियुक्त महेन्द्र सिंह ने १४ मई को अपने को सरेन्डर कर दिया है।

कई सदस्य—

यह जो पढ़ रहे हैं, उसमें नहीं लिखा है।

श्री चरण सिंह—

अभी वायरलेस मुझे यहां मिला है। उसमें लिखा है कि १४ मई को उसने अपने को सरेन्डर कर दिया है।

उसके विरुद्ध धारा ८७/८८ दं० प्र० स० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इस घटना के समय कोई फायर इत्यादि करने की कोई रिपोर्ट नहीं है और न वादी ने ही ऐसा उल्लेख किया है।

उक्त घटना के अतिरिक्त दिनांक २८–४–७० को रात के ११ बजे श्री शिव दत्त जोशी, चौकीदार बीज गोदाम की एक सूचना खंड विकास अधिकारी, बहेड़ी के द्वारा इस आशय की प्राप्त हुई कि उस दिन शाम को लगभग ७.४५ बजे छः सशस्त्र व्यक्तियों ने गोदाम पर हमला किया और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया। प्रार्थी ने यह भी कहा कि वह इस घटना को दूर से देख रहा था और डर के कारण भाग कर बहेड़ी पहुंचा और उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामजद नहीं किया गया है। इस सूचना के आधार पर धारा ४५८ भा० दं० वि० का एक मुकदमा दर्ज किया गया तथा इसमें भी जांच जारी है।

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इन्कार किया अथवा खण्ड विकास अधिकारी, बहेड़ी की सहायता से थाने में उल्टी सीधी रिपोर्ट लिखी गई। थाने पर पहली रिपोर्ट प्राप्त होते ही जांच आरम्भ कर दी गई तथा पुलिस ने दिनांक २८–४–७० को घटना स्थल पर जाकर पूछताछ की। यह भी सही नहीं है कि जिलाधीश, बरेली द्वारा इस मामले में कड़ी कार्यवाही करने का आदेश देने के कारण उनका स्थानान्तरण २४ घंटे के अन्दर वायरलेस द्वारा कर दिया गया है। उनका स्थानान्तरण सामान्य तौर पर पत्र द्वारा हुआ है। इस घटना से उनके स्थानान्तरण का कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियुक्त महेन्द्र सिंह उप मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह के सम्बन्धी (भतीजे) नहीं हैं। यह कहना सही नहीं है कि पुलिस पर किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव पड़ रहा है। श्रीमती खगवती न्यायालय में बयान देने के पश्चात् अपने पति के साथ शिवपुरी, मध्य प्रदेश चली गई हैं। अतः उनको किसी प्रकार की

धमकी दी जा रही है, यह सही नहीं है। यह भी कहना सही नहीं है कि छट्टी पर आये सैनिकों में इस घटना के कारण कोई रोष व्याप्त है। जांच में जो अभियुक्त दोषी पाए जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने ओम प्रकाश जी से कहा कि आपक भतीजे बतलाये जा रह हैं तो आप मुझे पूरी सूचना दें कि यह आपके कौन हैं। उन्होंने बतलाया कि उनके खानदान की बुजुर्ग महिला तीन, चार पीढ़ी पहले सिरसा में व्याही थीं। श्री ओम प्रकाश जी सिरसा के रहने वाले नहीं हैं। तो उस महिला के लड़के या भतीजे यह लगते हैं। मैंने इस पर कहा कि आप सजरा का पूरा पता लगावें। इस पर उन्होंने मालूम कराया और बतलाया कि इनकी तीन या चार पीढ़ी पहले इनके खानदान की एक महिला की शादी सिरसा में हुई थी और उनके लड़के हुए शेर सिंह और शेर सिंह के लड़के हैं महेन्द्र सिंह।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतलावेंगे कि लगभग एक माह हो गया और किस वजह से डाक्टरी रिपोर्ट अब तक नहीं मालम हो सकी और दूसरी बात यह कि महिला ने जो बयान तहरीर दी थी उसका भी इसमें उल्लेख नहीं है इस कारण हम संदिग्धावस्था में रह जाते हैं कि यह रिपोर्ट किस के द्वारा तैयार की गई है?

श्री चरण सिंह—

यह तो मैंने पढ़ा कि श्रीमती खगवती ने अभियुक्त महेन्द्र सिंह व उसके दो साथियों द्वारा भगाये जाने के आरोप की पुष्टि की है और उसमें रैप वगैरह की कोई बात नहीं की गई है। रही मेडिकल रिपोर्ट की बात वह नहीं आई है। जब यह रिपोर्ट चली, यह बयान कई बार मुल्तवी हो चुका है यह करीब १५, २० दिन पहले की है तो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने लिखा कि डाक्टर की रिपोर्ट कम्प्लीट नहीं हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली का ट्रांसफर कब किया गया और क्या यह सही है कि उसने इस मामले में कुछ कड़े आदश दिए थे?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं कि पब्लिक लाइफ में इस तरह का ख्याल कर सकत हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कड़े आदेश दिए इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया। यह बात बिल्कुल गलत है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कब आर्डर गया वह मैं नहीं बता सकता और कोई कड़े आर्डर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिए यह भी मुझे नहीं मालूम।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट ऐसी है जिसमें सही तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है और इस संदर्भ में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह कृपा कर इस मामले को दुबारा देख लें। इसमें यह बात आई कि श्री ओम प्रकाश के वह भतीजे नहीं हैं लकिन संबंधी नहीं हैं यह बात सरासर गलत है। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो डाक्टरी रिपोर्ट होती है यह उसी समय एस० ओ० को दे दी जाती है या जिस थाने की हो उसे दी जाती है तो कृपया मुख्य मंत्री जी पता लगा लें कि क्या यह रिपोर्ट नहीं दी गई और दी गई तो क्यों छिपाई गई?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मालूम करवा लूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गजीपर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि माननीय उप मंत्री जी दूसरे गांव के रहने वाले हैं और महेन्द्र सिंह सिरसा के रहने वाले हैं और दोनों की मुश्तरका खेती होती है? बुनियादी तौर से वे दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं।

श्री चरण सिंह—

उनकी खेती उस गांव में होती है लेकिन इससे कोई रिस्तेदारी साबित नहीं होती। जो दूसरी बात है और माननीय सदस्यों ने जो स्टेटमेंट यहां पर चाहा था, माननीय राम कुमार शास्त्री और कल्पनाथ सिंह ने उसमें उन्होंने भतीजे शब्द का प्रयोग किया था इसलिये इसमें भतीजा जोड़ा गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान को ध्यान में रखते हुये कि डाक्टरी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। माननीय ओम प्रकार जी के साथ इसका सम्बन्ध है क्या इसको ध्यान में रखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच सी० आई० डी० के द्वारा करवायेंगे?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं माननीय मित्रों को यकीन दिलाता हूं कि इनका उससे बहुत दूर का रिश्ता बैठता है लेकिन इससे वह भतीजे तो नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार से माननीय राम विलास जी भी हमारे भतीजे हो सकते हैं। इन्साफ दिलाने में इस प्रकार की कोई भी चीज बाधक नहीं हो सकती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, यहां पर तीन घटनायें घटित हुई पहली तो २६ अप्रैल के शाम को ७ बजे। दूसरी घटना २७-४-७० को प्रातःकाल जोशी, चौकीदार को पीटा गया और तीसरी २८-४-७० को ११ बजे बाजार में हमला करके सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। परन्तु पुलिस दो दिन के बाद पहुंची। पुलिस के आने में इतनी देर क्यों? यही कारण है कि इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे?

श्री चरण सिंह—

२७ तारीख को रिपोर्ट हुई और २८ तारीख को पुलिस पहुंच गई। शाम को रिपोर्ट हुई और दूसरे दिन सबेरे पुलिस पहुंच गई।

श्री राम कुमार शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किडनैपिंग तो हुई लेकिन बलात्कार नहीं हुआ था तो क्या अभिप्राय था कि उसको किडनैप किया गया? और उसके बाद यह भी बयान में लिखा गया कि वह दूसरे दिन २९ तारीख को आ गयी, तो वह कहां से आयी?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझको नहीं मालूम कि कहां से आयी क्योंकि मैं स्वयं तहकीकात करने वाला अफसर नहीं हूं।

श्री राम कुमार शास्त्री—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी काफी अच्छी तरह से लोगों को आभास करा रहे हैं कि वह ईमानदारी से सब चीज देखते हैं। बयान से मालूम होता है कि बहुत तोड़-मरोड़ कर यह बयान दिया गया है .....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पुछिए।

श्री रामकुमार शास्त्री—

तो इस मामले में क्या सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, सारा सवाल यह है कि जो मोटे-मोटे वाकयात हैं कि उस लड़की को ले गये और दो दिन बाद वापस आयी, यह तो ऐसी मोटी बातें हैं जिनकी मामूली पुलिस तहकीकात करती है, सी० आई० डी० ऐसे मामलों में नहीं लगती। सारा शक इस बात पर है कि मुलजिमान से उप-मंत्री जी का ताल्लुक है और इस वजह से न्याय नहीं हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि सी० आई० डी० का इन्वैस्टीगेशन इस बात को मालूम करने में सहायक होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है सी० आई० डी० लगाने में लेकिन इसमें देर हो जाएगी क्योंकि एक्चुअली जो जुर्म है उसमें सी० आई० डी० की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, वक्तव्य में कहा गया है कि महेन्द्र सिंह और दो साथियों द्वारा भगाए जाने की पुष्टि की है श्रीमती भगवती ने किन्तु बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, तो इसकी सफाई के लिए क्या मुख्य मंत्री जी डाक्टरी रिपोर्ट मंगा कर सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह चुका कि इसकी तहकीकात अच्छी तरह से हो जाय मैं इसकी कोशिश करूंगा और उसमें यह बात जरूर आएगी।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह डी० एम०, बरेली में कितने वर्ष से थे ?

श्री चरण सिंह—

शायद साल भर से थे।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या कृपा कर यह भी बतायेंगे कि क्या कारण हुआ कि एक वर्ष में ही स्थानान्तरित कर दिया गया ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह आपके विवेक पर है।

श्री चरण सिंह—

हां, यह मेरे विवेक पर है और मैं जवाब देना उचित नहीं समझता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने दो बयान पढ़ दिए—एक पहले का और एक आज का। मैं यह जानना चाहता हूं कि पहला बयान जो था उसमें जो १४ तारीख को मुलजिम हाजिर हुआ उसकी सूचना न आने का क्या कारण था ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी से कहना चाहता हूं कि इतनी गलतफहमी अगर वह रखेंगे तो उनकी तन्दुरुस्ती को नुकसान होगा कि मैं यहां पर दो बयान पढ़ा करूं। वह वायरलेस अभी आई और मुझे किसी ने दी है। बरेली जिले के सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ने भेजा है। उसमें यह है कि:—

"Reference your radiogram number 74/15/70 CX dated 20 May, 1970 regarding call attention motion about abduction of Shrimati Khagwati accused Mahindersingh surrendered in the court on 14 th May, 1970, name of investigation officer is S. C. Kameshwar Prasad S. O. Police Station Baheri district Bareilly."

इतना आया तो मैंने आपको बता दिया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूंछा था कि जो उत्तर आया और मंत्री जी ने जिसकी प्रतिलिपि यहां वितरित की वह जवाब मंत्री जी के पास कब आया ?

श्री चरण सिंह—

१२ तारीख को आया। दूसरा १५ को आया और तीसरा २१ को आया।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

२७—४—७० को एफ० आई० आर० दर्ज हुई और वह हाजिर हुये १४—५—७० को तो इस बीच लगभग २ महीने बीत गये पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अगर पुलिस ने कोशिश की तो क्या कोशिश की ?

श्री चरण सिंह—

दो महीने की बात मेरी समझ में नहीं आई कि किस हिसाब से हो गये। २७ अप्रैल की शाम को रिपोर्ट हुई और २८ को तहकीकात हुई और १४ तारीख को सरेन्डर कर दिया तो १५, १६ दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न समाप्त हो गया।

(शोर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज एक घंटे से इस पर बहस हो रही है तो बजट पर कब होगी ? आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी है कि अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन, अनुदान संख्या १५—पुलिस, अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन †(क्रमागत)

श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, अभी तक सामान्य प्रशासन के बारे में दोनों पक्ष के जिन माननीय सदस्यों के भाषण यहां हुये हैं उनसे एक बात तो पूर्ण प्रकाश में आती है कि दोनों पक्ष के माननीय सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि प्रदेश का पुलिस प्रशासन इस कदर खराब है जिससे साधारणतया गरीब और कमजोर आदमी बहुत पीड़ित है। तो जो सदस्य सता गुट के हैं उनका भी कहना है और उस को देखते हुये यह बात अब अधिक विचारणीय है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री पन्नालाल जी ने कहा था और अन्य सदस्य जो बोले थे उनके कहने से एक बात विदित होती है कि पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में कोई भी अच्छी बात कहने को उनके पास नहीं थी। केवल यह बात वह कहते थे कि कुछ दिन पहले इधर के मित्रों का शासन था और २२ वर्ष में सुधार नहीं हुआ तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि शासन चाहे किसी गुट का हो, चाहे वह इधर के लोगों का हो या उस पक्ष के लोगों का हो चाहे उस को २५ साल हो चुके हों या २५ दिन ही हुये हों गलत बात तो हमेशा गलत होती है। अगर जनता पर अत्याचार होता है, पुलिस बदमाशी करती है, अगर दबे हुओं को संरक्षण नहीं मिलता, अध्याय होता है और कोई देखने वाला नहीं है तो यह प्रशासन की कमी है, उसमें किसी भी समय या अवधि का प्रश्न नहीं है चाहे शासन के जिम्मेदार लोगों को आये हुये एक ही दिन क्यों न हुआ हो अगर उसका शासन की कमियों पर विजय प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है तो उस कदम को न उठाने का दोष किसी अन्य पर नहीं मढ़ा जा सकता।

माननीय शर्मा जी ने भी स्वीकार किया था कि उनके यहां झांसी में भी बहुत अधिक पुलिस अत्याचार है, वहां पर कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है और हर तरह से पुलिस अत्याचार बढ़ रहा है और गरीब जनता पीड़ित है। मैं तो उस सम्बन्ध में यही कहूंगा कि शर्मा जी शायद भूल गये कि उन्हीं के इशारे पर पिछले वर्षों में रघुनाथ सिंह पर अत्याचार हुआ और तीन-तीन प्रदेश की पुलिस ने मिल कर उनको पकड़ा तथा उनको गायब किया गया, इसका प्रमाण है कि शासन जिस के हाथ में होता है वह पुलिस से मनमानी और जबरदस्ती कराया करता है। इसलिये अगर इस सदन के माननीय सदस्य इस बात के लिये जागरूक नहीं हैं और शासन जिनके हाथ में है उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया और अगर शासन अपने समर्थकों को खुश करने में ही लगा रहा हो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। आज जिस तरह से पुलिस काम कर रही है उस संबंध में मैं अपने जिले का ही उदाहरण देना चाहता हूं और उसको सुन कर आप आश्चर्य करेंगे। बदमाशों को पकड़ने के नाम पर, गुंडागर्दी को रोकने के नाम पर और डाकुओं को पकड़ने के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी कहानी इतनी जघन्य है कि जितना कहा जाय वह कम है। वहां एकतरफा कार्यवाही की जाती है और भले आदमी का जीना कठिन हो गया है। हमारे यहां खरसुलिया गांव में रघुबीरा नामके बदमाश को पकड़ने के लिये तीन जिलों—मैनपुरी, फर्रुखाबाद

†२० मई, १९७० की कार्यवाही से।

[श्री सतीश चन्द्र]

और एटा की पुलिस ने घेरा डाला लेकिन घेरा डालने के बाद भी वह तीन जिलों की पुलिस उसको न पकड़ सकी। सवाल यह है कि या तो पुलिस मिली हुई थी या सूचना गलत दी गई थी और न तो गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई और न पुलिस के खिलाफ ही कोई कार्यवाही हुई कि रघुबीरा क्यों नहीं पकड़ा जा सका। लेकिन उसी गांव में बेकसूर कृपाल सिंह पकड़ा गया और उसे थाने में बन्द किया गया। धर्मपाल सिंह जो रघुबीरा का साथी बताया गया था उन को भी पकड़ा गया। हमें मालूम हुआ तो हम थाने में जैथरा के गये सरदार जी थानेदार थे उन्होंने कहा कि हमने बदमाश को पकड़ा है और मेरे सामने ही धर्मपाल सिंह से उन्होंने किस्सा सुनवा दिया और जहां जहां भी उसने बदमाशी की वह सब कहला दिया। लेकिन में बताना चाहता हूं कि कृपाल सिंह के बारे में बार-बार कहने के बावजूद धर्मपाल सिंह ने कोई बात नहीं की। यह आपके सामने में बताना चाहता हूं कि झूठी डकैती में रख कर कृपालसिंह तथा और दो-चार आदमी थे उनको इतना अपमानित किया गया और उनकी इतनी पिटाई की गई जिसका वर्णन करना, मैं समझता हूं असम्भव है। रघुबीरा की पत्नी को जेल में बन्द कर दिया गया था। जब जथरा थाने की एक औरत उससे मुलाकात करने गयी और जैसे ही वह जेल से बाहर निकली तो पुलिस अधिकारियों ने जेल से बाहर निकलते ही उसको गिरफ्तार कर लिया कि मुलाकात करने क्यों गई। उसको झूठे मामले में बन्द भी कर दिया जघन्य अपराध में। उस औरत को बन्द करते तो गनीमत थी। परन्तु जब एक छोटेलाल नाम के आदमी को उस औरत से बात करते पाया गया तो उसको भी बन्द कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि गुन्डागर्दी के नाम पर इतने अत्याचार किये जाते हैं।

इसका दूसरा पक्ष भी है। मैंने माना कि रघुबीरा नाम का बदमाश बहुत बड़ा बदमाश है। लेकिन केवल रघुबीरा ही एटा जिले में नहीं है बल्कि एक और बदमाश पटियाली क्षेत्र में बदमाशी करता घूमता रहता है। वह कई महीनों से फरार है। कभी वह बदायूं चला जाता है और कभी कहीं चला जाता है। लेकिन एटा जिले की पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में कोई कदम नहीं उठाया। इसी तरह रामभरोसा बदमाश था। उसको पकड़ कर ले आये लेकिन उसके गिरोह के अन्य आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसका एक कारण है मैं मुख्य मंत्री महोदय से आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इस पर विशेषतया ध्यान दें कि एटा जिले की जो राजनैतिक हलचल चल रही है उसमें आपकी तरफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पक्षीय कार्यवाही करते हैं। आपके कानों में ऐसी बात डालते हैं जो एक पक्षीय होती है और हमारे मुख्य मंत्री दूसरे पक्ष की सुनना गवारा नहीं समझते उसका नतीजा यह होता है कि एक तरफ से जो बात कह दी जाती है उसी पर भरोसा करके अमल कर लेते हैं। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। एटा जिले में ए० एम० शाह एस० पी० थे। उन्होंने साजिश करके गोली मरवायी थी मेरे स्वयं और तब हमारे मुख्य मंत्री महोदय इधर बैठा करते थे। मुझे अस्पताल में पता चला था कि पूरे विरोधी दल ने इस बात की मांग की थी कि शाह का तबादला तुरन्त किया जाय और उनके खिलाफ जांच कराई जाय तब गुप्ता जी उधर बैठते थे। उन्होंने इस बात को माना था और शाह का ट्रान्सफर किया लेकिन उधर जाते ही मुख्य मंत्री महोदय ने उन्हें शायद गोली मरवाने पर इनाम दिया है उन्हें आगरा का एस० एस० पी० बना कर भेजा गया और एस० एस० पी० बनने के बाद शाह ने आगरा भी काम किया तथा एटा में भी आकर कुछ दिन रहे। वहां उन्होंने किया क्या कवि सम्मेलन सुने और जो हमारे विरोधी थे उनसे मुलाकात की। मैं कहना चाहता हू कि जब से आगरा में ए० एम० शाह बैठे हैं तब से मुझे प्राणों का खतरा पैदा हो गया है। बदमाश उनके चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने केवल मेरे ही गोली नहीं मरवायी थी। २६-२७ मार्च को शाम के ९ बजे जैथरा थाने में फगनौल के एक भीकम को राजाराम के दरवाजे से जैथरा थाने की पुलिस द्वारा पकड़वाया था। इसकी मैंने जांच की थी और उसे सही पाया। मैंने मुख्य मंत्री महोदय के यहां रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राजाराम की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा नहीं करवाई गई। इसलिये कि मैंने उसमें पहल की थी। मैं मुख्य मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या शाह साहब को जो एस० एस० पी० बना कर भेजा गया है। यह उनको ईनाम दिया गया है क्योंकि गोली मारने में यह सबूत पाया गया है कि

उसमें शाह साहब का हाथ था। आगा साहब इस बात में शामिल थे कि हमारे गोली मारी गयी। क्या हमारे मुख्य मंत्री उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? श्रीमन्, एटा जिले में हालत यह है कि वहां पर शासक दल के लोगों की बात सुनी जाती है और दूसरे दलों के लोगों की न चाहे वह कितनी ही सही हो, नहीं सुनी जाती है। फिर वहां पर एस० षी० अवस्थी का तबादला किया गया। उनको एटा भेजा गया। वे वहां पर मुश्किल से ५ या ६ महीने रहे होंगे कि इधर के दल वालों ने मुख्य मंत्री से शिकायत की लेकिन आज तक जितनी ईमानदारी से उन्होंने वहां पर काम किया है, वह किसी अधिकारी ने नहीं किया। उनके बारे में एक बार भी कोई जांच नहीं की गयी। उनके विरुद्ध एक भी शिकायत नहीं थी लेकिन फिर समझ में नहीं आया कि उनका वहां से क्यों स्थानान्तरण कर दिया गया। जब पुलिस विभाग द्वारा भ्रष्ट काम किए जाते है और जिनमें प्रशासन का हाथ होता है तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार समाप्त होगा और प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन होगा।

अब जिलाधीश के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर एक महावीर प्रसाद नाम का कलेक्ट्री में एक नौकर था। उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ अपराध संख्या ४३४ में आदेश हुआ कि उनके नाम जो लाइसेंस है, वह जब्त कर लिया जाय। महावीर प्रसाद के नाम कोई भी लाइसेंस नहीं था। यह आदेश जिलाधीश के यहां से हुए परन्तु ६ महीने तक भी कुछ निर्णय नहीं हुआ। ६ महीने के उपरान्त यदि किसी कर्मचारी को सस्पेंड रखना था तो नियमानुसार कमिश्नर के आदेश लिए जाने चाहिए थे लेकिन कोई डेढ़ साल से ज्यादा का समय हो गया है, कितनी एप्लीकेशन्स दी गयी, उनकी पत्नी की ओर से मुख्य मंत्री जी को भी प्रार्थना-पत्र दिया गया लेकिन वे अब भी सस्पेंड पड़े हुए हैं और सरकार का दुगना खर्चा होने की नौबत आ गयी है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन चाहे पुलिस का हो जब तक शासक वर्ग उसके लिए प्रयास नहीं करेगा और अपने कार्यों से यह साबित नहीं करेगा कि निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं तब तक प्रशासन में कोई सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको जनता को स्वच्छ प्रशासन देना है तो आपको ईमानदारी से काम करना होगा और यदि ऐसा न हुआ तो यह आप पर कलंक होगा और आप जवाब नहीं दे पायेंगे।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)––

माननीय अध्यक्ष, महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं, उनका समर्थन करता हूं।

आज इस आदरणीय सदन के समक्ष ३ अनुदान हैं। एक राज्य आबकारी, दूसरा है सामन्य प्रशासन और तीसरा है पुलिस। सामान्य प्रशासन के संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आपकी जो इस संबंध में विचारधारा है स्वच्छ प्रशासन हो, उनके बिलकुल विरुद्ध जिलों में कार्य हो रहा है। हमारे यहां पर कचेहरियां ११ बजे से ५ बजे तक चलती हैं। समय की कोई पाबन्दी नहीं है और हमारे डिवीजनल कमिश्नर को १२ बजे अपराह्न से ५ बजे तक सोते हैं। जब हम विधायक गण ही उन से समय में नहीं मिल सकते हैं तो साधारण जनता को उनसे क्या न्याय की आशा कर सकती है। हमारे यहां के कांग्रेस जनों ने और हम लोगों ने लिख कर दिया है और माननीय मुख्य मत्री जी के पास भी लिखकर भेजा है

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामचन्द्र विकल पीठासीन हुए।)

लेकिन आज तक माननीय मुख्य मंत्री ने हम लोगों के निवेदन की ओर कोई

[श्री जगदम्बा प्रसाद—]

ध्यान नहीं दिया। जब एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हम लोगों से ही नहीं मिलेंगें, विधायकों की परवाह नहीं करेंगे, फिर आम जनता की तो बात ही दूसरी है, उनका क्या भला हो सकता है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान एक उस घटना को ओर दिलाना चाहता हूं जिस पर अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिये। एस० वी० डी० की सरकार में जब यही मु य मंत्री थे और हमारे यहां एक सम्मेलन में गये थे तो जैतपुर, जिला फैजाबाद की जनता मे वहां के थानेदार पहाड़ी सिंह के विरुद्ध उनके अभद्र व्यवहार की शिकायत की थीं और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। माननीय मुख्य मंत्री ने उस वक्त मुझसे कहा था कि चूंकि मैं वहां का विधायक हूं, अतः मैं उस सबंध में उनको लिख कर दूं। मैंने उनके बारे में लिख कर भी दिया। किन्तु चूंकि संविद की सरकार फेल हो गई, उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इस सबंध हमारे यहां एक अन्य कार्यकर्त्ता ने भी माननीय मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें रिश्वत आदि लेने के आरोप हैं। किन्तु अभी तक वह थानेदार वहीं मौजूद है और उस भ्रष्ट थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी तरह की और भी कई घटनायें हैं।

इस सरकार के आदेश हैं कि थाने में रिपोर्ट सभी लिखी जाया करें। लेकिन उसका पालन लेशमात्र भी नहीं हो रहा है हमारे फैजाबाद जिले में तो डकैती तक की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और उनकी तफतींश नही हो ली। जब हम उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास इतने थानेदार नहीं हैं कि हम सब जगह की तफतीश कर सकें। हर एक जिले के पुलिस अधीक्षक ने अपने यहां एक परिपत्र जारी कर रखा है कि जितने भी काग्नीजेविल आफेंस हों वे अदम तफतीश कर दिये जायं। इस सबंध में यहां पर सदन में प्रश्न भी किये गये थे। यह बात बिलकुल सही है कि आज काग्नीमजेविल आफेंस की भी थानेदार तफतीश नहीं करते। आप इस बात की जांच कराएं कि आपने जो इस संबंध में आदेश जारी कर रखें हैं उनका कहां तक पालन हो रहा है और जनता को उससे कहां तक लाभ पहुंचा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस प्रशासन को चुस्त करने का प्रयत्न किया है, लेकिन उस दिशा में उन्हें तनिक भी सफलता नहीं प्राप्त हुई है। जिलों में जो बी० के० डी० के सदस्य हैं वे शासन में इतना हस्तक्षेप करते हैं कि उसके कारण अधिकारीगण ठीक तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वास्तविकता का यह प्रमाण है कि हमारे यहां के अच्छे-अच्छे अफसर के खिलाफ भी, जो उनके इच्छाओं के विपरीत होते हैं, कार्यवाही की गई है हमारे यहां वी० के० डी० के कुछ ऐसे नेता प्रभावशाली हो रहे हैं, जिनसे हमें और हमारे यहां की जनता को बहुत कठिनाई उपस्थित हो रही है। इस तथ्य को मैं इस सदन से छिपाना उचित नहीं समझता हूं। आज मुख्य मंत्री जी को इस बात की सही जानकारी होनी चाहिये। ऐसे अफसर जो भ्रष्ट हों उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय, किन्तु जो कार्य सही रूप से कर रहे हैं उनके विरूद्ध व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्ति विशेष के कहने पर कार्यवाही करनें का कोई कदम नहीं उठाना चाहिये।

अब मैं आपसे उस प्रशासन के संबंध में जिसे जनरल एडमिनिस्टेशन कहतेहैं, कुछ कहना चाहता हूं आप कहते हैं कि हर थाने पर जीप की व्यवस्था होनी चाहिये, जो बहुत जरूरी भी है। लेकिन उसके लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस का जनता से नजदीक का संबंध होना चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि उनके लिये तेज व्हीकिल की अवश्य व्यवस्था हो। आजकल के थानेदार साइकिल पर चलते हैं। घोड़े का एलाउन्स लेते हैं, लेकिन उनके पास घोड़ा नहीं है। उनके लिये जीप की व्यवस्था हो या फिर वही पुरानी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे कि वे दूर के और दुर्गम स्थानों पर सरलता से शीघ्र पहुंच सका करें।

आज एक आबकारी का भी अनुदान पेश है। विरोधी पक्ष के एक सम्मानित सदस्य ने मद्य निषेध की बड़ी अच्छी वकालत की है, मैं उनके विचारों से सहमत हूं। लेकिन मैं इस आदरणीय सदन के सामने १९६२ के पहले जब मुख्य मंत्री चन्द्रभानु गुप्त थे उस समय की बात

कहना चाहता हूं इसका प्रचार इससे ज्यादा कई जिलों में था। और कुछ जिलों में २५–२५ शराब की भट्ठियां चलती थीं और सरकारी कर्मचारी जनता से पैसा ले रहे थे और यह चीज बिलकुल असफल हुई। इसलिये केवल मद्य-निषेध कानूनी तौर से करने से काम नहीं चलगा, उसके साथ-साथ सामाजिक सुधार और सामाजिक दण्ड की भी व्यवस्था करनी चाहिय। शराबी व्यक्तियों का जब तक समाज से बहिष्कार नहीं होगा तब तक कानूनी रूप से बन्द करने से उसका लाभ नहीं हो सकता।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)––

अधिष्ठाता महोदय, कीचड़ कभी कीचड़ से साफ नहीं होता है। उसको साफ करने के लिये सदैव स्वच्छ जल की आवश्यकता हुआ करती है। कोई परंपरा गलत चली आ रही है इसलिये यह सरकार भी उसी पर चलती रहे, यह सरकार की गल्तियों का समर्थन करने के लिये कोई उचित तर्क नहीं हो सकता है। वैसे पिछले समय में यदि कोई गलत परम्परा रही है तो उसको बनाने में, बढ़ाने में इस सरकार के मुख्य मंत्री का भी एक मुख्य रोल रहा है। इस समय जो अनुदान चल रहा है, उस पर विरोधी पक्ष की तरफ से जितनी बातें कही गई है, उसमें से तमाम मामलों में, हमारे लिये तो कहा जायगा कि विरोधी पक्ष के हैं इसलिये विरोध करते हैं लेकिन राज पक्ष की ओर से जितने सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किये हैं––उनके भाषण में और विचारों में विरोध पक्ष की ओर से जितने तीखे प्रहार किये गये उससे ज्यादा तीखे प्रहार किये गये हैं। उनमें इतनी गर्मी बढ़ी कि पूर्व या पश्चिम, पहाड़ी इलाका या मैदानी क्षेत्र या बुन्देलखण्ड का प्रश्न उठाकर प्रदेश के बटवारे तक की भी बात कही गई है और यह सारे बटवारे की बात शुरू हुई राजपक्ष की ओर से। श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है। राम, कृष्ण, गौतम, तुलसी और सूर की इस साझे की धरती का बटवारा हम कभी होने न देंगे और कभी भी बटने नहीं देंगे चाहे जो भी कठिनाई हमारे सामने आएं और चाहे अविकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों का तमाम अनुदान और खर्चा बन्द करके, विकसित करना पड़े। यह सरकार घोषणा करे तो ज्यादा अच्छा हो। चूंकि राज पक्ष के सदस्यों की ओर से इस सरकार की कटु से कटु आलोचना हुई है इसलिये इस सरकार के लिये अपने बजट पर नये सिरे से विचार करना जरूरी हो गया है।

किसी भी शासन के संचालन के लिये कुछ सिद्धान्तों की आवश्यकता होती है और उनका पालन जरूरी होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वर्तमान सरकार के कौन से सिद्धान्त हैं। मैं दो-तीन मिसालें बताना चाहता हूं। सड़कों का उदाहरण ले लीजिए। १९६५–६६ की पुरानी तराई स्कीम में जितनी सड़कें चल रही हैं वे अधूरी पड़ी हैं। खीरी जिले में ऐसी अधूरी सड़क के लिये एक भी पैसा नहीं रखा गया है। निघासन-बैलरांया रोड़ पर सरयू का पुल अधिक बाढ़ के कारण टूट कर बह गया था। उसकी मरम्मत के लिये इस बजट में एक भी पैसा नहीं रखा गया है। यह सरकार केवल घोषणाओं के आधार पर जिन्दा रहना चाहती है। आरम्भ में इस सरकार ने एक नई भूमि की सीलिंग की घोषणा की और सीलिंग नयी हो या पुरानी उसका विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन वह घोषणा बिना इस बात का ध्यान रख कर दी गई कि जो पुरानी सीलिंग में जमीन उपलब्ध हुई उसका क्या परिणाम हुआ, उसका सरकार ने क्या किया? अब नई सीलिंग की घोषणा कर दी। उसका यह प्रभाव पड़ा कि गांव और शहर का बहुत बड़ा भेद पैदा हो गया। शहर में पेय जल के लिये बजट में अधिक साधन जुटाये गये हैं। शहर में बच्चों की शिक्षा के लिये गांव के अनुपात से इस बजट में अधिक व्यवस्था है। गांवों का बुद्धजीवी समझने लगा है कि जिसके पास थोड़े भी साधन हों, उन साधनों को बटोर

[श्री करन सिंह]

कर उसे शहर की तरफ चलना चाहिये । क्योंकि सारी हदबन्दी गांवों पर ही लागू होने वाली है उसका नतीजा हुआ कि जिलों में पुरानी तारीख बदल कर स्टाम्प बेचे गये। एक-एक रुपये के स्टाम्प की कीमत २०-२० रुपये हो गई। अगर अब सीलिंग आयेगी तो उसका कोई नतीजा नहीं होगा। जैसा फल सरकार सोचती है नहीं निकलेगा। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि सीलिंग आये लेकिन गांव और शहर की एक साथ आये। सरकार जो गांव और शहर का भेद बढ़ाना चाहती है यह सरकार के लिये शोभा नहीं देता।

आज गन्ने के सवाल को ले लीजिए। खीरी जिले में ४०-५० फीसदी तक गन्ना कहीं कहीं पर अभी खड़ा है। और जिस क्रम से सप्लाई हो रही है अगर वही क्रम चलता रहा तो सितम्बर तक भी गन्ना सप्लाई नहीं हो पायेगा। बरसात शुरू हो गई है और आगे शायद जल्दी शुरू हो, या अगर २२ जून, वाली बारिश भी शुरू हो गई तो खास कर तराई इलाके में जहां सड़कें नहीं हैं खेत में गन्ना खड़ा रह जायगा और किसान को बहुत बड़ा घाटा होगा। सरकार मिलों को सूखे का पूरा मुआविजा देती है। तो क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि किसान का गन्ना सूखे के कारण जो खेत में खड़ा रह जाता है, उससे जो क्षति होने वाली है उसका भी सरकार भर पायी करेगी ?

मैं आपका एक विशेष समस्या की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। जब देश और प्रदेश में सामान्य स्थिति हो तो राज्य का बजट और व्यवहार सामान्य तरीके से चलता है लेकिन इस समय देश और प्रदेश में कहीं सामान्य स्थिति नहीं है। आज चारों तरफ से नक्सेलाइट की खबरें आ रही हैं। आज ही अखबारों में माओ ने तृतीय विश्वयुद्ध की तैयारी की घोषणा कर दी है लेकिन हमारे प्रदेश में व देश में विदेशों के पंचमांगी जिस तरह से अपनी कार्यवाहियों के जाल बिछा रहे हैं वह सोचनीय बात है। सरकार पक्ष की ओर से बिना सोचे समझे काररवाइयां को बढ़ावा मिलता है, यह मेरा इस सरकार पर चार्ज है। इसी बजट की चर्चा के सिलसिले में बहुत से सदस्यों ने खास कर कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने खीरी जिले को खासतौर से हिन्ट करते हुए कहा कि वहां पर जमीन की समस्या है और अगर वह हल नहीं हो पाती है तो जो तरीका नक्सलाइट्स अख्तियार कर रहे हैं वह ठीक है। मैं सरकार से निवेदन करता चाहता हूं कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है। हम समस्याएं रहती हैं और हैं और नई पैदा होंगी और उनके समाधान के बाद भी कुछ अन्य आवश्यकता बनी रहेंगी लकिन क्या उनके समाधान के लिये हिंसात्मक तरीका अख्तियार करना चाहिए और क्या उनके सामाधान के लिये विदेशों की तरफ हमेशा टकटकी लगाये रखना चाहिये ?

कुछ दिन पूर्व भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्ता जी ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी बहुत दिल्ली की सरकार पर है, बहुत से लोगों ने उसकी आलोचना की और इस मौजूदा बजट में भी हमारे वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि बहुत अंशों में आर्थिक व सामाजिक दायित्व केंद्र का है। यह भो साधारण बात है। असाधारण बात यह है कि आज भूमि की समस्या हमारे यहां बहुत विषम हो गई है और खासतौर से तराई के इलाके में बहुत सी जमीनें गांव समाज की हैं, सीलिंग की हैं, भूदान की हैं और बहुत सी जमीनें पुनर्वास योजनाओं की हैं जिनकी मिल्कियत तो सरकार की है लेकिन उन पर बहुत से लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं और वे अनधिकृत कब्जे करने वाले लोग उस क्षेत्र में नहीं हैं बल्कि दूसरी जगहों के निवासी हैं जिन्होंने जमीन के अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं। इस सरकार ने यह कहा है कि एक साल के अन्दर तराई के इलाके में वह ऐसी जमीनों का बटवारा करेगी लेकिन सरकार को निश्चित घोषणा करनी चाहिये थी कि इतने समय के अन्दर वह उस जमीन को अनधिकृत कब्जों से निकालेगी लेकिन उसकी कोई तिथि सरकार ने मुकर्रर नहीं की।

यह एक समस्या है जमीन की अपने जगह पर और नक्सलाइट मूवमेंट वाले जमीन की बात करते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसन जमीन की समस्या को लेकर किसी गांव अथवा प्रदेश के किसी हिस्से में सेवा की हो, जिसने

लेबर यूनियन बनाई हो, किसी बड़े फार्म वाले का काम बन्द कराने की कोशिश की हो अथवा फार्म मजदूरों को राहत पहुंचाने की कोशिश की हो। हां, उन्होंने कुछ बड़े-बड़े फ र्म वालों से चन्दा वसूल करने की कोशिश जरूर की होगी। कुछ फार्म जरूर ऐसे बनवा लिए कि जो एक रुपया चन्दा दे तो उससे उन्हें जमीन दिलवा देंगे, यह वायदा करते हैं। पहली शर्त रखी कि जमीन दिलवा देंगे। अगर नहीं दिलवा सके तो उनकी घोषणा है कि १ जुलाई के बाद जमीन पर वह जबरदस्ती कब्जा करा देंगे।

अब कब्जे की हालत आप जरा सुनें। खीरी जिले से मिला हुआ नेपाल राज्य है जिसकी सीमा ९२ मील तक खीरी जिले से मिलती है। उस सीमा क उस पार नेपाल के भीतर नक्सलाइटों ने तथा ऐसे कई परिवारों ने हजारों एकड़ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। नेपाल के उन ५–६ सौ परिवारों को नेपाल सरकार ने इस महीने के प्रथम सप्ताह में निकाल दिया और वे लोग लखीमपुर खीरी के पालिया कस्बे में रहने लगें। वे ऐसे नारे लगाते रहे और ऐसी हरकतें करते रहे कि जिससे हमारे और हमारे मित्र नेपाल देश के संबंध बिगड़ जाएं। बहुत से नेपाल के जन-कार्यकर्त्ताओं ने मुझसे इसकी शिकायत की। ७–८ आदमी इस संबंध में दिल्ली भी गये और वहां से वापस आने के बाद इसी रिजर्व वन के रेंज, पलिया की नेपाल से मिली हुई सीमा पर जबरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया। हमारी सरकार उन्हें हटाने में और रोकने में किसी भी प्रकार से सक्षम न हो सकी। जो डेलीगेशन प्रधान मंत्री से दिल्ली में मिलने गया था उसने हमारे प्रधान मंत्री के साथ बैठकर फोटो खिचवाई वह फोटो रखी हुई है और उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री करनसिंह––

श्रीमन्, दो मिनट में खत्म करता हूं। श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरे प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने ८ तारीख को स्वीकार किया था कि मैं आज ३ साल से बराबर कहता आ रहा हूं। उनसे कोई बात छिपी नहीं है। उन्होंने कहा था––ओपन ब्रीच आफ वायोलेंस को इल्लीगल करार देना चाहिये मुख्य मंत्री ने यह भी कहा था कि यह प्रश्न भारत सरकार का है। हम सी० आर० पी० सी० में और दूसरी दफा में तब्दीली भी कर रहे हैं पर यह भारत सरकार की कांक्रीट लिस्ट में है। भारत सरकार ने ६ तारीख को राज्य सरकारों को एक परिपत्र द्वारा यह सूचना दी है कि मौजूदा जो कानून है उसमें इतनी शक्ति निहित है कि उससे नक्सलपंथियों से निपटा जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खीरी जिले में जितने नक्सलपंथियों द्वारा चुनौतियां दी गई हैं मुझे स्वीकार है और मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मैं नक्सलपंथियों, कम्युनिस्टों और प्रत्येक ऐसी संस्थाओं व व्यक्तियों का शत्रु नम्बर एक हूं जो विदेशी इशारे पर चलतीं है पिछले महीने की १२ तारीख को रवीन्द्र नाथ सिंह को जान से मार डालने के लिये नक्सलपंथियों द्वारा हमला किया गया था और माननीय अध्यक्ष ने उस पर मेरा प्रश्न नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना देने के लिये स्वीकार किया था। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका निराकरण होना चाहिये। मैं आपके द्वारा सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं कि समय है जब कि चारों तरफ से सोच समझकर इस समस्या का मजबूती के साथ निराकरण किया जाय। तो लोग जबरदस्ती कब्जा किये हुए हैं, जबरदस्ती कब्जा करते हैं उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया जाय। मैं आपके माध्यम से सरकार से यहां तक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग माओ की जय बोल कर इस देश में रहना चाहते हैं उनसे लखीमपुर की जनता अपनी जिन्दगी की आखिरी सांस और खून की आखिरी

[श्री करन सिंह—]

बूंद तक लड़ने को तैयार हैं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चाहे यह भी अधिकार ले ले कि इस प्रकार की हरकतें करने वालों को सूट ऐट साइट कर देना चाहिए। लेकिन इसका कुछ न कुछ निराकरण जरूर होना चाहिये। आज इस समय जबकि बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं, वहां गुरुदेव रवीन्द्र और स्वामी विवेकानन्द ने जो शांति और विश्व-बन्धुत्व का उपदेश दिया है उसके ऊपर पानी डाल कर लाल सैनिक इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो हमें पहले ही सतर्क हो जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने कल जो स्पीचेज हुई हैं चीफ मिस्टिर के डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स के बारे में उनको बहुत गौर से सुना। खासतौर से मैंने आचार्यजी को बहुत कुछ समझने की कोशिश की। आचार्य जी ने अपनी स्पीच में कुछ तो यह बताया कि उनकी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किये थे, कुछ बताया कि आजकल जनता को क्या-क्या तकलीफ है। उन्होंने कहा कि करेप्शन रफा होना चाहिये। उन्होंने कहा प्रोहिबिशन कम्प्लीट होना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि यह पोलिटिकल प्रेशर जो आफिसर्स के ऊपर आ रहा है इसको रफा करना चाहिये। जिस वक्त वह स्पीच दे रहे थे मैं सोच रहा था कि आज एक साल हुकूमत में रहने के बाद यह "हाय जनता की आवाज उनके मुंह से कैसे निकल रही है। एक साल उन्होंने उसी जनता पर हुकूमत की जिसके ऊपर आज चौधरी चरणसिंह हुकूमत कर रहे हैं। उस वक्त यह 'हाय जनता" की आवाज कभी नहीं निकली। यह मेरे दिमाग में खयाल आया कि जिस तरह से चाहे जितना बड़ा एथीस्ट हो, जब वह मरने लगता है या मरने के करीब होता है तो वह 'हाय भगवान" कहता है। उसी तरह से जब हुकूमत की कुर्सी निकल जाती है तो मिनिस्टर्स पर्ब्लिक्ली तो " हाय जनता" कहते हैं, शायद घर में "हाय कुर्सी' कहते है। मगर न "हाय जनता" से कोई काम चलता है और न 'हाय कुर्सी से। जिस वक्त वह अपनी तकरीर में कह रहे थ कि प्रोहिबिशन होना चाहिये, करप्शन रफा होना चाहिये। उस वक्त मेरे दिमाग में अंग्रेजी की वह मसल आयी जिसमें कहते हैं : "सैटन प्रीचिंग मोरैलिटी"। आखिर आप इतने दिनों तक हुकूमत में रहे, इस करप्शन का आपको अन्दाजा उस वक्त तक नहीं हुआ। क्या आपके सामने इस तरह के मामलात नहीं आये थे जिसमें करप्शन को रफा करना चाहिये था ? क्या आपके कानों तक जनता की आवाज नहीं पहुंची ? जनता चिल्ला रही थी, आपको दरख्वास्तें दीं लेकिन आपने उनकी चिल्लाहट और दरख्वास्त पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो आपके पास दो-चार मोटे आदमी, पैसे वाले आदमी जा कर कह देते थे वही आपके दिमाग में आ जाता था। मगर गरीबों की आवाज आपके कान तक नहीं पहुंचती थी। खैर, इतनी देर में जनता का खयाल आया तो " देर आयद दुरुस्त आयद"। मुझे खुशी है कि देर में सही किन्तु जनता की भलाई का आपके दिल में खयाल तो पैदा हुआ। थोड़े दिन अपोजीशन की कुर्सियों पर बैठिये, थोड़े दिन पावर से अलग रहिये, शायद गांधी जी के चेले होने के बावजूद जो आप में खराबियां आ गयी थीं वह रफा हो जायं और फिर आप अपने को जनता की सेवा करने के काबिल बना लें। अभी तो सूरत यह है कि आपने २० साल तक हुकूमत की। जनता को पूरा तजुर्बा हो गया कि किस तरह आपके दौराने हुकूमत में अमीर और अमीर हो गये। अमीरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ। गरीबों पर ज्यादा से ज्यादा जुल्म हुए। वह आपके दरवाजों पर आकर खटखटाते थे, आपसे कहते थे कि हमारी मदद करो, मगर अक्सर जगह तो मिनिस्टर साहबान से मुलाकात ही नहीं होती थी। जैसा कि मैंने कहा है, अब खयाल आया, आज आया और मुझे उम्मीद है कि यह खयाल कायम रहेगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)––

मैं समझता हूं किदवाई साहब "आप" शब्द जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिये कहते हैं। लेकिन वह शायद भूल गये कि वह भी उन कुर्सियों पर थे जिन पर हम थे और चरण सिंह जी भी थे और रावत जी भी थे सन् ४६ से।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई––

दोनों तरफ के कांग्रेसी बराबर के पापी सही इसे माने लेता हूं। लेकिन यह अपनी जगह सच है कि आपने कुर्सी से उतरने के बाद ही सिर्फ जनता का खयाल किया, मेरी तरफ के लोग कुर्सी पर बैठने के बाद भी जनता की भलाई का खयाल कर रहे हैं––फर्क यही है।

श्री बंशीधर पांडेय––

किदवाई साहब जब नौकर थे जवाहरलाल के तो बाहर रहा करते थे तब उनको कहां खयाल था जनता का ?

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई––

मेरी जिन्दगी में यदि कोई साहब एक भी वाकया बता दें कि मैंने कभी जनता की खिदमत में कोताही की है तो मैं इस एम० एल० ए० शिप से भी इस्तीफा देने को तैयार हूं और अपनी पेंशन भी वापस करने को तैयार हूं। मैंने कोई ऐसा काम अपनी जिन्दगी में नहीं किया है कि मैं किसी के सामने अपना सिर नीचा कर सकूं, हमेशा मेरा सर ऊंचा रहेगा।

अभी प्रोहीबीशन की चर्चा करते हुए आचार्य जी ने कहा कि कम्पलीट प्रोहीबीशन होना चाहिए। जहां तक प्रोहीबीशन का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई इंसान जो मौजूदा हिन्दुस्तान में पैदा हुआ है, जिसने गांधी जी के प्रचार को सुना है और कुछ किताबों को पढ़ा है जिसमें शराबनोशी के नुक्सानात लिखे हुए हैं और जिसने शराबनोशी के नुक्सानात को खुद देखा है वह उसके खिलाफ हो सकता है। मैं पूरे तरीके से कम्प्लीट प्रोहीबीशन का हामी हूं, हालांकि मुझको अपनी नौकरी के जमाने में शराब पिलानी पड़ी, मगर मैंने खुद शराब नहीं पी और मैं उसका पूरा फायदा उठाता था कि शराब पीकर इंसान बेवकूफ बनें और मुझको सब कुछ बतावें जो उनके दिल में है। तो मुझे शराबनोशी के सब नुक्सानात मालूम हैं। कोई शख्स यह नहीं कह सकता कि शराबनोशी अच्छी चीज है, मगर पालिटीशियंस को और ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को दुनियां में प्रैक्टिकल आदमी होकर रहना चाहिये, आइडियलिस्ट नहीं होना चाहिए। क्या हमने दुनियां में नहीं देखा हैं, क्या यह हकीकत नहीं है कि दुनियां के दूसरे मुल्कों में कम्पलीट प्रोहीबीशन को नाफिज़ करने की कोशिश की गयी मगर वह फेल हुए ? आपके अमेरिका ने बहुत दिनों तक कोशिश की, मगर नाकामयाब हुए। आपके यूरोप में प्रोहीबीशन के बहुत से लोग कायल हैं, मगर नाकामयाब हुए। आखिर में वह इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे लिए यही एक तरीका है कि हम लोगों को एजूकेट करें, लोगों को परसुएड करें और लोगों को तलकीन करें कि भाई, तुम शराब न पियो। उसके साथ ग्रैजुअली प्रोही-बीशन जो ला के जरिये से हम कर सकते हैं वह करते रहें। मैं समझता हूं कि जो तरीका गवर्नमेंट पालिसी में अडाप्ट किया गया है वह लाजिकल भी है और करेक्ट भी है।

आप ला के जरिये कम्पलीट प्रोहीबिशन कभी नहीं कर सकते। आपको यह भी देखना है कि आपके फाइनेंसेज पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा, आपको यह भी देखना है कि इस माली नुक्सान के बावजूद पब्लिक का पूरा फायदा नहीं होता है। ऐसे प्रोहिबिशन से पुलिस को करप्शन करने का एक और जरिया मिल जाता है। पुलिस वाले प्रोहिबिशन में मुकामात

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

पर वह खुद भी जाकर पीते हैं और दूसरे को भी पिलाते हैं और वापसी में १०-२० रुपये जेब में रख कर चले आते हैं। हिन्दुस्तान के सूबों में जहां-जहां भी प्रोहीबिशन हुए, जैसे बम्बई में हुआ या दूसरे सूबों में हुआ, क्या आप का प्रोहीबिशन कामयाब हुआ ? क्या आपका वह एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ ? नहीं हुआ। फिर कोई वजह नहीं है कि यू० पी० में भी वही हिमाकत की जाय। चौधरी चरण सिंह प्रैक्टिकल पालिसी एडाप्ट कर रहे हैं वे ऐज ए प्रिंसिपुल प्रोहीबिशन को एक्सेप्ट करते हैं। उसके साथ वे यह भी कहते हैं कि नयी दूकानें न खुलेंगी। वे यह भी कहते हैं कि अगर गांव के एक बटा चार आदमी कह देंगे कि हमारे मौजे में शराबनोशी बन्द की जाय तो वह बन्द की जायेगी। वे यह भी कहते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को परसुएड करेंगे कि वे शराब न पीयें। यह एक दिन का प्रोसेस नहीं है, यह महीनों और सालों का प्रोसेस है। प्रैक्टिकल पोलिटिशियन को इसी प्रोसेस को एडाप्ट करना चाहिये। आइडियलिज्म बहुत अच्छी चीज है लेकिन प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आइडियलिज्म बेकार जाती है।

दूसरी चीज--आचार्य जी ने करप्शन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। अगर वे यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या बात है कि आप करप्शन को रफा करना चाहते हैं। यहां से हटने के बाद उनके दिल में जनता के लिये दर्द पैदा हो गया जो पहले नहीं था या मुमकिन है कुर्सी से हटने का दर्द है या वाकई जनता के लिये दर्द है, मुझे नहीं मालूम। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर करप्शन आप वाकई हटाना चाहते हैं तो उसके रास्ते हैं। वे रास्ते वही हैं जिन पर चलने की यह सरकार कोशिश कर रही है। सरकार कहती है कि करप्शन के लिये हम सख्त से सख्त सजा देंगे। जो लोग करप्शन करेंगे हम उनका ट्रांसफर करेंगे, उनको सस्पेंड करेंगे। जब सरकार करप्शन के लिये सख्ती करने लगती है तब आप कहते हैं कि सख्ती मत करो। तो अगर आप करप्शन को वाकई में रफा करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है जो चौधरी चरण सिंह जी एडाप्ट कर रहे हैं यानी करप्ट आफीसर को सख्त से सख्त सजा दी जाय। आज आप तीन महीने के अन्दर ही करप्शन को रफा करने की बात कहते हैं जब कि आपने खुद २० वर्ष में करप्शन को बढ़ा दिया। जब तक आफिसरों के दिमांग में यह बात नहीं आयेगी और उनको अन्देशा नहीं रहेगा कि अगर करप्शन दूर नहीं हुआ तो हमें सख्त से सख्त सजा मिलेगी तब तक करप्शन दूर नहीं होगा। और यही वजह है कि गुजिस्ता तीन महीने के अन्दर ही जब से नया ऐडमिनिस्ट्रेशन आया है, करप्शन में बहुत कुछ कमी हो गयी है। मैं यह नहीं कहता हूं, हालात जो कुछ हैं, पुलिस में, मैजिस्ट्रेसी में या दूसरे आफिसेज में करप्शन में बिलकुल कमी हो गयी है। हम ज्यादा से ज्यदा सख्ती करने के हामी हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जाय चाहे उसमें एकाध बेगुनाह भी फंस जाय लेकिन इस देश के लाखों बेगुनाह जनता का फायदा उसी वख्त हो सकता है जब करप्शन विल्कुल खत्म कर दिया जाय। मैं देख रहा हूं कि हिन्दुस्तान में और खासतौर से इस सूबे में जनता पर कितने जुल्म होतेहैं। अगर कोई आदमी थाने में जाता है तो पहले तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और उसके बाद अगर लिखी जाती है तो उसके लिये पैसे देने पड़ते हैं। रिपोर्ट के बाद कोई इनवेस्टिगेशन नहीं होता। इनवेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में केस जायगा तो वहां भी रिश्वत चलेगी। अगर हम किसी दफ्तर में जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमें कुछ पैसे दिखाओ। अगर वह चांदी का होता तो कुछ चीज भी थी लेकिन कागज का पैसा दिखलाने पर फौरन उसका काम तेजी से होने लगता है। और हम करप्शन को रफा करना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है जो चरण सिंह जी कर रहे हैं। और मैं इस मामले में उनके पूरी तरह साथ हूं ....

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप देख रहे हैं जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अनुदानों पर यह सदन बहस कर रहा है लेकिन श्रीमन्, न तो माननीय मुख्य मंत्री जी

है और न तो उनके उप मंत्री जी हैं। श्रीमन्, इस चीज को आपको देखना होगा कि जनरल ऐडमिस्निट्रेशन पर विवाद के समय वे सदन में रहें। आदरणीय सदन में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चर्चा चल रही है, और मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, उप मंत्री जी भी मौजूद नहीं हैं। श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप हिदायत कर दें कि कम से कम जब पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन की ग्रान्ट्स पर चर्चा चल रही हो तो मुख्य मंत्री जी या होम डिपर्टमेंट से जो संबंधित हों वह यहां मौजूद रहा करें।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

श्रीमन्, मैंने ही मूव किया है और मैं यहां बैठा हूं।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

करप्शन इस तरह से रुक नहीं सकता। आपको २० साल की तवारीख देखना होगा...

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, क्या चौधरी चरण सिंह से ज्यादा राजनैतिक करप्ट नेता आपकी नजर में कोई है ?

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

अगर करप्शन रोक नहीं सकते हैं तो मिनिस्टर साहबान खुद करप्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि चौधरी चरण सिंह के वक्त में करप्शन जरूर रुकेगा।

दो चार प्वाइन्ट्स मुझे और कहने हैं ला एण्ड आर्डर के ऊपर।

श्री अधिष्ठाता—

आपको जो हमने समय दिया था वह खत्म हो गया।

*श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, जो यह कटौती का प्रस्ताव कल पेश हुआ था मैं उसके पक्ष में हूं और इसलिये पक्ष में हूं कि हमारा प्रदेश भारतवर्ष में सब प्रदेशों से पिछड़ा प्रदेश है। हम कृषि और उद्योग में पिछड़े हुए हैं और यही नहीं, जब कभी इस गवर्नमेंट को अनुदान दिया गया उसको पूरे तौर से उन्होंने खर्च नहीं किया। मुझे मालूम है, जो हमारे पास लिस्ट है उसमें दिया है कि १९६१-६२ में ५,२२,८५,४०० रुपये खर्च करने के लिये दिये गये, लेकिन वह खर्च नहीं हो पाये और ९६ लाख रुपया लैप्स हो गया। इसी तरह से जो १९६२-६३ में रुपया दिया गया उसमें से भी ८६ लाख रुपया लैप्स हो गया। इसी प्रकार से १९६६-६७ तक का सिलसिला है। यह मैं कृषि विभाग के बारे में बता रहा हूं। जब हमारे देश और प्रदेश के अन्दर भुखमरी और तबाही के बादल मंडरा रहे हों और उस वक्त भी रुपया खर्च न किया जाय, वह लैप्स हो जाय तो किसकी जिम्मेदारी है ? यही नहीं, इसी प्रकार से रुपया उद्योग विभाग में भी दिया गया। १९६१-६२ में ५,२१,३६,००० रु० दिया गया और उसमें से भी १,३५,११,६०० रुपया बच गया। इसी प्रकार से १९६९ तक रुपया बराबर लैप्स होता रहा। रुपया बराबर दिया जा रहा है कि उद्योग बढ़े, खेती की पैदावार बढ़े, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। नारा दिया जाता है कि हरी क्रान्ति हो रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो रुपया दिया जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सजीवन लाल]

रहा है कि इससे उद्योग बढ़ें, पैदावार बढ़े वह लैप्स हो रहा है। इतने दिनों में कई करोड़ रुपया लैप्स हो गया। फिर कहा जाय कि स्वच्छ शासन स्थापित करेंगे तो यकीन नहीं होता है कि वह स्वच्छता लायेंगे कहां से। वही अधिकारी हैं, वहीं अफसर हैं, वही नौकरशाही है जिसने इतने दिनों में प्रदेश को पिछड़ेपन का शिकार बना दिया।

आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया होता, लेकिन वह नहीं हो पाया। किसानों के साथ ख़ास तौर से घोर अन्याय होता है और यही नहीं, जब कभी किसानों ने अपनी वाजिब मांग रखी तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। किसानों को कर्ज उचित सूद पर नहीं दिया गया और यही नहीं, जो भी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिये थीं वह नहीं मिलीं और टैक्स उन पर बढ़ता गया। आपने सुना होगा कि सिंचाई की दरें बढ़ गई हैं। इस का सीधा असर किसानों पर पड़ता है। आज किसान अनाज तो पैदा करे लेकिन भाव उसके हाथ में नहीं है। भाव तय करता है हापुड़, चंदौसी, मेरठ और कानपुर का आढ़तिया। यही नहीं, जब किसान कर्ज लेता है तो वह कर्ज लेकर उसे मिट्टी में मिला देता है और फिर ढूंढ़ता है कि किस तरह से एक एक पैसा मिट्टी से निकाल कर अपनी खेती की पैदावार बढ़ाये। उद्योगपति जब कर्ज लेता है तो सीधा उससे मुनाफा कमा लेता है लेकिन किसान का पैसा पहले मिट्टी में मिल जाता है और फिर उससे निकाल कर खलिहान में ले जाता है और फिर मंडी में ले जाता है। हम तो कहते हैं कि इतना-इतना रुपया लैप्स हुआ और किसानों को सुविधाएं नहीं मिलीं, यह जिम्मेदारी किसकी है? अगर इसी तरह से बार-बार रुपया देते रहे और उसका उपयोग ढंग से न हुआ तो हमारे प्रदेश का भविष्य अन्धकार में रहेगा।

उद्योगों के बारे में भी चर्चा हुई है। यह भली प्रकार से सब को ज्ञात है कि हमारे प्रान्त में २१ जिले बहुत पिछड़े हुए हैं जो भारतवर्ष के किसी सूबे में नहीं हैं। तो यह किस की वजह से है? हमारे यहां जो शासन कायम है उसकी वजह से यह हुआ है। हमारे देश में बेकारी बढ़ रही है और प्रदेश में बेकारी बढ़ रही है। एक तरफ लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है और दूसरी तरफ लाखों किसान और मजदूर बेकार घूम रहे हैं। अगर यह जमीन उन लोगों को दे दी जाती तो बेकारी की समस्या भी बहुत कुछ दूर हो जाती और उससे खाद्य समस्या भी हल होती। लेकिन यह नहीं हुआ। दोनों में समन्वय नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से हमारे प्रदेश में बेकारी बढ़ रही है। आज उद्योग किस के पनप रहे हैं? उद्योग उनके पनप रहे हैं जिनके पास पैसा है। पूर्वी प्रान्त के अन्दर न तो कोई विलेज इन्डस्ट्री है और न उसके लिये कोई बढ़ावा मिल रहा है। लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि हम गांवों में भी उद्योग बढ़ा रहे हैं। या तो लोग शराब बना रहे हैं या तमन्चा और पिस्तौल बना रहे हैं और कहते हैं कि यह गृह उद्योग है। श्रीमन्, तो इन चीजों को तभी रोका जा सकता है जब गांवों के अन्दर बेकारी दूर करने के लिये छोटे-छोटे उद्योग वहां पनपाये जायं। लेकिन होता क्या है? शहरों के अन्दर ज्यादा काम होगा और एक तरह से गांवों का शोषण शहर करता है। शहरों के मकान और शहरों की गलियां देहात का शोषण करता हैं। शहरों में बिजली लगे और सभी सुविधायें शहरों को मिलें लेकिन देहात को न मिले, यह ठीक नहीं है। अभी डालडा का मामला आया तो देहात को नहीं मिलेगा शहर को मिलेगा। शक्कर का मामला आया तो शहर वालों को ज्यादा मिलेगी और देहात वालों को नहीं मिलेगी जो कमाई करते हैं, उत्पादन करते हैं, परिश्रम करते है, उनको नहीं मिलेगी। आज देहात को तिरष्कृत नजर से देखा जाता है। अगर इस तरह होता रहा तो एक न एक दिन ऐसी प्रवृत्तियां पैदा होंगी जो इस तरफ बढ़ेंगी और वह देखेंगे कि हमारा शोषण कौन कर रहा है।

पुलिस ज्यादती देहातों के अन्दर करती है, यही नहीं पुलिस की छत्रछाया में, पुलिस की देखरेख में क्या होता है यह भी हमें मालूम है। अभी हमारे जिले के अन्दर पुलिस के सिपाही गिरफ्तार किये एक आदमी को ला रहे थे। थोड़ी देर बाद दूसरे आदमी आये उन्होंने उसे गोली

मार दी और पुलिस वाले भाग गये और लाश को बैलगाड़ी में रख कर भाग रहे थे। थाने के दारोगा आये लाश बरामद हुई। कप्तान साहब आये उनसे कहा गया कि आप भी देखे लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास फोर्स इतनी नहीं है और वह वहां नहीं गये। देश के अन्दर लालेसनेस बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। नैनीताल में ९ हत्यायें हुईं। नैनीताल और सितारगंज के बीच दो प्रधानों को चारपाई में बांधकर फूंक दिया। यह शासन है, यह हुकूमत है। इस तरह के अन्याय तमाम होते हैं। पुलिस के अन्दर व्यापक भ्रष्टाचार है। थाने के अन्दर रिपोर्ट लिखने के लिये कहते हैं कि दो रुपया वाली या पांच रुपये वाली लिखाना चाहते हो। मालूम होता है रिपोर्ट की बिक्री होती है। मुझे मालूम है कि यह कहा गया कि इन्दिरा जी की फोटो लगी है और रिश्वत लेना मना है लेकिन थाने पर कहा गया कि यहां रिश्वत दो आगे न देना। श्रीमन्, जब तक यह सरकार किसानों की समस्या, उनकी बढ़ती हुई बेकारी को दूर नहीं करेगी तब तक इस तरह का वातावरण हमारे प्रदेश में होता रहेगा चाहे उसको नक्सल पन्थी कहें या कुछ और कहा जाय।

अभी दो बातें नक्सलपन्थी के बारे में कही गईं। वह पैदा कहां से होता है ? उन्होंने खुद बता दिया कि कुछ बेकार लोगों की वजह से हुआ और उन्होंने यह भी बताया कि हजारों एकड़ भूमि लोगों ने गैरकानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है। बड़े-बड़े अफसरान, बड़े-बड़े उद्योगपति हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े फार्म लिये हैं। इस्लाम अहमद और भल्ला साहब और दूसरे अफसरों ने बड़े-बड़े फार्म ले लिये हैं। बड़े-बड़े अफसर हैं इनको हजारों रुपया पेन्शन भी मिलती है। उनको हजारों रुपया मासिक की आमदनी है, उनके मकान किराये पर उठे हैं, उन्हें हर तरह से फायदा पहुंच रहा है परन्तु जो गरीब है, भूखा है आज उसको जमीन नहीं मिलती है, जो फड़वा, कुदाली चला सकता है, गेहूं पैदा कर सकता है उसको आज जोतने के लिये भूमि नहीं है और जो मूंग और उर्द का तथा गेहूं और जौ का भेद नहीं जानता, उसको पहचान नहीं सकता है उन गरीबों से जमीनें निकाल कर ऐसे लोगों को दी जा रही हैं। चाहिये यह कि जो जानकार काश्तकार भूमिहीन हैं उनको भूमि दी जायें परन्तु यह नहीं किया जाता है। देश में किस प्रकार से ज्यादा उत्पादन होगा ? अब जनता ज्यादा सहन नहीं कर सकती है। जब गरीबों पर इस प्रकार से बर्बरता के साथ अत्याचार किया जाता है और वह अपना पेट भी नहीं भर सकता तब वह भूख को मिटाने के लिये पूंजीपतियों के एजेन्टों के खिलाफ नक्सलवादियों का नारा देते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरफ हमारी सरकार ध्यान दे, अपना रास्ता बदले भुभुक्षितः किं न करोति पापम्"। वह हर तरह की सभी चीजें करने के लिये तैयार हो जाता है। वह रास्ता कौन-सा अपनायेंगे, वह रास्ता यह है कि उनको भी जीने के लिये, पेट भरने के लिये साधन उपलब्ध करवाये जायें।

शहरों में जो सुविधायें दी गई हैं वे सुविधायें रोकी जायें और गांव के जन-जीवन को उठाया जाय। आज गांव के लोग अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं और वे शहरों की तरफ भाग रहे हैं, भुखमरी के कारण तबाही बढ़ रही है। किस दिन किसका कत्ल हो जाये, डकैती पड़ जाये, पुलिस की लूट हो जाय कहा नहीं जा सकता है। ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिये शासन में, प्रशासन में सख्ती जरूर आनी चाहिये। जो २० साल से नौकरशाही बैठी है, जो अंग्रेजों के पुराने नौकर बैठे हैं, जिनके हाथ भ्रष्टाचार में सने हुये हैं, उनके मुंह में भेड़ियों के समान जनता का खून लग चुका है उनक द्वारा हमारा कब कल्याण हो सकता है ? इसके अन्दर एक मूलभूत तब्दीली होनी चाहिये। ऐसे आदमियों को इस जगह पर लाया जाय जो स्वच्छ प्रशासन ला सकें। नौकरशाही के जरिये से समाजवाद नहीं आ सकता है।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)---

सदरे मोहतरम्, मुख्य मंत्री जी ने जिस अनुदान की मांग की है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मोअजिज दोस्तों ने अपने-अपने खयालात का इजहार किया उसी तरह से मैं भी यह कहूंगा कि अभी तक, जैसा कि हमारे मोअजिज मेम्बरों ने कहा, वह अपने जमाने की बात को भूल गये हैं। क्या तौर तरीके रहे थे। रिश्वतखोरियों और ज्यादातियों को वे भूल गये कि किस तरह से इनका बोलबाला था, यह शायद उनको याद नहीं रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरफ देखिये रिश्वतखोरी, बेईमानी और ज्यादतियां हैं और हमारी मौजूदा सरकार ने जो अभी कुछ ही अर्से पहले आई है इसको रोकने के लिये भरसक कोशिश की है। हमारी सरकार ने अभी कुछ ही अर्सा हुआ अपना चार्ज सम्हाला है और उसने इस दर्मियान में क्या-क्या किया है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से उनको माननीय सदस्यों के सामने रखता हूं। आज आबकारी का विषय है। महात्मा गांधी जी का भी कहना था कि नशाबन्दी होनी चाहिये। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब तक क्या हाल रहा? मेरे खयाल से करीब २० करोड़ से ज्यादा आमदनी इसके जरिये से है। क्या इस सौ दिन के अर्से में हमारी सरकार उसको खत्म कर सकती है? इसके पहले पहाड़ी जिलों में नशाबन्दी की गयी। इसी तरह से हमारी सरकार ने भी की। बनारस, इलाहाबाद, मथुरा में भी की। तो यह ठीक है कि नशा-बन्दी होनी चाहिये। इससे बहुत नुकसान है। लेकिन यह कानूनी तौर पर या सरकारी आदेश से न होकर बल्कि हम लोग जो जनता के प्रतिनिधि हैं अगर सामाजिक तौर पर काम करें तो यह हो सकता है। हमारी सरकार ने कदम उठा लिया है और मुझे उम्मीद है कि सरकार रही और हमने इस तरफ काम किया तो हम उसको जरूर कर पायेंगे हालांकि यह बहुत आसान काम नहीं है।

करप्शन की जो बात कही जाती है, बिलकुल सही है। पुलिस में बेइंतहां करप्शन है। लेकिन यह तो सोचिए कि यह कैसे हुआ। हमसे पहले जो सरकार थी उसने क्या सोचा, उसने क्या किया, आज चौधरी साहब १०० दिन के अर्से में पूरी तौर पर उसको समाप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक शेर है–रहे न रिंद यह वाइज के बस की बात नहीं, तमाम शहर है दो-चार दस की बात नहीं। अब उसमें जो सुधार उन्होंने किया है वह भी मैं पेश करता हूं। असिस्टेन्ट सबइंस्पेक्टर की जगह निकाली है और उसमें हेड मुहर्रिर तरक्की पायेंगे। करीब एक हजार की भर्ती होनी है। यह बात भी बिलकुल सही है कि जरायम बढ़ गये हैं। सन् ५० से अब तक अगर हम देखें तो आबादी ड्योढ़ी हो गयी। हमारे जरायम के हिन्दसे जो अब तक सामने आये वह कम हैं। इसका कारण यह है कि अब तक जरायम लिखे नहीं जाते थे। अब हमारी सरकार ने इस पर काबू पाया और हुक्म जारी कर दिया कि लिखे जायं। तो वह संख्या बढ़ ही जायगी। तो यह कहना कि पुलिस के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है बिलकुल गलत बात है। हमारी सरकार का काबू है। अब तक मुकदमों में जो हमको दुश्वारियां रहीं, जो हमारा वक्त बेकार जाता है.....

कई सदस्य---

श्रीमन्, सुनायी नहीं पड़ रहा है।

श्री शफीक अहमद खां---

हिन्दुस्तान की तारीख में आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी सरकार ने किसी जज को सस्पेन्ड किया हो। एक जज को हमारी सरकार ने मोअत्तिल किया। आज तक ऐसी मिसाल न यू० पी० में और न किसी और प्रदेश में है।

एक बात कहने से मैं भूल गया था कि हमारी सरकार ने एक पुलिस कमीशन मुकर्रर किया है जो पुलिस की ज्यादतियां हैं, जो पुलिस गलत कार्यवाही करती है उनको कैसे दूर किया जाय

और बदमाश किसी तरह से निगाह से बचकर न निकल सकें और जनता सुख से जिन्दगी बिता सके उसके लिये इस सरकार ने एक पुलिस कमीशन मुकर्रर किया है। यही हालत मैं आपसे अर्ज करूं कि मुकदमों के सिलसिले में भी थी। उसके लिये भी उन्होंने एक कमीशन मुकर्रर करने का एलान किया है। इस से ज्यादा वह इस थोड़े से अर्से में और क्या कर सकते थे। आज पिछला २० साल का इतिहास बता रहा है कि इस तरफ कभी पहले सोचा नहीं गया कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। आज उन सब बातों के मुताल्लिक सोचा जा रहा है और बहरहाल हो चुका है और होने वाला है।

अब मैं कुछ अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे यहां एक गिरधरपुर गांव है। उसके पास ही एक दरिया बहती है। उस दरिया के ऊपर ५०, ६० साल पहले एक पुल बनाया गया था। लेकिन अब वह पुल टूट गया है। उसको टूटे हुये भी ६,७ साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उसको बनाया नहीं गया है। वह पुल एक लाख आदमी का गुजरगाह है पर फिर भी अभी तक उस तरफ खयाल नहीं किया गया है। उसके बनाने के लिये मैंने सरकार को लिखा है और अब शायद उसके लिये कुछ चेष्टा हो रही है। वह मेरे नजदीक बहुत जरूरी बात है और उसके लिये जल्दी होनी चाहिये। इसके अलावा मेरे यहां मक्का से भरी दो ट्रक पकड़ी गई थीं जिनका केस जुडिशल आफिसर, रामपुर के यहां चल रहा है। वह सन् ६६ में पकड़ा गया था लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जिन हजरात को गिरफ्तार किया गया था वे सब जमानत पर छूटे हुये हैं पर उनके मुकदमें का फैसला न होने की वजह से वे लोग बड़े परेशान हैं। अब जब हमारी सरकार आई तो लिखा-पढ़ी की गई और अब उम्मीद है कि कुछ कार्यवाही होगी।

इसके अलावा अभी तक यह अक्सर होता था कि अगर किसी मिल मालिक के ऊपर कितना ही रुपया बाकी हो, करोड़ों रुपया बकाया हो तो कोई कार्यवाही नहीं होती थी और किसान के ऊपर २० रुपया भी बाकी रह जाय तो उसको पकड़ कर बन्द कर देते थे। अब जिन मिलों के ऊपर सरकार का रुपया बकाया था उनको टेक ओवर कर लिया है और उनका इन्तजाम होगा। लेकिन ये सब सहूलियत देने के लिये वक्त की जरूरत होती है।

*श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कब्ल इसके कि मैं कुछ कहूं, भ्रष्टाचार शब्द इतना ज्यादा व्यापक हो गया है कि अब उसका सब से ज्यादा हमारे मुख्य मन्त्री जी प्रचार कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब से मिनिस्टर रहे और अब विशेष रूप से मुख्य मंत्री हो गये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार दुगुना और चौगुना हो रहा है। मान्यवर, मैंने मुख्य मंत्री जी का भी जमाना देखा है। वह मुख्य मंत्री जी इस कांग्रेस सरकार के फुलफलेज्ड मिनिस्टर रहे और वह १,२ विभागों के मिनिस्टर नहीं रहे बल्कि ४, ४ विभागों के अलग-अलग मन्त्री रहे। राजस्व विभाग के मंत्री रहे हैं। कृषि विभाग के मन्त्री रहे हैं, पुलिस विभाग के मन्त्री रहे हैं और स्वशासन विभाग के मन्त्री रहे हैं और सिंचाई विभाग के भी वह मंत्री रहे हैं। अब वह मुख्य मंत्री हो गये हैं। वह पशुपालन में भी रहे हैं। उसमें कुछ पशुओं का सुधार किया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैं यह कहूं कि मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ाया है तो गलत नहीं होगा। एक उदाहरण उसका मैं दूंगा। सब से पहले मैं आपकी आज्ञा से मद्यनिषेध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश कमार]

संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । इस के बारे में बहुत चर्चा है कि शराब बन्दी की जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में अपने भाषण में कहा था कि हम तीर्थ स्थानों में शराबबन्दी करेंगे । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि तीर्थ स्थानों के अन्तर्गत मेरे जिले के मिश्रिख व नैमिषारण्य भी वह तीर्थ हैं जहां माननीय मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री होने के पहले गये थे और उन्हें वहां कितना बड़ा वरदान मिला कि वह मुख्य मंत्री हो गये । हमारे माननीय अध्यक्ष जी खेर साहब भी सन् ६९ के पहले वहां गये थे तो यह मिश्रिख व नैमिषारण्य बहुत बड़े तीर्थ स्थान हैं लेकिन वहां शराबबन्दी की कोई चर्चा नहीं है बल्कि इसके खिलाफ वहां इस अप्रैल से नये शराब के ठेके दिये गये हैं, पुराने तौर से तो चले ही आ रहें हैं । इस से माननीय मुख्य मंत्री जी का वह आदेश और कथन नितांत गलत हो जाता है कि वह तीर्थ स्थानों पर शराबबन्दी करेंगे ।

मेरा निवेदन है कि मेरी बात को मुख्य मंत्री जी की कुर्सी की बगल म बैठने वाले मंत्री जी जो बैठे हैं, वह कृपा कर के माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें । वह बात मेरी यह है कि अगर वाकई माननीय मुख्य मंत्री जी शराबबन्दी करना चाहते हैं तो आप की आज्ञा से मैं माननीय सदस्यों को बताऊंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी को यह स्मरण कराऊंगा कि शीरा जिस से शराब बनती है वह शराब के कारखानेदारों को ६७ पैसा प्रति क्विंटल दिया जाता है । मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जबतक इन शराब के कारखानेदारों को ६७ पैसे प्रति क्विंटल शीरा मिलता रहेगा शराबबन्दी नहीं हो सकती, जबकि वही शीरा बाजार में १५ रुपये और २० रुपये प्रति क्विंटल बिकता है । उधर से कीचड़ उछाली गई और कल यहां कहा गया था कि उधर के बोलने वाले यहां तो शराबबन्दी की बात करते हैं और उधर पिये हुये घूमते हैं । मैं जीता-जागता सबूत दूंगा और चुनौती देकर कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में महोली में जहां शुगर मिल है १२ बजे रात तक शराब बिकती है और शराब पीकर नशे में चूर घूमने वाले ७५ प्रतिशत इन्डिकेट के लोग होते हैं। साथ ही मैं इस सरकार को भी इस बात की चुनौती देता हूं कि वह इसकी जांच सी०आई०डी० के द्वारा करायें या जो भी मशीनरी उनके पास हो उससे जांच करायें । बी०के०डी० वाले कुछ कम पीते हैं, वह अभी नये हैं । वह इन्कवायरी करायें और देखें कि नशे में मदमस्त होने वाले इधर के लोग हैं या उधर के लोग हैं ।

अब रही कुशल प्रशासन की बात । हमारे चौधरी साहब ने तो कुशल प्रशासन का साइनबोर्ड लटका लिया है । अपने काल में अगर कहीं भी कुशल प्रशासन मिल सकता है तो वह चौधरी साहब की सरकार में और मुझे कहने की यदि आप आज्ञा दें तो मैं कहूंगा कि अगर कहीं भी कोई कुशासन हो सकता है तो वह चौधरी साहब की सरकार में है । मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय चौधरी साहब सदन में आ गये हैं, और मैं जो कुछ भी कहूंगा, वे अवश्य ही ध्यान से सुनने की कृपा करेंगे ।

श्रीमन्, अदालतों में एक ए०पी०पी० होता है,जिसे हम देहाती भाषा में कोर्ट साहब कहते हैं। वे बी०ए०एल-एल०बी० अर्थात् ला ग्रेजुएट होते हैं । नौजवान कैडर के लोग ये होते हैं और इनको ट्रेनिंग पी०टी०सी० में राइट लेफ्ट करवा कर देते हैं, दरोगाओं के साथ और जब ट्रेनिंग हो जाती है उनको काला कोट पहनवा कर पैरवी करवाते हैं । वह काम जो जिला जजों के यहां डी०जी०सी० या न्यायमूर्तियों के यहां पर एडवोकेट जनरल करते हैं । दरोगा जब आते हैं तो जो गवाहों को क्लब से सिखा कर ले आये थे ये कोर्ट साहब अदालत में सिखाते हैं । हमारे बहुत से उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को अनुभव होगा कि अदालत के अन्दर गवाहों को ये कोर्ट साहब सिखाया करते हैं और विपक्ष के वकील या डिप्टी साहब या और अधिकारी लोग सब मुस्कराया करते हैं और कुछ नहीं करते हैं । अदालत के अन्दर बयान सिखाते हैं और जो चाहें वह मनवाते हैं । अगर वास्तव में चाहते हो कि डी०जी०सी० से काम लिया जाय तो उन लोगों को पुलिस से अलग करो, उन्हें पुलिस कप्तान के अन्डर मत रखो बल्कि उनको किसी जज के मातहत रखो तभी जो-जो बेईमानी आज वहां पर होती है, बन्द हो सकती है ।

१९७०–७१ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ३–– ७१ राज्य आबकारी, अनुदान संख्या ५–अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या १०–– सामान्य प्रशासन–अनुदान संख्या ११––आयुक्त और जिला प्रशासन, अनुदान संख्या १५–पुलिस, अनुदान संख्या ४०–राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ४५–नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बहुत ही अदब के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। माननीय मुख्य मंत्री जी ने १२ मार्च को इस सदन में इस बात का एलान किया था और नाम लेकर भी इस पूरे सदन को विश्वास दिलाया था कि सीतापुर जिले के मिसरिख तहसीलदार जो उन्होंने ए६ केस में २ फैसले लिखे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस कार्य में असफल हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद उनको पूरा वाक्या भी मालूम नहीं है। तहसीलदार, श्री शुक्ला ने मिसरिख तहसील से ५५ हजार रुपया कमाया है जिसकी जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उच्च अधिकारियों द्वारा करा सकते हैं। उनके पास सी०आई०डी० है, कमिश्नर हैं, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी उनके पास हैं और मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस काम को नहीं करा रहे हैं और न कराने के कारण उनके बगल मे बैठने वाले माननीय चतुर्भुज जी शर्मा हैं। मैं, श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तहसीलदार ने एक मुकदमें में २ निर्णय दिये हैं। एक गांव समाज की भूमि का झगड़ा था। इस में राम गुलाम नामक व्यक्ति पर कोर्ट में मुकदमा पेश हुआ और उन पर चार्ज लगाया कि उन्होंने गांव समाज की जमीन का अपहरण किया है और उसका दुरुपयोग किया। इसलिये गांव समाज का ५ या ६ सौ रुपये का नुकसान हुआ है। तो मान्यवर, एक में ५५० रुपये जुर्माना किया रामगुलाम के ऊपर तहसीलदार . . . .

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह):—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मित्र को जो शिकायत है तहसीलदार से, मैं चाहता हूं कि आप उस सिलसिले में मुझसे बात कर लें और इस मसले पर और अधिक न कहें। मैं यकीन दिलाता हूं कि उसमें हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, बहुत धन्यवाद है आपको। लेकिन मान्यवर, आप मुख्य मंत्री हैं। आपसे इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि और बहुत अदब के साथ कि तहसीलदार के बारे में एक-दो शब्द कहूंगा। आपने जो भी आदेश दिये हैं उसको बिल्कुल मानता हूं।

मैं माननीय राजस्व मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा के संबंध में यह जरूर निवेदन करूंगा कि जिलाधीश ने उनका ट्रांस्फर मिसरिख तहसील से बिसवां किया और माननीय चतुर्भुज शर्मा ने सानवाल से टेलीफोन पर कहा कि यह ट्रांस्फर नहीं होना चाहिये। यह आपको मालूम होना चाहिये। यह मैं आपसे गुजारिश कर देना चाहता हूं। आप मुख्य मंत्री हैं। मान्यवर, मैं अब आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप के कुशल प्रशासन का एक नमूना पुलिस का देना चाहूंगा। जितने इंडीकेट और बी०के०डी० के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं—दुर्भाग्य कहिये, या सौभाग्य कहिये, हमारे जिले से बी०के०डी० से कोई नहीं हैं। लेकिन, मान्यवर, चार इंडीकेटी सदस्य हमारे यहां से जरूर हैं। उनमें एक हो गये हैं मान्य डिप्टी मिनिस्टर। मान्यवर, एक महोली थाना है। बड़ा-छोटा सा है लेकिन मैं मुख्य मंत्री से बताना चाहता हूं। आपका भ्रष्टाचार केवल आई० जी०, डी० आई० जी०, आई०ए०एस० आफिसर और सेक्रेटरी तक सीमित है। लेकिन जरा आप गांव के अन्दर जाकर देखिये। आपके दारोगा, सर्किल इन्स्पेक्टर, डी० वाई०एस० पी० वगैरह इनको अगर आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं? तब मालूम होगा कि भ्रष्टाचार की क्या सही तस्वीर है। मान्यवर, थोड़ा निजी मामला है। लेकिन मैं निवेदन जरूर करूंगा। मेरी थोड़ी जमीन है खेती की। उसमें कभी २, ३, ४ वर्ष तक शायद मैं नहीं पहुंच पाता हूं।

[श्री अवधेश कुमार]

नौकरों पर निर्भर हूं, यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । वहां मेरे नौकर को कुछ लोगों ने पिस्तौल दिखाई तब दरख्त काट लिये । रिपोर्ट की मान्यवर, ९ फरवरी को, जब यह झगड़ा हो रहा था तब मुख्य मंत्री मौजूदा मुख्य मंत्री होने के लिए तैयारी में थे । तो ९ फरवरी का बाकया है और वह रिपोर्ट थाने में लिखाई गई । जब यहां गुप्ता जी की सरकार खत्म हो गई, जब मैं वहां गया तो मैंने पूछा कि रिपोर्ट लिख ली गई है उस पर क्या कार्यवाही हो रही है तो दारोगा ने कहा कि इंडीकेट के एक महोदय यह चाहते हैं, उन्होंने आकर कहा कि इसमें कुछ नहीं होना चाहिये । इसलिये हम मजबूर हैं । मान्यवर, एक महीना हुआ है जांच की कार्यवाही अदालत से निकल गई है लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उन आदमियों की गिरफ्तार करें । इसलिये कि इंडीकेट के एम०एल०ए० नहीं चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस कोई हस्तक्षेप करे । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे बड़ी नम्रता के साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि आप देखें । माफ करें ।

सन् १९६७ की मिनिस्ट्री में सारे उत्तर प्रदेश की जनता आपको फरिश्ता समझती थी और फरिश्ता बनाने की जिम्मेदारी इन जनसंघी भाइयों और सोशलिस्ट पार्टी के लोगों पर थी और मान्यवर, आपकी प्रशंसा करते-करते हम जनसंघी और सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के गले खुश्क होते थे। लेकिन वह सरकार टूटी और टूटने के बाद आपकी जो धारणा हम लोगों के प्रति है वह आप जानते हैं, हालांकि उससे बढ़ कर वह धारणा आपकी इंडीकेट के प्रति हो रही है । अगर जिलों के अन्दर आप कुशल प्रशासन चाहते हैं तो इंडीकेट और बी०के०डी० के मेम्बरों के हाथों में प्रशासन की बागडोर मत छोड़िये । यह बी०के०डी० और इंडीकेट के सदस्य अगर किसी दरोगा से जा कर कह दें कि हम चौधरी चरण सिंह जी के सोने वाले कमरे में जाते हैं, तुम्हें यह काम करना है, तो उस दरोगा की हिम्मत नहीं कि उसके काम को वह मना कर सके । वे जानते हैं कि अमुक आदमी चौधरी चरण सिंह के सोने वाले कमरे में जाता है, अगर इनका कहना नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

अन्त में मैं यह यह निवेदन करूंगा कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कुशल प्रशासन चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि वे समाजवादी नहीं हैं, और कभी भी उन्होंने समाजवाद का नारा नहीं लगाया, गठबंधन जरूर समाजवादी पार्टियों के साथ हो गया था, (एक आवाज–गांधीवादी हैं)। अगर गांधीवादी भी हैं तो भी मैं यह निवेदन करूंगा कि आप गांव समाज की जो भूमि पड़ी हुई है वह आप भूमिहीनों में वितरित करा दें । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में लिलसी गांव है, वहां के राजा साहब की जमीन सीलिंग में निकल चुकी है। मगर आज भी वही उसको जोत रहे हैं और जिलाधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वे उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही कर सकें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

***श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)–**

अधिष्ठाता महोदय, अभी जो माननीय मुख्य मंत्री पर प्रहार किये गये हैं मैं उनको ध्यान से सुन रहा था । मेरा ऐसा विश्वास है पिछले १५-२० वर्षों के तजुर्बे के आधार पर, कि यदि चौधरी साहब स्वच्छ और कुशल प्रशासन नहीं दे सकते तो फिर दूसरा कोई नहीं दे सकता, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी मेरी धारणा चौधरी साहब के लिए यही थी कि वे एक अच्छे और कुशल प्रशासक हैं । परन्तु आप जैसे लोगों के सम्पर्क में कुछ समय रह कर वे अपने रास्ते से कुछ भटक गये ।

मान्यवर, जो यह आबकारी का विषय है यह आज से नहीं गुप्ता जी के जमाने से ही चला आ रहा है। इससे ३०-३५ करोड़ की आमदनी है, इसलिये इसे बन्द नहीं किया जा सकता ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया ।

इसका नतीजा यह हो रहा है कि गांव में तो इसका असर था ही, शहरों में जो मजदूर लोग हैं उन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, वे भी शराब पीने लगे हैं जो पिछड़े हुये हैं उनके बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार कहती है कि इससे इतनी बड़ी आमदनी है इस को कैसे बन्द करें, कोई और जरिया आय का नहीं निकाला जा सकता। इसलिये इसको बन्द नहीं किया जा रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और कोई जरिया निकालना चाहिये ।,

जनतंत्रीय प्रणाली में सरकारी अधिकारियों का हाथ चुनाव में होना जनतंत्र की हत्या कहा जाता है। यह बात इस जमाने की नहीं है, उस जमाने की है जब सन् ६७ में चुनाव हुआ, मैं भी चुनाव में खड़ा था । वहां पर एक आदमी मुझसे नाराज इसलिये हो गया कि एक फौजी, आदमी की जमीन के पीछे उनसे मुझे लड़ना पड़ा । उनका वहां से ट्रांसफर हुआ लेकिन हमारे कुछ संसोपा के साथी और दूसरे साथी उस पर स्टे आर्डर ले आये। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने खुल कर मेरे विरुद्ध चुनाव प्रचार किया । अपने सारे सरकारी साधनों और विहिकिल की मदद से मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अपने प्रभाव का पूरा प्रयोग मुझे हराने में किया। उस समय केवल १७६ वोटों से मैं हारा था। मैंने पिटीशन दायर किया और पिटीशन लड़ा था । वहां पर रामस्वरूप जी वर्मा भी मुझसे नाराज थे। उस अधिकारी को जिसका नाम आर० सी० नागर था, पिथौरागढ़ भेज दिया गया । उनको तहसीलदार या और कोई अधिकारी बनाकर भेज दिया गया था । लेकिन जब फिर सन् ६९ का चुनाव आया तो वह छुट्टी लेकर आये हों या चाहे बीमारी का बहाना करके आये हों, कानपुर जिले में आये और मेरे क्षेत्र में गये और वहां लोगों से कहा कि ज्वाला प्रसाद को फिर हराना है। उस समय मैं बीमार था, मैंने सुना तो अपनी जीप लेकर दौड़ा कि उनके दर्शन करूं। लेकिन वह कानपुर आ गये । इस पर मैंने बेनी सिंह जी से कहा कि कहीं ऐसा न हो कि चुनाव की हार जीत का परिणाम भूल कर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ जाये कि मैं भी उनके पीछे पड़ जाऊं । यह चीज उन्होंने जिलाधीश, श्री सिद्धू साहब से कही और सिद्धू साहब ने जो कुछ भी कहा हो, वह वहां से चले गये । इतना ही नहीं, फिर उनके उच्चाधिकारी यहां सचिवालय में ऐसे कुछ अधिकारी हैं, कि वह पिथौरागढ़ से फिर लखनऊ में आ गये हैं ।

जनतंत्रीय प्रणाली में जहां इस तरह से अधिकारी चुनाव में भाग लें, वहां पर जनतंत्र कायम नहीं रह सकता है। मैं मुख्य मंत्री से इसके द्वारा यह नहीं चाहता हूं कि वह उस अधिकारी को सजा दें, लेकिन मैं बहुत बुनियादी बात कह रहा हूं कि वह इस पर पूरी तरह से ध्यान दें। मैंने अपने पिटीशन में उनका जिक्र भी किया था, उनका नाम लिया था, काफी सबूत दिये थे और उन्हें सिद्ध भी किया था, लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

दूसरी बात का मैं आप से एक निवेदन करूं । मेरे जिले कानपुर में अभी हाल ही में ४/६ महीने पहिले एक गांव तुर्कीमऊ में दो-चार किसान आपस में लड़ रहे थे । एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्त्ता थे और दूसरी तरफ के किसान दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो जिस पार्टी में कांग्रेस वाले किसान थे, उससे दरोगा खिलाफ हो गया । दरोगा ने उसके खिलाफ मुकदमें की कार्यवाही कर दी, कुर्की कर दी और एक के खिलाफ दफा १५२ की कार्यवाही कर दी । कोई आदमी हम लोगों का यानी कांग्रेसी पैरोकार उस जगह पर नहीं था । मैं कहता हूं कि यदि वे वास्तव में मुलजिम हों तो मैं उस मुलजिम की जगह पर खड़ा होने के लिए तैयार हूं । फिर भी वह मुलजिम बनाये गये । आज भी जेल में बन्द हैं । मैंने डी० एम० से कहा और एस०पी० से कहा कि भले ही तुम उनको मुलजिम की श्रेणी से न हटा

[श्री ज्वाला प्रसाद कुरील]

सको, लेकिन इतना देखो कि वे पार्टीबन्दी और दरोगा की वजह से इसमें लाये गये हैं । उन्होंने कहा कि हालांकि वह मुलजिम नहीं है, लेकिन उससे बच नहीं सकते ।

हमारे साथी जगन्नाथ प्रसाद केवट, जो कानपुर जिले के प्रसिद्ध कार्यकर्ता और समाजसेवी हैं, हमीरपुर पहुंच गये । क्योंकि वहां पर कुछ गरीब लोगों की भूमि छीनने का, जबरदस्ती कब्जा किये जाने का मामला था । वहां उनकी जो दुर्दशा हुई है वह कहने के काबिल नहीं है। लाठी मार-मार कर उनके सिर को जर्जर किया गया । स्वास्थ्य मंत्री जी उनको देखकर आये हैं । उनके अंतिम बयान को भी मैजिस्ट्रेट ने लिया है। गृहमंत्री जी के कान में भी बात पहुंच चुकी है। पांच मुलमिजों में कोई हाजिर नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में जब इंसान के साथ राक्षस जैसा व्यवहार किया जाता है, सरकारी प्रशासन में एक अच्छा नमूना पेश करने के लिए गांव का घेरा डाल देते और उनकी इस तरह से चालें चलना बन्द कर देते । अभी तक नहीं हो पाया । इसका मुझे खेद है । वहां के विरोधी नेता, जो विधान सभा में हैं, अपने दल को आश्रय देने के लिये घूम रहे हैं । जगन्नाथ प्रसाद कोटरा मकरनपुर के रहने वाले । जिन सोशलिस्ट नेताओं ने उनको मारा है वे अपने नेताओं को लेकर विधान सभा में घूम रहे हैं । बहुत मुमकिन है कि ऐसी कोशिश की जाय कि उनके घर वालों को मारो, साथियों को मारो । इस तरह की बातें होंगी तो प्रशासन में स्वच्छता कैसे आयेगी ?

एक निवेदन और करूं । हमारे यहां एस० डी० ओ०, भोगनीपुर का किस्सा है । एक बहुत खराब लेखपाल था । किसानों ने निवेदन किया कि इनको बदल दिया जाय । एस० डी० एम० आर० साहब ने कहा कि पंचायत राज ऐक्ट की धारा २२ (बी) के हिसाब से प्रस्ताव करवा दो ट्रांसफर हो जायगा । प्रस्ताव दो हुए । एस० डी० ओ० साहब, भोगनीपुर को गुस्सा आ गया कि पंचायत ने इस तरह से प्रस्ताव पास कर दिया । नतीजा यह हुआ कि जिले में जो सबसे खराब लेखपाल था, जिसको उन्होंने माना है कि जिले में सबसे खराब है । उस लेखपाल को उस गांव में भेजा गया, जहां पंचायत ने अच्छे लेखपाल की मांग की थी । एस० डी०ओ० साहब अभी बने हुए हैं और लेखपाल भी वहीं बना हुआ है ।

दूसरी मिसाल यह है कि दो साल पहले जो गरीबों के लिये मक्का गयी थी ३०-४० बोरे सीड स्टोर में रखी हुई थी । मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि मक्का को खाली करके बोरे मंगवाये जा रहे हैं । मैंने कहा कि पहले गरीबों को मक्का बांट दो । वे बेचारे शिकायत ले कर आये एस० डी० ओ० साहब के पास कि मक्का बंटवा दो, बोले आप इत्मीनान रखिये, मक्का बट जायगी । श्रीमन्, एक दाना मक्का का नहीं बांटा गया । एस० डी० ओ० साहब वहीं बने हुये हैं । सुना है कि कई बार उनका ट्रांसफर हुआ लेकिन हर बार रुक जाता है। ऐसे लोगों से जनता को नजात दिलाइये । हमारे यहां जमुना के किनारे मौरंग होती है । वहां दौलतपुर एक गांव है । वहां की मौरंग का ठेका दस हजार का हुआ करता था अबकी वहां का ठेका साढ़े चार लाख का हुआ । तो जो आदमी दस हजार का ठेका लिया करता था उसने इस तरह का जाल बिछा रखा है कि साढ़े चार लाख वाला परेशान है । भगवान जाने कब उसका उद्धार होगा, साढ़े चार लाख वह कैसे दे पायेगा ? इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये ।

एक बात कही गयी कि इंडिकेट वाले ही शराब पीते हैं । जिस तरह से दावे के साथ उन्होंने कहा है उसी तरह से दावे के साथ मैं कहता हूं कि जब किसी गांव में मैं पहुंचता था अपने कार्यकर्ताओं को लेकर प्रचार के संबंध में वहां का ठेकेदार कहता था कि तुम्हारे आने से हमारी बिक्री नहीं होती । अभी सोशलिस्ट आये थे, पी० एस० पी० वाले आये थे और हमारी खूब शराब पी । मेरी बात गलत निकल जाय तब कहियेगा कि मैं क्यों ऐसी बातें करता हूं । पीने वाले तो पीते हैं और इंडिकेट वाले भी पीते हैं और आप बड़े पाक साफ हैं इस तरह से बात कहना उचित नहीं है । मुझे दो बातें निवेदन करनी हैं । ए० पी० सिंह, एस०डी०ओ०, भोगनीपुर

कई बार ट्रांसफर किये गये और ट्रांसफर रुक गया । दूसरे नागर साहब ने इलेक्शन में भाग लिया मेरे खिलाफ तथा राम स्वरूप जी के खिलाफ और जिन अधिकारियों की कृपा से वह वहां हैं उन का नाम भी मुझे मालम है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि फाइल देख लें मेरी बात गलत निकल जाय तो मुझे सजा दें वर्ना ऐसे अधिकारियों से जनता को निजात दिलवायें ।

* श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय, लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने जो कटौती का प्रस्ताव इन अनुदानों के सिलसिले में रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । एक कहावत मुझे याद आई कि जब राजा की रानियां बहुत होती हैं तो जो रानी रूठती हैं राजा से वह कोप भवन में चली जाती हैं और जब राजा को पता लगता है और वह रानी पर प्यार का हाथ फेरता है तो रानी शयन कक्ष में आ जाती हैं । उसी तरह से जो कांग्रेसी गुप्ता जी से रूठ गये, केंद्रीय कांग्रेस के संसदीय अधिकरण से रूठ गये और बी०के०डी० रूपी कोप भवन में आ गये अब महारानी इंदिरा जब उन पर प्यार का हाथ सहरा रही हैं तो वह बी० के० डी० वाले फिर कांग्रेस में जाने की बात सोच रहे हैं और इस प्रकार जो पार्टी आज विघटन के कगार पर खड़ी हो और जो इन्डीकेट कांग्रेस से सौदा करने जा रही हो ऐसी पार्टी के प्रशासन में कैसे स्वच्छता, स्थिरता पैदा हो सकती है और वह अधिकारियों में कर्त्तव्य परायणता पैदा कर सकती हैं ?

हमारे प्रदेश का प्रशासन आज नौकरशाही से ग्रस्त है और वह अपने कर्त्तव्य से विमुख हो चुका है और वह लाल फीताशाही के चक्कर में फंसा हुआ है । इसका कारण मैं यह समझता हूं कि हमारे देश को जब से आजादी मिली जिसको मिले आज २२ साल हो गये तब से जो लोग लोग सत्ताधारी रहे, इन कुर्सियों पर बैठे रहे उनका आचरण, उनका व्यवहार और राष्ट्रीय चरित्र गिरता ही गया और उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कोई ऐसा आदर्श प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण उनके अधीनस्थ कर्मचारी अथवा प्रशासनिक ढांचा ईमानदार हो सकता । आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम छोटे-छोटे कर्मचारियों को ईमानदार बनाना चाहते हैं तो जो मंत्री हैं अथवा शासन पर बैठे हैं, ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं उनका व्यवहार, आचरण शुद्ध व निष्ठापूर्ण हो । जब संविद की सरकार थी और आज के मुख्य मंत्री उस समय भी मुख्य मंत्री थे तो वह पब्लिक इंक्वायरी बिल लाये थे इस वास्ते कि अगर बड़े-बड़े मंत्रियों पर, बड़े-बड़े अधिकारियों पर अगर शंका हो उनके किसी आचरण पर तो उसकी जांच कराई जा सके । आज भी आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार का कोई विधेयक लाया जाय जिससे जनता को तथा नीचे के कर्मचारियों को यह विश्वास हो कि सरकार केवल उन्हीं पर नहीं बल्कि जो शासन में ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं उन पर भी नकेल लगाना चाहती है। जो मंत्री शपथ लेता है तो मुख्य मंत्री को अपनी हैसियत व अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देता है। विधान सभा में जब यह प्रश्न पूछा गया और कहा गया कि वह ब्यौरा सदन में रखा जाय तो मुख्य मंत्री ने कहा कि उसका बतलाना जनहित में नहीं है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जनहित यही है कि जब मंत्री शपथ ले और कुर्सी पर बैठे तो जनता जान जाय कि इसके पास कितनी सम्पत्ति है । कितना धन है। मंत्री बनने के बाद उस सम्पत्ति का आकार और प्रकार बढ़ता जाता है। जनता समझ सके और मंत्री स्वयं समझ सके कि आज हमने शपथ ली थी और हम मंत्रि मंडल में सम्मलित हुये थे। आज यह सदन ही नहीं बल्कि जनता भी जान चुकी है कि उसकी सम्पत्ति क्या है। इस पर सरकार अधीनस्थ कर्मचारियों का विश्वास पैदा करना चाहती है। सरकार स्वयं चाहती है कि ईमानदारी से काम हो। जब माननीय चरण सिंह जी नेता विरोधी दल थे तो इसी अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा था कि आज प्रशासन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्ण स्वरूप]

(इस समय ३ बज कर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नित्यानन्द स्वामी पीठासीन हुए।)

में पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज का जो प्रशासन है इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है ? उसमें पोलिटिकल हस्तक्षेप नहीं है ? आज के पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कप्तान और बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी, बी० के० डी० और इन्डीकेटों के दरवाजों चक्कर लगाते हैं। इन सबका क्या कारण है? क्या कारण है कि डिप्टी कलेक्टर, एस० डी० एम० और ए० डी० एम० पी० आदि आज विधान सभा का चक्कर लगा रहे हैं ? यदि उस समय वह राजनैतिक हस्तक्षेप बुरा था तो वह आज भी बुरा है। मेरे बुजुर्ग साथी, श्री शर्मा जी ने यहां यह कहा था कि यह पहले भी हुआ था तो अब भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दलील नहीं है। आपने चोरी की है तो दूसरा भी चोरी करे तो यह कोई दलील की बात नहीं है। राजनैतिक हस्तक्षेप इस प्रदेश के अन्दर एक हवा और वातावरण बना है। माननीय चौधरी साहब स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं और हर आदमी की यह धारणा होती है। यह सही बात है कि यदि प्रशासन स्वच्छ है तो किसी को सिफारिश करने की जरूरत न पड़े। जिलाधिकारी अगर ईमानदार है तो वह सबकी बात सुनेगा। ऐसा वातावरण बनान में यह सरकार अफसल रही है। जितने तबादले इस बीच हुये हैं उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक लिस्ट पेश की थी। मैं उस लिस्ट को यहां पेश नहीं करूंगा क्योंकि उसमें काफी समय लग जायेगा। जितने भी ट्रांसफर किये गये वे सब अपने ही लोगों को खुश करने के लिये किये गये हैं। बदायूं के एक हाइडिल के अफसर का तबादला ४ बार हुआ और ४ बार रोका गया। कितने ही अफसरों के तबादले किये गये और उन्हें कहने सुनने पर रोक दिया गया। मेरठ के सिविल सर्जन का तबादला हुआ। यदि प्रशासनिक कार्यों को ठीक ढंग से चलाने के लिये तबादले किये जायं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु अगर इस प्रकार के कारणों से उनके तबादले किये जायेंगे तो उन पर क्या ईमानदारी आयेगी ? क्या प्रमाणिकता आयेगी ? वह नहीं आ सकती है। इस सारे का क्या परिणाम होगा कि सारे प्रदेश के अन्दर जितने भी तबादले होते है उन सब में कोई न कोई राजनीतिक हाथ होता है।

सन् १९४७–४८ में पुलिस कमीशन बैठा था। उसने पुलिस को दो भागों में बांटा था––एक ला ऐण्ड आर्डर को देखने के लिये और दूसरा इन्वीजिलेशन के काम के लिये। किन्तु वह काम तब तक सही नहीं हो सकता है जब कि पुलिस के जवान और पुलिस के दरोगा ईमानदारी से काम न करें। भ्रटाचार की जो खिड़कियां खुली हुई हैं उनको हमें बन्द करना पड़ेगा और उसके लिये जरूरी है कि हम पुलिस को दो भागों में बांटें जो कि एक ला ऐण्ड आर्डर का काम देखे और दूसरा इन्विजिलेशन का काम देखे। कुछ धारायें ऐसी हैं जिनमें पुलिस का डिसक्रीशन है। जैसे धारा ३२४ और ३२५। ३२५ में अगर आदमी की हड्डी भी टूट जाय किन्तु फिर भी वह काग्नीजिबिल आफेन्स नहीं है। वह पुलिस के अधिकारी के ऊपर है कि वह उसकी काग्नीन्स ले या न ले। मैं चाहता हूं कि इन दोनों धाराओं के काग्नीजिबिल आफेंस में कर दिया जाय और पुलिस के डिस्क्रिशन पर न छोड़ा जाय कि वह कोई कार्यवाही करें अथवा न करें।

आज पुलिस अधिकारी गलत इन्दराज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी कारगुजारी देखने का आपका मयार ही गलत है। जिसके ज्यादा मुल्जिमान ने सजा पायी, जिसके थाने के अन्तर्गत जरायम कम हुये हों, वही सब इन्सपेक्टर अच्छा समझा जाता है। यह चीज उस थानेदार को गलत काम करने पर मजबूर करती है। होना यह चाहिये कि सजा हो या न हो, इससे सब इन्सपेक्टर का कोई मतलब ही नहीं है, उसके करेक्टर रोल पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिये। अगर वह प्रामाणिक बात करता है, जरायम को कम करने की कोशिश करता है तो उसको अच्छा समझा जाना चाहिये। अतः हमें

जो वर्तमान नजरिया है, उसको बदलना होगा। लेकिन आप सोचते हैं कि जिस सब-इन्सपेक्टर ने ज्यादा मुल्जिमों को गिरफ्तार करक सजा कराई, वही अच्छा है, यह उसको मजबूर करता है कि फर्जी गवाह तैयार करे। इस प्रकार से आपको सारा पुलिस का ढांचा और नजरिया ही बदलना चाहिये ।

आबकारी के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप प्रदेश में पूर्ण रूप से नशाबन्दी नहीं कर पाते हैं और उसमें समय लगेगा, तो उस समय तक के लिये मेरा सुझाव यह है जो हमारे प्रोफेसर अर्थशास्त्री, श्री एन० सी० टन्डन दिया करते थे। वह कहा करते थे कि शराब को अगर हम पूर्ण रूप स बन्द न कर पायें तो हमें उसको इतनी मंहगी कर देना चाहिये कि उसका मिलना मुश्किल हो जाय। शराब की दूकानें हर जगह और हर चौराहे पर नहीं होना चाहिये। उनके खुलने और बन्द होने का समय सीमित होना चाहिये। शहर से ४-५ मील की दूरी पर होनी चाहिये। जिससे लोगों को जाने-आने में दिक्कत हो। शराब महंगी मिलेगी तो लोगों को उसके खरीदने में कठिनाई होगी। इसके अलावा जिस प्रकार से देशी शराब का नीलाम होता है उसी प्रकार से प्रदेश के अन्दर अंग्रेजी शराब की दूकानों का भी नीलाम होना चाहिये, उससे भी हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी।

अब न्यायालयों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपके जो एस० डी० ओ० और परगना अधिकारी हैं वे हेड क्वार्टर्स पर रहते हैं। उनको वहां के बजाय सब डिवीजन के हेड क्वार्टर पर रहने के लिये कहा जाय। जिससे क्षेत्र की जनता से उनका सम्पर्क अधिक बढ़ सके। इसके अलावा न्यायालयों के द्वारा जो चन्दा वसूल कराया जाता है, वह बन्द किया जाय। आज कल जो भी चन्दा होता है वह न्यायालयों के द्वारा ही कराया जाता है। अगर कोई दो नसबन्दी करा देता है तो उसकी जमानत ले ली जाती है। २ नसबन्दी कोई करा लेता है तो उसको बन्दूक का लाइसेंस दे दिया जाता है। ५०० या हजार रुपये में आप बन्दूक का लाइसेंस ले लीजिये। इस प्रकार से कुर्सी पर बैठ कर जो यह अधिकारी अनेक प्रकार की शर्तें लगाते हैं, उनसे इनको मुक्त किया जाय। किसी प्रकार के चन्दे अथवा टिकिट अदालतों के द्वारा न बिकवाये जायं। बन्दूकों के लाइसेंस उनको ही दिये जायं जो इसको पाने के हकदार हैं। इसके अलावा जो टोपीदार बन्दूक है वह केवल शिकार के ही काम आती है। उसका लाइसेंस फ्री कर दिया जाय। अगर किसी आदमी का करेक्टर ठीक है तो उसको वेरीफाई करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस देने की हमें सहूलियत होनी चाहिये ।

मुझसे पहले श्री करन सिंह जी बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि नक्सलवादी बढ़ रहे हैं। आज केवल भूमि का ही झगड़ा नहीं है। यह बंगाल से ही चला आ रहा है और आज हमने समाचार पत्रों में देखा है कि वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी हमको उसके लिये आगाह किया है। उन लोगों को चीन और रूस से प्रेरणा मिलती है। ये लोग असली तथ्यों को छिपा कर भोले-भाले किसानों को बहका कर नयी समस्यायें खड़ी करना चाहते हैं। सरकार को इनकी ओर से सतर्क रहना चाहिये और राजनैतिक स्तर पर इनसे निबटना चाहिये।

एक बात मैं और कहूंगा। आज के समाचारपत्रों में एक वक्तव्य छपा है हमारी कांग्रेस के महामंत्री, श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा का। उन्होंने हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, चौधरी साहब को लिखा है कि इस प्रदेश के अन्दर राष्ट्रीय स्वयं सवक संघ की गतिविधियों से वह सतर्क रहें

[श्री कृष्ण स्वरूप]

और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में मुझे एक अंग्रेजी की कहावत याद आती है जिसे मैं आपके द्वारा सदन के सम्मुख पढ़ कर सुनाना चाहता हूं--

"When a dog bites a man, this is no news, but if a man bites a dog, this is a news."

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो उन्होंने कहा उसके पीछे एक रहस्य है कि हम कोई ऐसी बात कहें जो लोगों को अजीब लगे।

इन सब बातों को कहने के बाद मैं श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरया)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका उपकार मानता हूं कि हमको आपने कुछ समय दिया इस ग्रांट पर बोलने के लिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पुलिस ग्रांट का समर्थन करता हूं। मैंने बजट साहित्य बड़े गौर से पढ़ा और उस बजट का विश्लेषण जो माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसके पेज २३ पर दो-तीन वाक्य पढ़ कर आपके द्वारा सदन के सम्मुख रखता चाहता हूं। उन्होंने कहा है :

"शान्ति तथा व्यवस्था बने रहने पर ही सभी प्रकार की प्रगति के लिये उपयुक्त वातावरण सम्भव है। माननीय सदस्यों को विदित है कि पिछले वर्षों में पुलिस आयोग द्वारा की गई अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया था।"

आगे चल कर उन्होंने चर्चा की है कि इस बजट में क्या-क्या पुलिस के साथ किया गया है। उस बजट साहित्य के भाग ३ को मैंने देखा। बड़े विस्तार से उसकी चर्चा है। उसके पेज, ३३ ३४ और ३५ को देखने से मुझको लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष रूप से पुलिस पर इस बार बजट में व्यवस्था की है। बहुत दिनों से यह शिकायत थी और करीब-करीब १०-१२ वर्षों से बजट देखने का अवसर मिला है लेकिन इस बार पुलिस बजट को देखने से ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी विभाग का मंत्री होता तो मैं समझता कि पुलिस को अधिक दे दिया है, मुख्य मंत्री का यह बड़ा प्यारा विभाग है। लेकिन बिना शान्ति और व्यवस्था के कोई योजना प्रदेश की सफल नहीं हो सकती। अभी जो सतर्कता आयोग और पुलिस बजट का साहित्य मिला है जो आज बंटा है उसमें दिया गया कि डकैती और कत्लों में वृद्धि हुई है। इसका शीर्षक है "उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्य कलापों का विवरण, १९६९"। इसमें हर प्रकार के जुर्मों की चर्चा है और तीन वर्षों की है, ६७, ६८ और ६९ की। डकैती और हत्या का विवरण इस प्रकार है--

वर्ष	डकैतियों की संख्या	हत्याओं की संख्या
१९६७	२१८०	२७५२
१९६८	२२१९	२९२८
१९६९	२३७७	३२८४

इससे स्पष्ट है कि हत्या और डकैती में वृद्धि हुई है। आखिर बात क्या है। जैन कमीशन की रिपोर्ट विधान सभा की लाइब्रेरी में है। वह सन् १९६०-६१ में लिखी गयी थी। उसके भाग २ और ३ में संगठन और क्राइम्स प्रिवेन्शन के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गयी है। अपने बजट भाषण में माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा है कि शासन विशेष रूप से भाग २ और ३ को कार्यान्वित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एक थानेदार के जिम्मे ७५ क्राइम्स को इन्वेस्टीगेशन (जांच) करने का बोझा है। बंगाल में औसत ६० क्राइम्स का है। महाराष्ट्र में ६० और ६५ के बीच में है। १९५८ में इंस्पेक्टर्स जनरल आफ पुलिस की कान्फ्रेंस हुई थी।

आल इंडिया बेसिस पर। उन्होंने कहा था कि एक पुलिस इन्सपेक्टर के जिम्मे ६० क्राइम्स से ज्यादा नहीं होने चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री ने बजट साहित्य में व्यवस्था की चर्चा की है और थानेदारों को अधिक बढ़ाने की व्यवस्था की है। यह बड़ा आवश्यक है आबादी के लिहाज से, जैसा कि जैन कमीशन ने कहा है और समय के लिहाज से जो सामान आवश्यक है वह पुलिस को देना चाहिये। आज वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से डकैतियां हो रही हैं, इसलिये पुलिस को हर तरीके से साधन देने चाहिये। जो व्यवस्था की है छोटी-छोटी कारों को देने की तथा जल्दी से क्राइम इंवेस्टीगेट करने की वह अध्याय तीन में जैसा कि मैंने चर्चा की है, दिया गया है। मैं तो पुलिस बजट पर बोलता भी नहीं हूं, शिक्षा या शिक्षा के बजट पर बोलता हूं, लेकिन यह इतने उत्तम ढंग से रखा गया है कि बिना प्रशंसा किये मुझ से रहा नहीं गया।

आप उत्तर प्रदेश सर्तकता आयोग का १९६७-६८ का प्रतिवेदन देखें, उसमें लिखा हुआ है पेज ११ पर—"यद्यपि जांच पूर्ण करने में शीघ्रता करने की दृष्टि से अनेक कार्यवाहियां की गयीं तथापि न्यायाधिकरण का यह मत है कि जिस प्रकार मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए वर्तमान प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये उनका निस्तारण उपलब्ध सीमित अवधि में शीघ्रतापूर्वक करना नितान्त असंभव है, एवं कई मामलों के निस्तारण में २-३ वर्ष लग जाने की संभावना है। उन्होंने सिफारिश की है कई मामलों को शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से दूसरे न्यायाधिकरण की भी नियुक्ति की जाय।

१९६८-६९ के सर्तकता आयोग रिपोर्ट में पेज १५ पर इसी प्रकार की सिफारिश लिखी हुई है कि बहुत आवश्यक है कि आवश्यकतानुसार एक या दो अतिरिक्त प्रशासनाधिकरणों की स्थापना की जाय जिससे मामलों में जांच शीघ्र पूर्ण हो सके।"

मान्यवर, हमारे एक जनसंघ के साथी ने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन साथ ही उनको यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड।

श्री अधिष्ठाता—

अनुवाद भी करते चलें।

श्री दीप नारायण मणि—

उन्होंने कहा कि न्याय देर से हो तो वह न्याय नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि उसके साथ ही अगर न्याय में जल्दी की जाय तो उसका खात्मा हो जाता है। तो मान्यवर न्याय में देरी नहीं करनी चाहिये लेकिन जल्दी करना भी ठीक नहीं है। पुलिस बजट में ट्रिब्युनल बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है ताकि शासन में जल्दी से फैसले हों।

एक चर्चा और है। ७२-७३ मामले दिये गये हैं न्यायाधिकरण को और उसमें २७-२८ के तो हाल में फैसले हुए हैं जब से माननीय मुख्य मंत्री जी ने चार्ज लिया है। तो गति की तरफ ध्यान है, इसलिये मैं इस बजट का अनुमोदन करने के लिये तैयार हुआ हूं।

एक बात और देखें कि क्राइम की जो पोजीशन है तो उस संबंध में भारत के संविधान के आर्टिकिल २० की तरफ मान्यवर, मैं ध्याना दिलाना चाहता हूं।

"Protection in respect of conviction for offences—

(1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the comission of the offence.

[श्री दीपनारायण मणि]

यह इस तरह से २० से २२ तक है। २२ में लिखा हुआ है—

"No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult and to be defended by, a legal practitioner of the choice."

कोई आदमी जो बन्द होगा, जिस पर कोई कार्यवाही होगी वह उसको सुनाई की जानी चाहिये और और उसको अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिये वकील रखने का हक होगा। इसमें कई धारायें हैं। तो बहुत अधिक अधिकार हमें अपने फन्डामेन्टल राइट्स में मिल गये, और इस कानून में मिल गये हैं। ऐसे केसेज में मुश्किल से सौ में, दस केसेज में सजा हो पाती है और बाकी छूट जाते हैं। नतीजा यह है कि कोई आदमी पुलिस की मदद करने को तैयार नहीं है और पुलिस की कठिनाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुलिस को पर्याप्त साधन नहीं दिये गये हैं। साथ ही साथ जो समाज के सेवक हैं वह भी यह समझते हैं कि पुलिस वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसे हमें सहयोग देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा वातावरण बन चुका है जिसमें कुछ कठिनाई है। हमारे सूबे में पुलिस स्टेट न बनने पावे, इन सारी चीजों में सामन्जस्य निकालना बड़ी बुद्धिमानी का काम है। यह एक किताब हमें लाइब्रेरी से मिली है "ए हिस्ट्री आफ पुलिस इन इंगलैण्ड ऐंड वेल्स ९००—१९६६ बाई० टी० ए० ब्रिडले"। बड़ी अच्छी किताब है। इसमें लिखा है कि इंगलैंड में क्राइम्स बढ़े हैं। इंगलैण्ड और वेल्स की पुलिस के सम्बन्ध में जो चर्चा की गई है उसकी दो लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं—

'The police continue to tackle these vast problems with inadequate strength. Recruitment has continued buoyant in consequence of the Royal Commission's pay award and the stabilization of the value of police pay, but there has remained a persistently high rate of pre-mature retirements..

वे कहते हैं कि इंगलैंड में पुलिस द्वारा हर कोशिश करने पर भी वहां भी क्राइम्स बढ़ रहे हैं और दिक्कतें बढ़ी हैं। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं पुलिस परसोनेल बढ़ाने की आपने व्यवस्था की है, ट्रेनिंग के समय उनको अच्छे-अच्छे हथियार आदि देने की व्यवस्था की है और साथ ही पुलिस के सहूलियत के लिये रिवार्ड आदि देने की जो आपने व्यवस्था की है वह प्रशंसनीय है। पुलिस विभाग में इनाम वगैरह देने की जो व्यवस्था की गयी है उससे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन में इससे उत्साह बढ़ेगा और जो हमारे प्रशासन का एक अंग है वह भी आगे बढ़ सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया गया है आबकारी विभाग और पुलिस विभाग तथा सामान्य प्रशासन का, उस पर माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो दो रोज से इस सदन में चर्चा होती रही, दोनों तरफ के लोगों ने—सरकारी पक्ष के लोगों ने भी बतलाया कि प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत है। हर व्यक्ति ने जब-जब चर्चा की तब तक यह चर्चा का विषय रहा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है और इस सदन का हर माननीय सदस्य इस बात को मानता है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब नेता विरोधी दल थे तो इसी सदन में साढ़े ४ घंटे तक बोलते हुए उन्होंने स्थानान्तरण की चर्चा की थी और कहा था कि भ्रष्ट प्रशासन है और कोई तबादला नहीं होना चाहिये। यह कहा गया कि स्थानान्तरण का जहां तक सम्बन्ध है ऐसी कोई बात नहीं कि स्थानान्तरण न होना चाहिये लेकिन जब स्वच्छ प्रशासन की बात आती है तो आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आबकारी विभाग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हर माननीय सदस्य इस बात को मानता है कि मद्यनिषेध प्रदेश में होना चाहिये लेकिन फिर भी वह मद्य निषेध नहीं हो पा रहा है। सरकार की तरफ से जो लोग बोलते रहे, उन्होंने इसे २५–३० करोड़ रुपये की आय का बहाना बतलाया आज इस शराबखोरी के कारण प्रदेश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है और नीचे से ऊपर तक चाहे वह नेतृ वर्ग में हो या सरकारी अफसरों में हो सभी शराब पीते हैं कि जिनके खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि एक एक बड़े अफसर का खर्चा शराब का तीन हजार तक होता है। आई० ए० एस० और पी० सी० एस० इतनी तनख्वाह नहीं पाता तो वह शराब के खर्चे को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेता है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि मुख्य मंत्री जी शराब को रोकने के लिए कड़े से कड़ा कदम उठायें जिससे यह बन्द हो सके और भ्रष्टाचार रोका जा सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे तमाम प्रदेश परेशान है। आज हर आदमी गांव का हो या शहर का अपने को असुरक्षित पाता है। गांवों में जो डकैतियां, कत्ल और चोरियां होती हैं अधिकांश में पुलिस वालों का हाथ रहता है इससे कोई भी माननीय सदस्य सदन का इंकार नहीं कर सकता। जिस समय मुल्ला जी हमारे यहां हाईकोर्ट में थे उन्होंने एक जजमेंट में उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में लिखा था। ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी जो स्वच्छ प्रशासन देने का दावा करते हैं उन्हें भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से सीतापुर जिले की पुलिस की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मुख्य मंत्री जी वहां से काफी परिचित हैं और जब कभी वह सीतापुर दौरे पर गये और उन्होंने जो आश्वासन दिए वह भी उनको याद होंगे। जिस वक्त वह पुलिस मंत्री थे वह सीतापुर गये थे और उन्होंने कुछ आश्वासन दिये थे लेकिन वह आश्वासन इस समय तक पूरे नहीं हुए लेकिन आज वह मुख्य मंत्री हैं मुझे आशा है कि अब वह उन आश्वासनों को पूरा करेंगे।

सीतापुर में लहरपुर थाने में जुलाई १९६९ से मई १९७० तक कितनी डकैतियां हुई और कितने लोगों का चालान किया गया और कितनों को सिनाख्त की कार्यवाही में छोड़ा गया है इसकी आप कृपा कर जांच करा लें। एक तरफ बेगुनाह लोगों का चालान करते हैं और उसके बाद उनसे रिश्वत लेकर कार्यवाही सिनाख्त में छोड़ा जाता है। नियम ५१ का प्रश्न मेरे क्षेत्र का एक था उस ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसमें मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य भी हुआ था। वह वक्तव्य तथ्यहीन था। उसमें कहा गया था कि एक अविवाहित लड़की के नाम वारंट था। वह सीताराम की विवाहिता लड़की थी और वह तराई इलाके की है। उसके पकड़ने के लिए हल्दी के दारोगा गये थे। पुलिस वाले चार, पांच सौ रुपया लेकर औरतों की गिरफ्तारी के लिए जाया करते हैं। दारोगा साहब बिना वारंट गये थे और बाद में वारंट बनाया गया। उन्होंने जाकर जबरदस्ती कल्लू की औरत को पकड़ लिया। नतीजा यह हुआ कि कल्लू ने रोकने की कोशिश की और इस पर दारोगा जी ने गोली चला दी और कल्लू के माथे में गोली लगी। वक्तव्य में यह दिखाया गया है कि गोली चलाने से किसी को चोट नहीं आई। यह बिल्कुल असत्य है। सीताराम के भतीजे को गोली लगी। इस पर गांव के लोग नाराज हो गये। पुलिस वालों ने छः फायर किये और गांव वालों ने भी लाठी से सुरक्षा की व्यवस्था की। नतीजा यह हुआ कि पुलिस वालों को चोटे आईं और गांव में पकड़ कर बैठाल लिये गये।

रात को थाना हल्दी से पुलिस आयी जिसने जोधा और दूबर को लूट लिया। जब डिप्टी एस० पी० मौके पर पहुंच गए, तब उनको मालूम हुआ कि डिप्टी एस० पी० आ गए तो वह

[श्री कृष्णकान्त]

भाग गये । तो माननीय मुख्य मंत्री जी जांच करा लें कि क्या वास्तविकता है और तथ्यों से परे जिन अधिकारियों ने सूचना दी है उनको दंडित किया जाय। सरकार जो वक्तव्य देती है वह तो सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है। इसलिए जो अधिकारी गलत सूचना देते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए ।

अब राजस्व विभाग के सम्बन्ध में सीतापुर जिले के हालत बताना चाहता हूं। आज भी हजारों एकड़ जमीन सीलिंग की निकली हुई पड़ी है जिसकी व्यवस्था नहीं हो पायी है । जिनके कब्जे से निकाली है उन्हीं के कब्जे में चली जा रही है। उसका कारण लेखपाल कानूनगो और नायब तहसीलदार वगैरह हैं । सन् १९६८-६९ के दो परगनाधिकारियों का जिक्र करना चाहता हूं। एक मिसरिख के और दूसरे बिसवां के । दोनों ने लाखों रुपया कागजात दुरुस्ती में कमाया । आज भी हजारों काश्ताकारों के गलत कागजात दुरुस्त कर दिये गये है । मैं चाहता हूं कि सरकार उन मामलों की जांच करे। ऐसे हजारों मामले हैं जो गलत इन्दराज कर दिये गये हैं । आज भी लेखपाल और कानूनगों मिलकर १०-१० रु० बीघा रिश्वत लेते हैं । आज भी वहां चकबन्दी नहीं हो पायी हैं । नतीजा यह है कि लेखपाल गांव समाज की सारी भूमि बेच रहे हैं और वह उन्हें ही मिल रही है जिनके पास जमीन है, जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं उनके बीबी, बच्चों, नौकरों और रिश्तेदारों को मिल रही है । उन्हें भूमिहीन बताया जा रहा है ।

मान्यवर, कत्ल और डकैती की इस तरह बाढ़ आ गयी है कि रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हो पाती है.....

श्री चरण सिंह--

माननीय मित्र की मैं बड़ी कद्र करता हूं, बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन यह भ्रष्टाचार का बोध उन्हें कब से हुआ है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

पहले तो इसलिए नहीं था कि दिक्कतें रफा होती रहती थीं । अब ब्लाकेड हो गया है ।

श्री कृष्णकान्त--

माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस चेयर पर थे तो उन्हें बोध होता था । अब मैं इस चेयर पर आया हूं तो मुझे हो गया है । अगर मैं उधर चला जाऊं तो शायद नहीं रह जाएगा । श्रीमान्, काजल की कोठरी में कितनो हुं सयानो जाय, काजल की एक लीक लागि हे पै लागि हैं । तो यह कुर्सी का दोष है । तो मान्यवर, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वच्छ प्रशासन देने का दावा करते हैं लेकिन वह उसमें असफल हो रहे हैं । जनवाणी आज यह उठ रही है कि स्वच्छ प्रशासन इस प्रदेश को प्राप्त नहीं हो सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमान्, आजादी के बाद वैलफेयर स्टेट बनी और लोकतांत्रिक प्रणाली बनायी गयी । तीन विंग--लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और ज्युडीशियरी--आधार बनाये गये सारा काम-काज चलाने के लिये । देखने में यह आया है कि ज्युडीशियरी के पास कुछ पावर्स ऐसी हैं जिनसे वह अपने सम्मान की रक्षा करती है । वारन्ट जारी करने की, सारी एक्जीक्यूटिव को हिला देने की और एक्जीक्यूटिव के पास तो इतनी पावर्स हैं कि वह तो सब कुछ कर सकती है और बड़े खेद की बात वहां हो जाती है जहां पर लेजिस्लेचर का बड़ा भारी विंग, जिसको मंत्रिमंडल कहा जाता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह एक्जीक्यूटिव को ही सपोर्ट करने लगता है और उसका नतीजा होता है कि आज ब्यूरोक्रेसी को जितना बल मिला है जिस कारण वह आये दिन गड़बड़ियां करते चले जाते हैं जिसकी मिसालें सदन के सामने भी आये दिन आया करती हैं। वह चाहे बस्ती के डी० एम० हों या एस० पी० हों, चाहे बरेली के हों या आजमगढ़ के हों। वह कहीं की भी बात हो, वह लोग ब्यूरोक्रेसी की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उसको पार्ट करते हैं खास तौर से उन लोगों के साथ जो लेजिस्लेचर के पार्ट ऐन्ड पार्शल, हिस्सा हैं। उसकी जितनी भी निन्दा की जाय थोड़ी है। उसका मुख्य कारण है। एक तरफ तो यह माननीय सदन इस बात को मानता है कि जो भी कानून पास हो जाय उसका मानना सारी मशीनरी के लिये लाजिमी है, उसको मनवाने के लिये मजबूर किया जा सकता है और सभी के साथ बराबरी के काम किये जायं। दूसरी तरफ इस सदन का इन्डीविजुअल पार्ट जो है वह हैं माननीय सदस्य और उनका आज तक कोई भी स्टेटस वेरीफाई नहीं हो सका कि माननीय सदस्य का स्टेटस क्या है। नतीजा उसका यह होता है कि जो एक-एक लाख, डेढ़-डेढ़, लाख जनता के जो प्रतिनिधि हैं और जो जनता के दुखदर्दों को सम्मुख रखना चाहते हैं सदन में, उस सदन में, जो थोड़े ही समय तक साल भर में चलता है जिसके द्वारा कोई भी बात जनता की कही जा सकती है उसको उसका मौका नहीं मिलता, या पूरा मौका नहीं मिलता। एक्जीक्यूटिव का एक छोटे से छोटे मुलाजिम चाहे वह कान्सटेबुल हो या लेखपाल और उसके ऊपर एस० पी० या डी० एम० हो उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि जन प्रतिनिधि उनसे मिल कर जनता के कार्यक्रमों को उनसे बता सकें या फिर उनसे सम्पर्क स्थापित करके वह अपना प्रसाशन का कार्य कर सके। एक बात समझ में नहीं आती कि शासन ने एक आदेश जारी किया कि वह जनता के प्रतिनिधि से सम्बन्ध बनाये रखें और उसका नतीजा यह हुआ कि जो कलेक्टर है, एस०पी० है उन लोगों ने एम० एल० ए० की मीटिंग बुलानी आरम्भ की, बातचीत का आदान-प्रदान हुआ, यह गालिबन हर जिले में होता है, पर मेरी समझ में एक बात यह नहीं आती है कि शासन इस बात को जानता है कि जनता की परेशानियों का समाधान, इलाज कलक्टर या एस० पी० ही नहीं है बल्कि वह अधिकारी है जिसके सम्पर्क में उस आदमी को आना पड़ता है चाहे वह पुलिस का थानेदार हो, कानूनगों हो या कोई छोटा अधिकारी जिससे उस जनता का सम्पर्क पड़ता है और उससे उसको परेशानी होती है। कोई भी शासन का आदेश ऐसा नहीं हुआ कि वह इन नान-गजेटेड स्टाफ से जो परेशानियां फैल रही हैं उनको चाहे १५ दिन में या १ महीने में जब प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करने का मौका दें ताकि वे उनको बता सकें किन-किन चीजों में क्या-क्या मसले पैदा होते हैं और क्या-क्या बातें हैं और उनको किस तरह से करके हम ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम अच्छी तरह से चला सकते हैं। इस तरह का निर्णय बहुत जरूरी है। मान्यवर, ब्यूरोक्रेसी को रोकने के लिए.....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

चाहे इस माननीय सदन के अन्दर माननीय सदस्य का स्टेटस मुख्य मंत्री के स्टेटस से बड़ा हो परन्तु उन कर्मचारियों से उनका स्टेटस छोटा है।

श्री रिआसत हुसैन--

लोकतंत्रात्मक प्रणाली में सबसे बड़ा फोर्स लेजिस्लेचर का है, सबसे बड़ा फोर्स जनता के प्रतिनिधि का है और उसके लिये मैं माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिये एक प्रणाली बनाई। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी मंत्रिगण होंगे वह एक मतंवा जनता के सामने बैठें और आमने-सामने बातचीत हो ताकि उन यूरोक्रेट्स को मालूम हो कि उनकी क्या हकीकत है और पब्लिक की क्या हकीकत है और क्या हो सकता है। इसकी बड़ी सख्त

[श्री रियासत हुसैन]

जरूरत है। उनको इस प्रणाली को अपनाना चाहिये ताकि ब्यूरोक्रेट्स के रवइये में कुछ चेन्ज आये।

अब मैं एक सुझाव ट्रांसफर के सिलसिले में देना चाहता हूं और इस सिलसिले में मैंने एक वोट मुख्य मंत्री जी के पास भी भेजा है। मेरा सुझाव यह है कि अगर मुख्य मंत्री जी ईमानदारी से चाहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चले और ट्रान्सफर न रुकें और कोई किसी तरह का उनमें दखल न दे तो मेरा सुझाव यह है कि किसी भी कारण से किसी अधिकारी ने ट्रान्सफर किया हो, अगर ट्रान्सफर एक बार हो गया तो उसको जाना अवश्य चाहिये। उसको जरूर जाना पड़े ऐसा करना चाहिये, चाहे उसको कोई भी दिक्कत हो लेकिन कैंसिलेशन का कोई सवाल नहीं होना चाहिये। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आज यह परम्परा-सी पड़ गई है कि अगर किसी अधिकारी की अपने किसी सबार्डिनेट के खिलाफ राय बन गई या किसी वजह से उस सबार्डिनेट न उसका कहना नहीं माना तो वह अधिकारी उसका ट्रान्सफर करता है। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि स्टेट में हेड क्वार्टर पर दो अधिकारी रहें। एक तो नान गजटेट को डील करे और एक गजटेड को डील करे। जिसका भी ट्रान्सफर हो उसके लिये यह लाजमी हो कि वह वहां से चला जाय। उसको नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से या बदले की भावना से या कायदे-कानून के खिलाफ जो उसका ट्रान्सफर किया गया है उसके लिये उसको यह अधिकार हो कि वह अपनी अपील सरकार के पास भेज दे। अगर नान-गजटेड कर्मचारी है तो उसको नान-गजटेड वाला अधिकारी यहां पर देखे और अगर गजटेड अफसर है तो उसको गजटेड वाला अधिकारी डील करे। ज्यादा से ज्यादा ६ महीने के अन्दर वह समय होना चाहिये। अगर यह सिद्ध हो जाय कि इस कर्मचारी या अफसर का तबादला किसी बड़े अधिकारी ने रूल्स और रेगुलेशन को बालाये ताक रख कर इसको नुकसान पहुंचाने के लिये किया है तो अगर वह कर्मचारी या अधिकारी वापस जाना चाहे तो उसको वापस भेजा जाय और उस तबादला करने वाले अधिकारी को सजा मिलनी चाहिये ताकि यह महसूस हो जाय कि तबादला करने वाला इस तरह से उस कर्मचारी को परेशान नहीं कर सकता है। तो उस तबादला करने वाले अधिकारी को सजा मिलनी चाहिये ताकि यह मुसीबत दूर हो। लेकिन यह बात साफ हो जानी चाहिये कि जब ट्रान्सफर हो जाय तो ज्यादा से ज्यादा ६ महीने के लिये उसको जरूर ही जाना चाहिये ताकि ऐडमिनि-स्ट्रेशन का जो नुकसान होता है वह न हो। तबादला हो गया, उसने छुट्टी ले ली तो फिर वहां आकर कौन चार्ज ले ? वह लखनऊ अपनी कोशिश के लिये आ जाता है। नतीजा यह होता है कि काम का हर्ज होता है। इस वजह से इस चीज को दूर करने के लिये यह मेरा सुझाव है और इस पर मुख्य मंत्री जी ध्यान दें।

एक बात और कहना चाहता हूं। जब से पिछले ६७ से संविद सरकार बनी थी तो उसमें एक बड़ी भारी चीज यह हुई कि कांग्रेस की जो एक मोनोपोली थी वह खत्म हो गई। लेकिन इसके साथ-साथ एक नुकसान भी हुआ। वह नुकसान यह हुआ कि उस रोज से एक परम्परा यह चल गई कि जो सदस्य हो गया तो उसका क्राइटेरिया क्या हो। वह मंत्री के लिये अपना एम बनाता है। आज जनता में एलेक्शन के वक्त जो भी एलेक्शन लड़ते हैं वह यह समझकर लड़ते हैं कि हम मंत्री हो जायेंगे। वह यह नहीं समझते हैं कि हम एम० एल० ए० ही रहेंगे। वह जनता में यह कहते हैं कि तुम हमको जिता दो तो हम मिनिस्टर हो जायंगे चाहे उनको कितना ही डिफेक्शन करना पड़े और कितने ही तरीके इस्तेमाल करने पड़ें लेकिन वह यह कहते हैं कि हम मिनिस्टर जरूर हो जायेंगे, तुम हमको जिता दो। उसका एक कारण है। आज लेजिस्लेचर के अन्दर जो एक डिसपैरिटी है वह इसी कारण से है कि हर एक मिनिस्टर होना चाहता है। लेजिस्लेचर के एम० एल०ए० के अन्दर एक ईगो पैदा होता है और उसको पूरा करने के लिये वह इस बात की कोशिश करता है कि अगर वह हो सकता है तो जरूर कोशिश करे। उसके अन्दर भी इस बात का ईगो पैदा होता कि डी० एम० और एस० पी० मुझे भी मिलने के लिये आ सकते हैं और बड़े अधि-

कारी मुझे भी सलामी दे सकते हैं। तो उसको पूरा करने के लिये वह कोशिश करता है। तो उसके अन्दर एक ईगो पैदा होती है और उस इगो के लिये ही वह सारे कुकर्म करता है, वह हर तरह की खुशामद करता है और हाजिरी बजाता है।

एक तरफ मैं खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि माननीय बहुगुणा जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी है कि इस प्रदेश में कोई ऐसी साम्प्रदायिक बात पैदा न हो। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि आप के ही सूबे में एक ओर तो संविधान का आर्टिकिल २५ मौजूद है जिसमें हर नागरिक को मजहबी मामले में आजादी के साथ अपनी राय रखने का अधिकार है और उसके लिये एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड इस्तेमाल होता है:—"इन्नोवेशन"। इस शब्द की डेफिनिशन क्या है ? क्या इसका मतलब यह है कि मेजारिटी जो चाहे सो करे और उसके लिये पूरी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसको सपोर्ट करने को तैयार है और कोई इन्नोवेशन की बात नहीं है और अगर माइनारिटी कोई चीज आर्टिकल २५ के मातहत करना चाहती है तो सारी मशीनरी कहती है कि इन्नोवेशन नहीं होगा, कोई नई बात नहीं होगी चाहे वह आर्टिकल २५ के मातहत जायज हो या उसके विरोध में हो। आप देखें कि गुजरात में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और बिहार के चायबासा में क्या हुआ और यू०पी० में भी पहले हो चुका है। मैं यह कहना चाहता था कि आगरे में यह पोस्टर भी लग चुका है जिसका कि हेडिंग मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसका एक हेडिंग है "मुसलमान हिन्दू बनें या भारत छोड़ें", यह पूरा पैम्फलेट आगरे में चिपकाया गया था। उसकी मुख्य-मुख्य दो तीन बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी उनको गौर से सुन लें। मुसलमान मुसलमानियत के कलंक को धो डालें तथा शीघ्र हिन्दू बन जायं, दूसरी एक और इम्पार्टेन्ट लाइन है, "क्रान्तिकारी हिन्दुओं ने भूमिक्रान्ति की तैयारी कर ली है," और तीसरी इ पार्टेन्ट लाइन उस की है कि "याद रखो कि एक-एक मुसलमान पाकिस्तान का जासूस है"। यह पैम्फलेट क्रान्तिकारी हिन्दू युवक संगठन की ओर से छपा है और शीला देवी आर्य की तरफ से निकाला गया है। इसकी शाखायें आगरा में, अहमदाबाद में, बनारस में और दिल्ली में है। मुझे आशा है कि सी० आई० डी० ने भी अवश्य ही इस पर अपनी रिपोर्ट भेजी होगी और इसी के आधार पर माननीय बहुगुणा जी ने भी मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरफ विशेष ध्यान देंगे।

समय कम है इसलिये थोड़े में ही मैं दो चार शब्द पुलिस के बारे में और कहूंगा। आज जो पुलिस की हालत सूबे में है उसको देखकर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अब यह हमारी एक पुलिस स्टेट बन गई है। हमारे यहां के गांव शिकरिया का वाकया है कि ३ आदमियों को पुलिस ने साढ़े ३ बजे रात को पकड़ा और उनकी पिटाई उस वक्त से सुबह ९ बजे तक होती रही और थाने अमरोहा की बात है कि ९ बजे दिन को उन तीनों को पेड़ से लटका कर गोली मार दी गई। हालांकि यह कहा गया कि वह १२ मुकदमों में मुबतला थे लेकिन आप कहते हैं कि हमारे यहां रूल आफ ला है, रूल आफ जंगिल नहीं है। वह डिक्लेयर्ड आउटला नहीं थे अभी तो उन पर मुकदमा ही चल रहा था, क्या बात थी सही थी गलत थी यह इन्क्वायरी का विषय हो सकता था, देखा जा रहा था कि किस आधार पर उन पर मुकदमा चल रहा था लकिन अगर सही भी चल रहा था तो यह अधिकार पुलिस को कहां है कि वह किसी को साढ़े ३ बजे रात को पकड़ ले और उनको सुबह ८–९ बजे तक डंडों से मारा जाय और जब वे वेहोश हो गये तो उनमें से एक को शीशम के पेड़ से, एक को जामुन के पेड़ से और तीसरे को नीम के पेड़ में बांधकर टांग दिया गया और गोली मार दी गई और बाद में कहा गया कि वह पुलिस से इन्काउन्टर में मारे गये। मैंने पूछा कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मुख्य चोटें क्या थीं। गोली के निशान के अलावा जिस्म पर और क्या चोटें थीं तो यह नहीं बताया गया।

[श्री रियासत हुसैन]

मैं मानता हूं कि वे लोग डाकू हो सकते हैं लेकिन देश में रूल आफ जंगल तो नहीं है । देश के अन्दर रूल आफ ला है ।

पहली अप्रैल को मुरादाबाद से ६ मील के फासले पर एक एक्सीडेन्ट हुआ। जिसमें एक प्रौजेक्ट औफिसर तथा ७ आदमी बुरी तरह से जख्मी हुये। उसी बीच एक महेश्वरी नाम के बी०डी०ओ० फरीदाबाद ने पास के स्टेशन से टेलीफोन से इत्तिला दी । लेकिन यह कहा गया कि आज पहली अप्रैल है और आप हमारा पहली अप्रैल फल बना रहे हैं। वहां पर कोई मैजिस्ट्रेट कोई पुलिसवाला नहीं पहुंचा । २.४५ बजे ड्राइवर ने पुलिस में रिपोर्ट की । तो केयरलैसनैस, और नैग्लीजेन्स की और कोई इससे बढ़कर शिकायत हो सकती है ? मैं तो चाहूंगा कि इस पर आप जांच कराइय और जो भी इसमें दोषी पाये जायें चाहे वह सिपाही हो या अन्य कमचारी हो, उनको सख्त स सख्त सजा दीजिय । जो लखनऊ की हालत है वह आपके सामने है कि दिन ब दिन ला एंड आर्डर की हालत बिगड़ती जा रही है । आज पुलिस का हर अधिकारी और सिपाही यह समझने लगा है कि चौधरी साहब हमारे मख्य मंत्री हैं और बी०के०डी० की सरकार है । समझ में नहीं आता कि वे कौनसा फारमूला अख्तियार किये हुये हैं और कौनसा फारमूला उनके दिमाग में है ? उनका विश्वास हो गया है कि चाहे जो कुछ करें उनका कुछ होने वाला नहीं है । पहले एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आपका नाम हुआ था । जब सदन में माननीय हर गोविन्द सिंह जी पुलिस मंत्री थे तो आपकी नजीर कोट की जाती थी कि जब चौधरी साहब होम मिनिस्टर थे तब यह हुकूमत थी लेकिन आज उन्होंने मुख्य मंत्री के पद के अलावा जो प्रदेश का सबसे बड़ा पद है, होम विभाग को भी संभाला है । अब आप सोचिये कि यह विभाग किस ओर जा रहा है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)--

श्रीमन, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं इस सदन का मेम्बर होने के बाद दूसरी मर्तबा बोलने का फक्र हासिल कर रहा हूं । यह सदन मेरे नजदीक एक ऐसी जगह है जिसको इस सूबे की नुमाइंदगी का हक हासिल है । हमको हमारे मुल्क ने डिक्टेटर-शिप के बाद यों अर्ज करूं अंग्रेजों की हुकूमत के बाद जो चीज दी है वह जमहूरियत है, डैमोक्रेसी है, जिसका कुछ जिक्र अभी भी हमारे भाई रियासत हुसैन साहब ने अपनी तकरीर में किया है। जमहूरियत के मायने यह हैं कि इलैक्शन के जरिये से पब्लिक की राय के समान ये नुमाइन्दे चुने जायं और वे पब्लिक की नुमाइन्दगी करने के लिये इस सदन में आकर बैठें। इस सदन में आने के बाद,पब्लिक के नुमाइन्दें बनने के बाद जितने मैम्बरान होते हैं, वे दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। देश के एक बड़े हिस्से को हुकूमत कहा जाता है और दूसरे, उससे छोटे हिस्से को अपोजीशन कहा जाता है । मेरे नजदीक और इस मुल्क के तमाम काबिल पढ़े-लिखे संजीदा होशमन्द लोगों के नजदीक इस सदन के दो हिस्से बेइन्तिहा जरूरी हैं । जहां तक कि हुकूमत का ताल्लुक है हुकूमत एक ईमानदार और मुसिन्फ हुकूमत होनी चाहिये । मेरे नजदीक जहां तक अपोजीशन का ताल्लुक है, अपोजीशन एक मजबूत और एक संजीदा अपोजीशन होना चाहिये । लेकिन मैं पहली बार मैम्बर की हैसियत से इस सदन में आकर और एक साल की खामोशी की जिन्दगी बिताकर यह आज महसूस कर रहा हूं कि जो कुछ उम्मीदें इस सदन से बावस्ता अवाम हैं, मेरा खयाल है और मेरा अन्दाजा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वह अपोजीशन की तरफ से इस वास्ते नहीं पूरी होतीं कि अपोजीशन अपने को अपोजीशन नहीं समझता, बल्कि हुकूमत का एक दुश्मन अपने को करार देता है । अपोजीशन भी, मैं अर्ज कर चुका हूं, और फिर दोहरा रहा हू कि उतनी ही जरूरी चीज है या उससे ज्यादा जरूरी चीज है जितनी कि हुकूमत अपोजीशन के लिए है । हो सकता है कि अपोजीशन में बैठने वाले हजरात मुझसे इस बात से नाराज हों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन मुझे यह गुजारिश करनी है, वह मैं अर्ज कर दूंगा । यहां के वे सीनियर और तजुबकार मेम्बर जिनका दावा है कि कोई १५ वर्ष से,कोई तीस वर्ष से और कोई दस वर्ष से है । लेकिन जब उनके तौर-तरीके देखिये तो मालूम होता है कि वे एक महीने से भी नहीं हैं । बहुत अफसोस की बात है कि माननीय जायसवाल जैसे एक सीनियर मेम्बर और उनसे कुछ ऐसी बातें हों जिससे कि काम की बात होने के बजाय सदन का वक्त जाया होता है, एक हंगामे की कैफियत है । स्पीकर की अध्यक्ष की बात न मानी जाय, उनकी बात को दबाने के लिए जोर से तकरीर की जाय । वे बैठलाना चाहें और मेम्बरान न बैठें, वे रोकना चाहें.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपने विषय पर आयें ।

श्री इम्तियाज हुसैन—

इससे पहले भी इस किस्म की बातें आम हो चुकी हैं । मैं बहुत जल्द अपने मतलब पर आ रहा हूं । मेरा ख्याल है कि माननीय जायसवाल साहब हाउस आफ कामन्स की नकल करना चाहते हैं । हाउस आफ् कामन्स की कार्यवाहियों को देखने के बाद मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है और चर्चिल की नकल करना चाहते हैं । लेकिन मैं उनसे यह गुजारिश करूंगा अध्यक्ष महोदय के जरिये कि यह बात उन पर जेबा नहीं देती । न हाउस आफ् कामन्स में कोई ऐसी मिसाल मिलती है और न कोई चर्चिल के पास ऐसी कोई मिसाल मिलती है ।

हमारे कृष्णानन्द राय जी जो बहुत ही मुअज्जिब मेम्बर हैं, वे पहले ऐसे नहीं थे, मगर जायसवाल जी की सोहबत का उनपर भी असर पड़ गया है । श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी हैं, जो हर वक्त नाराजगी का गिला किया करते हैं, मेम्बरान को याद होगा कि जब भी उन्होंने कोई बात कही, कभी खन्दां पेशानी के साथ जवाब नहीं दिया । हमेशा गुस्से में ही बात कही, और अब वे गुस्से की शिकायत करते हैं, बल्कि गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं । तो यह सब अपोजीशन की कैफियत है । मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जिन लोगों के ऊपर अपोजीशन का दारोमदार है । अगर यही सूरत रही तो सूबे की जनता अपोजीशन के फरायज से कतई मायूस हो जायगी और मायूस हो चुकी होगी । मैं गुजारिश करता हूं कि सदन का वक्त जाया करने से बेहतर यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा सही काम करें, सही बात बतलायें, हुकूमत को सही रास्ते पर लायें, खाली इल्जामात ही न लगायें.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर सही इल्जाम हो तो क्या खामोश रहा जाय ?

श्री इम्तियाज हुसेन—

अगर इल्जाम सही है तो इल्जाम का सवाल नहीं है । (लाल बत्ती होने पर) अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोला हूं, जब कि आप २०-२० मिनट देते हैं.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अभी तो उन्होंने शुरू ही किया है । मैं भी गुजारिश करता हूं कि इनको समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

२ मिनट आप और बोल लें ।

श्री इम्तियाज हुसैन—

मैं यह कह रहा था कि अपोजीसन के फर्ज को अगर अपोजीशन वाले नहीं समझेंगे तो वे जनता का बड़ा नुकसान करेंगे और जनता के हकूक की नुमाइदगी न अदा कर सकेंगे और फिर उसकी साख और उसकी जरूरत ही खत्म हो जायेगी ।

हमारे देश ने डिक्टेटरशिप को हटाकर जम्हूरियत का सहारा लिया है, लेकिन अगर जम्हूरियत ही खत्म हो गयी तो फिर इस मुल्क का क्या होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वही होगा जो आज हो रहा है ।

श्री इम्तियाज हुसैन—

इस बहस में पुलिस का भी हिस्सा है । हर बोलने वाला मेम्बर इस बात को साबित करने की कोशिश करता है कि पुलिस बहुत बुरी है, पुलिस बहुत अत्याचार करती है, रिश्वत लेती है, तमाम तरीक के जुल्म करती है, लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि यह तमाम बुराई, यह रिश्वतखोरियां सिर्फ तीन महिन स है? यह खैरियत है । यह तीन महिने तो वह हैं जो सुधार की तरफ चल रहें हैं । म बिना सबूत के कोई बात नहीं कहना चाहता हूं । मैं इस लखनऊ का रहने वाला हूं और यहीं का मेम्बर हूं और आपके सामने वह मिसाल पेश करता हूं । यही पुलिस और पिछली हुकूमत और यही पुलिस और यह हुकूमत में फर्क क्या है । २६ मई, सन् ६९ को इस लखनऊ में सुन्नी शिया का फसाद हो गया जिसमें ५ जानें जाया हो गई, सैकड़ों को तादाद में घर जलाये गये, सैकड़ों आदमी लूटे जाते हैं और यही पुलिस जो इस वक्त है आई० जी० और डी० आई० जी० के अलावा तमामा पुलिस अफसर भी मौजूद हैं जो उस वक्त थ और गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर और उसी शहर में रहते हैं । दो महीने पहले से मैं और दूसरे लोग उनको इस बात के लिये आगाह करते हैं कि इस शहर में दो तबकों के बीच नफरत बढ़ रही है, झगड़े पैदा होने की सम्भावना है और प्रबन्ध मुकम्मल नहीं हुआ तो फसाद जरूर हो जायगा । इसके बारे बार-बार कहने के बावजूद १२ बजे दिन को ४ फलांग की एक सड़क का प्रबन्ध नहीं हो सका उस सरकार स, जिसको इस लखनऊ, का इस सूबे का बच्चा-बच्चा जानता है कि कितनी तबाही हो गई और वही पुलिस आज मौजूद है जो उस समय थी । मैं आपके सामने मिसाल भी पेश करता हूं जो वाक्या है उसको कोई गलत नहीं कह सकता । आज वही पुलिस है और वही जमाना है । दो महीने और ८ दिन का मोहर्रम होता है । पिछले साल की आग अभी ठंडी नहीं हुई है । दोनों फिरकों के दरम्यान कशमकश बाकी है, नफरत के जजबात हैं । हालात वही हैं । झगड़ा यही । कोई झगड़ा नहीं खत्म हुआ, वह बुनियाद नहीं खत्म हुई । लेकिन इसको कहने मे मुझे कोई गुरेज नहीं है । वह हुकूमत खत्म हो गई । और इन तमाम हालात बिगड़े होने के बावजूद अमन और चैन से इस बार सब गुजर गया। मोअज्जिम मेम्बरान, किसी भी पार्टी के हों सोंचे कि क्या वजह है कि अब की झगड़ा नहीं हुआ, उन्हीं बातों के होते हुये भी ? तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि उनको यह कहना पड़ेगा कि पुलिस भी वही है, हालत भी वही है, नफरत का जजबा भी वही है, लेकिन क्या बात बदल गई, सिर्फ हुकूमत बदल गई । उसके बदल जाने का यह नतीजा हुआ कि तमाम कोशिशों के बावजूद, इस बार भी फसाद कराने की कोशिशें की गईं, इतना अच्छा पुलिस का इन्तजाम किया गया कि कोई झगड़ा कहीं नहीं हो सका ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी जो माननीय सदस्य अपना भाषण कर रहे थे उन्होंने अपोजीशन के क्या कर्तव्य हैं उन पर ही पूरा ध्यान दिया है, पोजीशन में रह कर क्या करना चाहिये, इसके सम्बन्ध में थोड़ी बहुत बात बता पाते तो मैं उनका आभारी होता। यह सही बात है कि देश का जनतन्त्र चलाने में अपोजीशन के लोगों का कर्तव्य है लेकिन उससे बड़ा कर्तव्य जो पोजीशन में होते हैं उनका होता है। मैंने विधान सभा में अधिकतर अपोजीशन में रहने की कोशिश की है, दस महीनों को छोड़ कर। और दुर्भाग्य है या सौभाग्य, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी मैं अपोजीशन की तरह रहता था। उसकी सजा भी पाता था। लेकिन एक बात कहता रहा हूं। इस देश में जनतन्त्र को रखना है तो जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। यह बात पहले भी थी और आज उससे अधिक हो रही है, जनता की आवाज उठाने वालों को बरदाश्त नहीं किया जाता। आज के समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा कि भारतीय क्रान्ति दल के उदितनारायण जी के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहें हैं। किस चार्ज में? इस चार्ज में कि उन्होंने यह कह दिया कि न यह बजट समाजवादी है और न उनके नेता समाजवादी हैं। इस पर दंड स्वरूप कार्यवाही की जा रही है। सभी समाचार-पत्रों में है। कैसे जनतन्त्र चलेगा? सदन का सम्मान कैसे रहेगा? जनता की बात कहने की हिम्मत कौन कर सकेगा? मुख्य मंत्री जी आज मौजूद हैं। उनका भी चार्ज है और उस रोज जगवीरसिंह जी बोल रहे थे उन्होंने भी कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बेपढ़ हूं।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

बेपढ़ नहीं कहा। मैंने कहा कि पढ़ने का शौक नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

पढ़ने से वास्ता भी नहीं है और पढ़ने का शौक भी नहीं है। मैं सुनी बात कह रहा हूं। मैं जगवीर सिंह जी और मुख्य मंत्री जी से बड़े अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि मेरा अक्षर ज्ञान कम हो सकता है जगवीरसिंह जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत कम हो सकता है। मगर मैं यह बता सकता हूं कि मैंने गरीबों की समस्याओं का माननीय मुख्य मंत्री जी से अधिक अध्ययन किया है, २० वर्ष के अन्दर और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने जिन गरीबों और किसानों की समस्याओं को सदन में रखा है माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मिनिस्टर होने के नाते, हमेशा विरोध किया है। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने किसान मजदूर की बात को कभी भी प्राथमिकता दी हो। केवल मिनिस्ट्री में रहनें की वजह से और किसी वजह से उन समस्याओं को, जिन पर वह अलग से कहते रहे हैं, और जब वह विरोधी दल के नेता रहे हैं तब का भाषण और तब के कार्यकलाप इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं। उस सीमा को कभी विरोधी दल के लोगों ने पार नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। काश माननीय मुख्य मंत्री जी अधिक दिन उधर रह जाते तो मैं इस प्रदेश का सौभाग्य समझता। उन्हें इस प्रदेश की समस्याओं का ज्ञान हो जाता। गरीब जनता की कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता। उन की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सका। फिर वह मुख्य मंत्री बन गये। और फिर भूल रहे हैं जितना इधर बैठ कर याद हो गया था। एक बड़ा भारी चार्ज है। चाहे पहले की सरकार रही हो या कोई सरकार रही हो, लेकिन मुख्य मंत्री तो हर सरकार में रहते हैं और कोई बतला दे किसी सरकार को जिसमें मुख्य मंत्री का कोई न कोई योगदान न रहा हो। शिक्षा विभाग तो शायद उन पर कभी नहीं रहा बाकी कोई विभाग इस प्रदेश का नहीं रहा जो उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम चन्द्र विकल]

पास न रहा हो। पहले की स्पीचेज निकाल कर मैं दिखला सकता हूं, अकेले में भी मैं उनसे कह चुका हूं कि चाहे चकबन्दी हो, चाहे पुलिस हो अथवा ट्रान्सपोर्ट रहा हो, चाहे कोई भी महकमा रहा हो उन सभी में भ्रष्टाचार खुब रहा है और उनकी शिकायतें भी की हैं। लेकिन बात क्या है ? बात यह है कि मुख्य मंत्री जी का एक खास स्वभाव है। वह कानों के बहुत कच्चे हैं। इतना कानों का कच्चा आदमी स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सकता और अगर खराब से खराब आदमी चापलूसी करले चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो अथवा राजनीतिक कार्यकर्ता वह उनका बड़ा कृपापात्र हो जायगा, लेकिन अगर कोई सही बात कहता हो और वह उनका चाहे कितना ही हमदर्द हो वह उनसे दूर होते चले जाते हैं और उसी का यह परिणाम है कि जब भी उनके पास कोई बिभाग रहा है पुलिस से लेकर चकबन्दी तक, उसमें सुधार नह हो सका। अखबारों के लिये एक अहंकार, दम्भ तथा मान प्रतिष्ठा से भरी बात वह अपनी तरफ से कहते रहते हैं। आजकल जो उनके वक्तव्य आ रहें हैं नक्सलाइ ्स के बारे में उनमें कहा गया कि वह स्वाभाविक है और यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के बराबर भूमि सुधार कभी हुआ नहीं। अब कौन सी बात सही है ? या तो नक्सेलाइट्स की समस्या भूमि की वजह से है यह सही है और उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार हुआ ही नहीं या उनकी यह बात सही है कि ऐसा भूमि सुधार आजतक हुआ ही नहीं। जिस दिन शपथ ग्रहण की उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है इसलिये स्वच्छ प्रशासन चलना जरा मुश्किल है। आखिर हम तो बटवारे के हामी ही रहें हैं। मुख्य मंत्री भी दिल से यह बात चाहते हों तो स्पष्ट करें। इस प्रदेश का इतना बड़ा रकबा है, बड़ी आबादी है, इसे वह मानते हैं और इस प्रकार हमारी बात का ही समर्थन करते हैं। वे जब तक एसा खुल दिल से नहीं कहते तो स्वच्छ प्रशासन कैसे आयेगा ? जब अपनी सही बात वह नहीं कह सकते जिसे कि वह दिल में चाहते हैं तो स्वच्छ प्रशासन नहीं चल सकता। यह प्रदेश बड़ा है, यह उनको आज नजर आया, जब मुख्य मंत्री बने तब उनके सामने ये समस्यायें आईं। इसकी समस्यायें बराबर उलझ रही हैं और उसके भागीदार वह भी हैं। यह प्रदेश बहुत पिछड़ गया, आर्थिक समस्यायें भी पिछड़ गयीं। इस प्रदेश की गरीबी के लिये कौन जिम्मेदार है ? सौभाग्य से इस प्रदेश के ही प्रधान मंत्री होते रहे और उनका तकल्लुफ यह रहा कि अगर वह प्रदेश के लिये कुछ बात कहेंगे तो उनको छोटा समझा जायगा, संकीर्ण समझा जायगा और यहां पर जो सरकार बनी उसका जो चीफ मिनिस्टर रहा उससे केन्द्रीय सरकार से लड़ा नहीं गया और अब चौधरी साहब पहली दफा मुख्य मंत्री हुये हैं, उनका तजुर्वा पहली दफा होगा। यही कारण रहा कि यह प्रदेश गरीब और पिछड़ता गया। असमानता बढ़ती गयी और समाजवाद से दूर होता गया।

बलिया का किस्सा रोज पढ़ता हूं। बिहार के लोग हमारी फसल उठा ले जाते हैं और यहां के लोग बिहार के लोगों से मिल जाते हैं। कैसे स्वच्छ प्रशासन चलेगा ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा और हरियाना की सीमा मिलती है। अनेक घटनायें होती हैं। वहां के पुलिस अधिकारी हर तरह का काम कराते हैं, कई बार शिकायत हुई लेकिन कोई सुनवाई उन्होंने नहीं की। यह भी देखा कि हरियाना सरकार ने जमुना पर बांध लगा दिया और हमारी सरकार रोक नहीं सकी। और अभी दो जिलों पर पाबन्दी लगी है। एक अखबार में निकला कि दिल्ली की बसें हमारी सीमा में न आयें और हमारी बसें उनकी सीमा में न जायं। किन्तु आपने दूसरे प्रदेश की बसों को यहां आने के लिये एलाऊ कर दिया। हमारी बसें सीमा पर रुकी रहतीं इससे दिक्कत उन्हीं लोगों को होती। लेकिन दूसरे ही दिन बिना नोटिस के गाजियाबाद में बसें आने लगीं। मैं इसके लिये केवल इसी सरकार को दोष नहीं देना चाहूंगा। हमारे जो सीमावर्ती प्रदेश हैं उनके साथ ऐसी ही बातें हैं। आखिर स्वच्छ प्रशासन कैसे चलेगा ? इतने बड़े प्रदेश में दूसरे राज्यों का दखल हो जाय तो इससे प्रशासन सुधरेगा नहीं बल्कि वह और खराब होगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन तब ठीक होगा जब आप जिलों में उन अधिकारियों को भेजेंगे जो कि उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हों, उनकी समस्याओं

को सुनने में दिलचस्पी रखते हों । जो जनता के प्रतिनिधि हैं उसके बीच जाना-आना पसन्द करें । डेमोक्रेसी तभी सफल हो सकती है । जो फाइल का काम करना जानते हैं उनको आपने दूर रख लिया है । मैं स्वयं माननीय मुख्य मंत्री से कह चुका हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिले की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं । जो लोगों को मिलना चाहते हैं, किसी पार्टी से सम्बद्ध नहीं हैं । मैं आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं कि जिले के जो बड़े-बड़े अधिकारी और पुलिस के कप्तान हैं उनको आप जिम्मेदारी सौंप दें । अगर कोई चोरी और डकैती होती है तो आप पुलिस के कप्तान को सजा दें । होता यह है कि जो आदमी काम करता है,जिसको इनाम मिलना चाहिये उसको इनाम नहीं मिलता है और जो बड़े-बड़े अफसर होते हैं जो काम नहीं करते हैं उनको इनाम दिया जाता है । जब काम छोटा आदमी करेगा और उसका श्रेय बड़ अधिकारियों को दिया जायगा तो उसका उत्साह क्या रहेगा ? इस सम्बन्ध में आपको सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार स्वच्छ प्रशासन कैसे चल सकता है । यह बात सही है और मैं इससे सहमत हूं कि अपराधों की वृद्धि समाज में तभी होती है जब किसी का भय नहीं रहता है, ईश्वर का भय नहीं रहता है। लेकिन यह भय एक ही दिन में हटा है ? क्या ईश्वर का भय एक ही दिन में हटा है ? यह धीरे-धीरे हटा है । हम सभी इसके दोषी हैं । मैं इसके लिये मुकाबले के आंकड़े नहीं रखता हूं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन देना होगा और खराब लोगों को सजा देनी होगी । सजा देत वक्त किसी गलत आदमी को माफी और सही आदमी को सजा न दी जाय तभी स्वच्छ प्रशासन चल सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की समस्या बड़ी गम्भीर है। चाहे आप मंत्रि-मंडल कितना ही बढ़ा लें, मुझे कोई शिकायत नहीं है, किन्तु मैं इतना जरूर कहूंगा कि मंत्रियों को जनता के बीच रहना चाहिये । जनता के बीच रहने पर उन लोगों की समस्याओं का सही समाधान हो सकता है और उसको लोग जान जाते हैं । यह बात मैं सही कह रहा हूं । मैं भी कुछ दिनों मंत्री रहा । प्रदेश की सारी समस्याओं को जबानी बता सकता हूं । ललितपुर की क्या समस्या है, बिजनोर की क्या समस्या है, इलाहाबाद क लोगों की क्या मांगें हैं, जौनपुर के लोगों की क्या मांगें हैं । ये सारी बातें, अगर जनसंपर्क है तो समझ में आ जाती हैं । मंत्री को जनता के बीच में जाना चाहिये और उसकी छोटी-छोटी दिक्कतों को समझने का प्रयत्न करना चाहिये । कहां पुल की आवश्यकता है, कहां की जनता को पुलिस के अधिकारी के बारे में क्या शिकायत है, जनता के बीच में जाने पर इन सारी बातों की जानकारी हो सकती है । अब भी ऐसे आफीसर मौजूद हैं जो फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं । सार्वजनिक कार्यकर्त्ता अगर फील्ड में रहेगा तो अच्छा काम करेगा । लेकिन अगर उसकी फाइल चली तो मुख्य मंत्री तक वह कितनी देर में आयेगी और उस पर आर्डर होकर नीचे तक कितनी देर में पहुंचेगी ?

सरदार प्रताप सिंह कैरों की एक बात कही गयी । मैं भी उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को बड़े अदब के साथ बता देना चाहता हूं । वे हमारे नजदीक के ही रहने वाले थे । उनसे मेरी पर्सनल जानकारी थी । अंबाले में अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक मीटिंग हो रही थी । उन्होंने सारे आफीसरों को बुलवाया था । प्रताप सिंह कैरों की कुर्सी कुछ ऊंचे पर लगा दी गयी थी । जब वे आये तो उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी नीचे लगाओ, मैं नजदीक से बातें करना चाहता हूं । नीचे आकर उन्होंने जिलाधीश आदि से कहा कि हमको सबके बारे में बताओ कि कौन कैसा आदमी है । कैसा बी०डी० ओ० है, कैसा तहसीलदार है, ताकि मैं समझ सकूं कि किस आदमी से किस प्रकार से बातें करना है । उन्होंने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से एक ही सवाल किया । मैं एक बात जानना चाहता हूं कि तुमने कभी खेती तो की नहीं होगी, आपके पिता ने भी नहीं की होगी । वह

[श्री राम चन्द्र विकल]

किसान जरा खड़ा हो जाय जिसके बाबा ने खेती की हो । उन्होंने फिर कहा कि मैं पंजाब में अन्न की उपज बढाना चाहता हूं । उसके लिये किसानों को सहूलियत देना चाहता हूं । किसानों को खाद, बीज, पानी आदि की सुविधाओं के लिये आपके दरवाजे पर नहीं जाना होगा, बल्कि इनके लिए आपको उसके दरवाजे पर जाना होगा और इस सब को चैक मैं करूंगा । कलक्टर सारे जिले का मालिक न होगा उस को अपने जिम्मे एक क्षेत्र को लेना होगा और तहसीलदार को एक क्षेत्र को लेना होगा और मैं इस बात को देखूंगा कि किसने कितनी पैदावार को बढ़ाया है । इस प्रकार से हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिये । हमारे मुख्य मंत्री सौभाग्य से किसान के बेटे तो हैं लेकिन उसका उनको शौक नहीं है, इसलिये किसानों की समस्याओं को समझने की वे कोशिश नहीं करते, वरना आज प्रदेश की हालत यह न होती । वे तो फाइलों में ही लगे रहते हैं, उन्होंन बहुत पढ़ा है और बहुत लिखा है । मैं तो इस बात को साफ नहीं कह सकता लेकिन स्वर्गीय मोहन सिंह जी तो कह दिया करते थे । जब वे मुख्य मंत्री जी से मजाक में बातें करते थे । मेरे लिये तो बुजुर्ग हैं, मैं तो वह कह नहीं सकता । वे कहते चौधरी साहब, आपका तो केवल फाइलों से वास्ता रहा है, आप खेती की बात क्या जानें ? अगर मंत्री प्रदेश में घूमेंतो आज ही उनको प्रदेश भर की समस्याओं का पता लग जाय । सारी समस्यायें लोगों के मिलने और आफीसरों से मिलने से मालूम हो जाती हैं ।

माननीय वीरेंद्र वर्मा जी ने इधर कुछ काम किया है। कुछ पीपुल्स कोर्ट लगाये हैं । लेकिन लोगों में उससे कुछ नाराजगी है । सारे जिले के अधिकारियों ने यह तय कर लिया है कि जब उनके पास किसी काम के लिये जाओ तो कहते हैं कि वर्मा जी से यह सामान मंगवा दो तो हम ट्यूबवैल लगवा देंगे । लेकिन इस प्रकार से जनता में जाना अच्छा है । उनके बीच में जाना चाहिये और प्रशासन को ठीक बनाने का प्रयत्न करना चाहिये वरना मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि ये सरकारें तो जानी आनी हैं, आवागमन इनका तो रहेगा । और आपके घोड़े के तो लगाम भी नहीं है और उसकी टांग भी टूटी है । लेकिन इस सब की फिक्र न करते हुए आपको सचमुच ही प्रदेश की समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिये, उसकी उन्नति करनी चाहिये और प्रधान मंत्री से लड़ कर दिखाना चाहिये । क्या चाहते हो प्रदेश के लिए ? खाली गोपनीय नोट चला दिया जाय आपका और जब आप चीफ मिनिस्टर न हों तब जाहिर हों, मैं उसे पसंद नहीं करता । वह अभी से जाहिर हो कि आपने क्या चाहा है, तब मैं समझता हूं कि प्रदेश का आर्थिक विकास होगा ।

मैं मुख्य मंत्री जी से विनम्र शब्दों में एक और बात कहना चाहता हूं । मंत्रिपरिषद की गोपनीयता की बात हाउस में बता बैठें यह बात सही नहीं है । इसके लिए तो हम शपथ खा कर बैठते हैं और आपने नाम लेकर कहा कि संविद सरकार में फलां जनसंघ के मे बर की यह राय थी, वह राय थी । यह मैं समझता हूं कि आप अपने अधिकारों से आजकल कुछ आगे बढ़ रहे हैं । मंत्रिपरिषद के मे बरों की क्या राय होती है, वह जाहिर नहीं होनी चाहिये । मंत्रिपरिषद् के व्यक्तिगत मेम्बरों की अलग राय क्या थी वह कहते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति की क्या राय थी वह नहीं कहना चाहिये ।

(इस समय ४ बज कर ३२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मैं और निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश की अनेक समस्यायें हैं । सिंचाई के साधनों की जहां तक बात है, हमारे वर्मा जी ने तो कह दिया कि घाटे की वजह से हम सिंचाई की दरें नहीं कम कर रहे हैं । उन्होंने कह दिया कि सूबे भर का घाटा जोड़ रहे हैं । मैं सिंचाई मंत्री से कहना चाहता हूं कि इन बातों से अब काम चलने वाला नहीं । ट्यूबवेल रेट्स इस नई सरकार के आने से और बढ़े हैं । आबपाशी की दरें और बढ़ी हैं और आप कहते हैं कि हम किसान के हिमायती हैं । मुख्य मंत्री जी जो नेता विरोधी दल की हैसियत

से बोल चुके हैं उसमें से आधा काम कर दें, मैं बधाई दूंगा उन्हें । सब नहीं कहता । सब असम्भव भी होता है किसी सरकार के लिए करना । लेकिन नेता विरोधी दल की हैसियत से वह जो बातें कह चुके हैं अगर उनमें से आधी भी पूरी कर दें तो मैं उनको बधाई दूंगा । यह सब आवागमन का जमाना है । मैं पूछना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य पहले कह रहे थे कि विरोधी पक्ष के लोगों को तमीज नहीं है, ज्ञान नहीं वह अपना कर्त्तव्य नहीं समझते हैं, विरोध में तो मुख्य मंत्री जी बैठ चुके हैं । वह थोड़े ही दिन बैठें हैं, ज्यादातर सरकार में रहे हैं । तो वह सरकार से उन बातों को पूरा करा दें। विरोध की जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं । विरोध में कोई ऐसा काम नहीं होगा जो जनतंत्र के विरुद्ध हो । लेकिन सरकार का क्या कर्त्तव्य है वह भी तो करके दिखाये !

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

माननीय नोमानी ।

(थोड़ी देर तक श्री हबीबुर्रहमान तथा श्री कल्पनाथ सिंह, दोनों एक साथ बोलते रहे ।)

श्री अध्यक्ष—

(श्री कल्पनाथ सिंह से) क्या बात है ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

बात यह है कि नियमों के अन्तर्गत ५ बजे के एक घंटा पूर्व कामरोको प्रस्ताव की सूचना यदि आपके पास हो और आप उसको कबूल करें तो ले लें और कबूल करें तो सूचना दे दें, जैसी भी स्थिति हो । लेकिन दिक्कत यह हो जा रही रही है कि अब आप ५ बजे के बाद इसको शुरू करा रहे हैं । ५ बजे के बाद शुरू कराने का नतीजा कल यह हुआ कि एक दफा ५१ की सूचना इस सदन में आये बगैर रह गयी जो एजेंडा पर थी ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको कल का टाइम दे दिया था । अगर रह गयी तो कल के लिए टाइम दे दिया था । कोई रहेगी नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर आज का काम अब निर्ला बत कर दें और इसके बाद बहस को फिर जारी कर दें, जो तरीका पहले था वही कर दें तो ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—

कोई कामरोको प्रस्ताव अगर मैं स्वीकृत करता हूं तो बहस ४ बजे बन्द हो जायगी, वह तो नियम में दिया ही हुआ है। लेकिन अगर कामरोको प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया है तो ५१ के बारे में जितनी होंगी आखिर में सूचना दे दूंगा । तब तक बहस चलती रहेगी ५ बजे तक। अब श्री नोमानी की बात सुनिये।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं कि क्या दल की तरफ से मेरा नाम आया है बोलने के लिए या नहीं ? अगर आया है तो बार बार उठक बैठक लगाने के बावजूद भी मुझे मौका नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष--

इसका कोई सवाल नहीं। जिसके ऊपर मेरी नजर पड़ी मैंने उसको बुलाया। इनका नाम आया है।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसी कि अभी मेरे भाई ने शिकायत की, मैं भी कई घंटे से उठक बैठक कर रहा हूं लेकिन अबकी आप की नजर पड़ी मेरे ऊपर।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

वह बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

क्या स्थगन प्रस्ताव आज ५ बजे लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने कल यह निर्णय किया था कि नियम ५१ के जो प्रश्न होंगे वे ५ बजे ले लिये जायेंगे और उनकी सूचना भी उसी वक्त दे देंगे हम। जहां तक कामरोको प्रस्ताव का संबंध है, अगर उसको मैंने स्वीकार किया तो ४ बजे बन्द कर दूंगा, यह सीधी सी बात है।

श्री रियासत हुसैन---

अगर आपका यह निर्णय है कि ५ बजे कामरोको प्रस्ताव लेंगे तो कार्य स्थगन हुआ कहां ?

श्री अध्यक्ष---

अगर मैंने स्वीकार किया होगा तो ४ बजे होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह सदन आप कितने बजे तक चलायेंगे, इसकी सूचना तो दें दे।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

*श्री हबीबुर्रहमान---

मोहतरिम सदर, माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी की तकरीर मैंने सुनी। उनकी तकरीर सुनने से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस प्रदेश की एक भयानक तसवीर खींची जा रही हो और हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा में नहीं बल्कि किसी और जगह बैठें हुए हों। आज प्रदेश के बारे में जो बातें कही जाती हैं वे उसी ढंग से कही जाती है। कहा जाता है कि प्रदेश में पुलिस स्टेट हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस स्टेट होने का मतलब क्या है ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग कल तक कुर्सी पर बैठे हुये थे जिनके हाथ में प्रदेश की हुकूमत थी और जो कि आज अपोजीशन बेंचों पर बैठें हुये हैं। जैसा कि इम्तियाज हुसैन साहब ने बतलाया, जायसवाल जी आप मेरी बात सुन लें। उन्होंने यह कहा है कि पिछले दिनों सन् ६९ के अन्दर मार्च-अप्रैल और मई के महीने का ही मामला है जब कि पूरे प्रदेश के अन्दर पुलिस का आतंक छाया हुआ था, चाहे मऊनाथ भंजन हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रदेश का और कोई हिस्सा हो, हर जगह पुलिस का आतंक छाया हुआ था और आप उसे पुलिस स्टेट कहने के लिये तैयार नहीं थे लेकिन आज जबकि पुलिस का आतंक खतम हो गया है। मैं यह कहने में कोई भी शर्मिन्दगी नहीं महसूस करता कि जितना पुलिस का अष्टाचार खतम होना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये था उतना नहीं हुआ जितना सुधार तीन महीने के अन्दर होना चाहिये था नहीं हुआ, लेकिन मुझे यह कहने दिया जाय कि यह प्रदेश एक और दो दिन में नहीं बिगड़ा है बल्कि यह २० वर्षों के अन्दर बिगड़ा है। आज इस प्रदेश की हैसियत ऊंट की तरह से है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। इसलिये अगर आप यह सोचते हैं कि १७ फरवरी को जो सरकार बनी वह चन्द दिनों के अन्दर ही सारे प्रदेश में इस्लाह कर देगी और हमें स्वच्छ प्रशासन दे देगी तो यह मुमकिन नहीं है। हमें यह देखना चाहिये कि एक आदमी जिसकी मंजिल कानपुर तक जाने की है और वह उस रुख जा रहा है तो चाहे वह धीमी ही चाल से क्यों न चल रहा हो, लेकिन हम समझते हैं कि वह आदमी कानपुर अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जायेगा। अगर उस आदमी का रुख उस तरफ नहीं है तो वह कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। चाहे हमारे भाई जो कुछ भी कहें, लेकिन आज यह हकीकत है कि इस प्रदेश की अखिलयत राहत की सांस ले रही हैं और आज इस प्रदेश के गरीबों में इतना साहस और हिम्मत है कि वे थानों के अन्दर जाकर अपनी बातें कह सकते हैं।

आज गरीब इस बात की हिम्मत करता है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़वाये। आज वह समझती है कि इस प्रदेश के जो मुख्य मंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह, वह ईमानदार आदमी है

(व्यवधान)

हमारे बांके लाल जी हैं और उनके सामने हमारे भाई भाभी बैठे हैं। वे इस बात को जानते हैं कि आज से २० वर्षों के अन्दर किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी को पकड़वा सकें . . .

(व्यवधान)

एक लेखपाल और कानूनगो को रंगे हाथों पकड़ा गया। आज लोग डरते हैं .....

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। यह कहा गया है कि एक लेखपाल और एक कानूनगो को रंगे हाथ पकड़ा गया .....

श्री हबीबुर्रहमान —

यह बात जरूर है कि हमारे कन्नौजिया साहब भी वहां मौजूद थे। लेकिन मैं तो यह कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, अभी वह खत्म नहीं हुआ है। यह बात सही है कि वहां के तहसीलदार ने वहां पर जमानत ली। मैं समझता हूं कि इनका इशारा इसी तरफ है। तो इसकी तरफ सरकार को तवज्जेह देना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं भी चाहता हूं। वह यह है कि नोमानी साहब शेखचिल्लियों की दुनिया में रहना कब से बन्द करेंगे?

श्री हबीबुर्रहमान—

जब आपको होश आ जायेगा तो हम भी बन्द कर देंगे। जब तक आप लोग होश में नहीं रहेंगे हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि इस सरकार के आने के बाद प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन देने की तरफ कदम बढ़ा है और यही वजह है कि ला कमीशन का तकर्रुर किया। आज जो मुकदमात दायर होते हैं, उनका फैसला उनके बेटों को और पोतों को मिलता है। आज सरकार ने जो ला कमीशन बनाया है वह इसलिये बनाया है कि हम इस प्रदेश की जनता को किसी तरह से जल्दी और सस्ता इंसाफ दे सकें और जो भ्रष्टाचार है वह खत्म कर सकें। आज प्रदेश के अन्दर ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उसको राहत नहीं मिल रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय चौधरी चरण सिंह के अलावा कोई दूसरे आदमी ऐसे हैं जो सन् १९४६ से अबतक लगातार मिनिस्टर बने रहे ?

(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान—

यह बात सही है कि वह १९४७ से लेकर थोड़े समय को छोड़ कर बराबर मंत्री रहे। इस प्रदेश के अन्दर और उनके पास बहुत से विभाग रहे हैं । लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस विभाग को उन्होंने लिया उस विभाग को उन्होंने सवांरा है। इसका सबूत यह है कि चाहे इस हाउस के अन्दर ठेकेदार चिल्लायें लेकिन जनता के हक में फैसला किया है। सन् १९६९ में चौधरी साहब ने कांग्रेस और एस०वी०डी० की गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद जब एलेक्शन होता है तो जनता की अदालत ने उनके हक में फैसला दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज भी जो सरकार बनी है उसको देखें। जो अभी चुनाव हुये हैं चाहे वह मथुरा के हों या सुलतानपुर के हों (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बजट पर बोलें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्य प्रशासन पर वाद-विवाद तो खत्म हो गया। अब यह महोदय कहां चले गये एलेक्शन में ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बजट पर बोलें।

श्री हबीबुर्रहमान—

मैं बजट पर ही बोल रहा हूं, लेकिन जब मेरे साथी छेड़ते हैं तो उनकी बातों का जवाब भी देना जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि जनता ने इस प्रदेश के प्रशासन को खुशामदीद कहा है। चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम आये (व्यवधान) दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आज चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो या दूसरा डिपार्टमेंट हो सभी जगह कर्मचारी चौकन्ना है। सभी डरते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर न आ जायं और वर्मा जी किसी जिले में पहुंच कर जनता की अदालत न कायम कर दें, (व्यवधान) अगर देहलवी साहब अपने यहां अस्पतालों का जायजा लें तो पता चलेगा कि आज वहां डाक्टर समय पर पहुंच रहे हैं (व्यवधान) अगर आप लोग उसको देखना नहीं चाहते तो बड़ी मुश्किल होगी। हमारे साथियों ने यहां पर यह कहा है कि बी०के०डी० और इन्डीकेटी एम०एल०ए० जिलों में अफसरों के ऊपर दबाव डालते हैं। (व्यवधान) अफसरों का ट्रांसफर जरूर होना चाहिये । हमने देखा कि आजमगढ़ के अन्दर मऊनाथ भंजन के अन्दर वहां के अफसरों ने और थानेदार ने किस तरह से हमारे आदमियों को सताने की कोशिश की है (व्यवधान), लिहाजा यह कहना कि इस सरकार के बन जाने की वजह से आतंक पैदा हो गया है यह बिलकुल गलत है।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

चूंकि माननीय सदस्य ने कुछ सूचना नाम लेकर जिले की दी है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनको पता नहीं है कि आजमगढ़ में डकैती और कत्ल तथा दूसरे जरायम पहले से बढ़े हैं ? यही नहीं जो विभाग चौधरी साहब के पास है उसमें ज्यादा बढोत्तरी हुई है। जब से चौधरी साहब (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें।

श्री हबीबुर्रहमान—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि करप्शन की बात है, जुर्म की बात है, पुलिस की ज्यादतियों की बात है वह १७ फरवरी के पहले जो थी वह अब नहीं रही है। पुलिस का रवैया जो था जितना जिले के अन्दर करप्शन होता था, डकैती होती थीं अब वह उस मात्रा में नही होती है जैसी की पहले थीं। यह ठीक है कि जरायम की संख्या नही बढ़ी है, अगरचे कम नहीं हुई है और आगे कम होगी इसमें भी कोई शक नहीं है। पिछले साल मऊनाथ भंजन में एक महीने के अन्दर जितने जुर्म हुये . . . . . .

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं नोमानी साहब से जानना चाहूंगा कि नकली सिक्का असली सिक्के को बाजार से थोड़े ही दिनों के लिये हटा सकता है हमेशा के लिये नहीं।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठ जायं और आपको कल बोलने का मौका मिलेगा।

श्री बांके लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं भी कई दिनों से कुछ नहीं बोला हूं और मुझको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझको बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय आचार्य जी की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी लखनऊ के एक माननीय सदस्य ने भाषण दिया जिसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि विरोधी पक्ष को अपना कर्तव्य निभाना चाहिये। मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि विरोधी पक्ष को अपना कर्तव्य निभाना चाहिये परन्तु उन बातों को सदन में नही कहना चाहिये जो कि रूलिंग के सदस्यों ने यहां पर बैठकर कहीं हैं, कह चुके हैं। आप स्वयं उसके गवाह हैं और वे चीजें हमने अभी तक नहीं कहीं हैं और इस पक्ष का कोई भी सदस्य इस तरह की बातें भविष्य में नहीं करने का इरादा रखता है। विरोधी पक्ष का कर्तव्य क्या है? मान्यवर, आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, घोड़े को भी देखा होगा। जब उस पर जीन नहीं कसी होती है तब वह बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चालें चलता है। मान्यवर, मैं कह रहा था कि जब वह जीन नहीं कसी होती है और जब कोई चाबुक सवार मजबूती के साथ उसके चूतड़ों पर चाबुक मारता है तब उस जीन रहित घोड़े की चाल भी ठीक हो जाती है। हमारे विरोधी पक्ष के जो लोग हैं वह चाबुक सवार के समान हैं और सरकार को जो घोषित नीतियां हैं उन पर चलने के लिये बाध्य करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि पुलिस और सामान्य प्रशासन पर अलग-अलग बहस होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलग- अलग होती तो सुझाव देने में सुविधा रहती और रचनात्मक सुझाव आते।

पुलिस के सम्बन्ध में मैं दो–तीन बातें कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में ८ करोड़ ९२ लाख की आबादी है और यहां पर पुलिस की तादाद ८६ हजार ८९० के करीब है। इस प्रकार प्रति

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)]

१० हजार लोगों पर ९ व्यक्ति पुलिस के हैं। जब कि पंजाब के १५, आसाम में २०, काश्मीर में २२ और नागालैन्ड में ९९ पड़ते हैं। बजट में पुलिस को ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं की गई है सिवाय इसके कि सी० आई० डी० के बारे में कुछ कहा है। तो जबकि आबादी कई गुना बढ़ गयी है तो सन् ३६, ४२ और ४६ में जो पुलिस की संख्या थाने में थी वह संख्या अब काफी नहीं है। लेकिन मुझे दुख है कि शासन के जो इतने विज्ञ लोग हैं उनसे यह बात कैसे छूट गयी।

दूसरी बात, पुलिस की जो कार्यशैली है वह इस तरह की है कि अगर सरकार को कोई शिकायत भेजी जाती है तो जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत होती है उसी अधिकारी को जांच के लिये दे दी जाती है। महीनों सरकार के पास पड़ी रहती है और फिर प्रशासन अध्यक्ष हफ्तों डाले रहते हैं। एक शिकायत २ मार्च, सन् १९७० को बरेली कैन्ट के थाने से १० मीटर दूर की है। वहां के वाइस चेयरमैन लाला रामस्वरूप के घर रात को सात बजे डकैती पड़ी। चालीस हजार का जेवर गया। रिपोर्ट लिखायी गयी। आठ बजे आदमी .. . . .

श्री अध्यक्ष—

अब पांच बजने वाला है। अगर सदन चाहे तो मैं १० मिनट का टाइम दे दूं, भाषण समाप्त कर दें।

श्री भानु प्रताप सिंह—

मैं कल बोलूंगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

कल नियम ५१ में कुछ सूचनायें थीं ध्यान आकर्षण करने की। उनमें से मैंने एक भी स्वीकार करने लायक नहीं समझी और स्वीकार नहीं की। सुखपाल पांडेय जी की, भगवत दयाल जी की, नित्यानन्द स्वामी जी की —पर्वतीय प्रदेश में यात्री बस के गिरने के सम्बन्ध में सुरेन्द्र विक्रम जी की जिला मुरादाबाद में ग्राम महमूदपुर के सरूपी नाई के घर पर डाले गये डाके के सम्बन्ध में और तिलहर के बारे में भी है। सुरेन्द्र विक्रम जी की हरिद्वार हैवी इलैक्ट्रिकल्स के बारे में है। हैवी इलैक्ट्रिकल्स के बारे में आज मैंने नियम ५१ में स्वीकार किया है, कल इसलिये नहीं किया था कि कई स्वीकार कर चुका था। वह मैंने काम रोको प्रस्ताव के रूप में नहीं स्वीकार किया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है लेकिन उसमें लेबर डिपार्टमेंट कुछ थोड़ा सा भाग ले सकता है। इसलिये मैंने उसके नियम ५१ में स्वीकार किया है और उसके ऊपर वक्तव्य २८ तारीख को होगा।

एक कार्यस्थगन प्रस्ताव माननीय कृष्णानन्दराय जी का था कि वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया और जौनपुर में वकीलों ने बहिष्कार किया है। वह प्रातःकालीन कोर्ट चाहते हैं और यह सरकार वह नहीं कर रही है। इसको भी स्वीकार कल नहीं किया था। हरिद्वार के हैवी इलेक्ट्रिकल्स में जो कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है उसको नियम ५१ में स्वीकार किया है और २८ को उस पर वक्तव्य होगा। इसके बाद आज जो स्वीकार किया है वह श्री राम गोपाल संड का है जो उन्होंने दैनिक पत्र भारत के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण पत्र का प्रकाशन गत १५ दिनों से बन्द रहने के विषय में है। यह नियम ५१ में स्वीकार किया है और १७ तारीख को इस पर वक्तव्य होगा।

कुक्कुट आहार केन्द्र, हापुड़ में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

एक और २९ तारीख के लिये स्वीकार किया है जो आशाराम जी इन्दु, लक्ष्मण स्वरूप जी तथा शेरअली जी का है जो नियम ५२ में स्वीकार किया है। कुक्कुट आहार केन्द्र, हापुड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में है। वह बहुत दिनों से गड़बड़ वहां बताते हैं। उसके लिये एक टिप्पणी उन्होंने दी है। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि उसकी चर्चा हो जाय। ये तीन स्वीकार किये गये हैं बाकी को आज स्वीकार नहीं किया है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि नियम ५१ में जितने प्रश्न माननीय सदस्य देते हैं उनकी दृष्टि में उनका महत्व होता है। उनको आप एक-एक मिनट अवश्य दे दें। मैंने जो नियम ५१ में दिया है वह ५ जिलों से सम्बन्ध रखता है। ५ जिले गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर और देवरिया में वकीलों का आन्दोलन बहिष्कार का चल रहा है कचहरियों का। वकील चाहते हैं कि १० बजे से कचहरी न चलाई जाय। यह स्थिति पैदा हो गई है कि जितने भी कोर्ट हैं वहां मुवक्किल बैठे रहते हैं दिन भर और उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। यह वह ५ जिले हैं जहां पर हमेशा से प्रातःकालीन मई और जून में अदालत चलती थी। उत्तर प्रदेश में चतुर्भुज शर्मा जी और स्वामी प्रसाद जी ने झांसी में तो इसको कर दिया है लेकिन हम चूंकि विरोधी दल में बैठते हैं इसलिये पूर्वी प्रदेश के ये ५ जिले इस सुविधा से वंचित रह गये। वहां पर ३ वर्ष से कोर्ट प्रातः काल का होता था। यह कितना बड़ा अन्याय है। कचहरियों में जनता मर रही है। वकील मर रहे हैं मुवक्किल हम लोगों से कहते हैं। इसलिये आप मुख्य मंत्री जी से कहें कि वह इसके बारे में विचार करें और इसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास करें।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि प्रातःकालीन कोर्ट कई जिलों में हुआ करती थी लेकिन हममें से बहुत से लोगों का यह एतराज इस बात का रहा कि ७ बजे से अदालत होती हैं तो उसमें मुवक्किल को बहुत असुविधा होती है। उनको एक दिन पहले आना पड़ता था और एक दिन पहले आने पर दिन भर उनको वहां रहना पड़ता था। वहां रहते थे तो दिन भर वह धूप में परेशान होते थे। उनको २ दिन बराबर वहां रहना पड़ता था। यह बहुत से लोगों को एतराज था कि इसमें बदल किया जाय। तो यह बहुत से लोगों के एतराज पर किया गया है। जब बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया और वह कहते थे कि प्रातःकालीन कोर्ट न किये जायं तो इस तरह से परिवर्तन किया गया। इस पर बहुत विरोध होता था कि मुवक्किलों को दो दिन का समय उसमें गुजारना पड़ता था।

श्री कृष्णानन्द राय—

तो फिर उन ७ जिलों में क्यों कर दिया गया है ? इन माननीय चतुर्भुज शर्मा जी ने अपने बुन्देलखण्ड के ७ जिलों में जो सुबह के कोर्ट करा दिये और हमारे पूर्व के ५ जिलों में अब भी अन्याय हो रहा है और .....

श्री राज मंगल पांडेय—

जहां विरोध नहीं था वहां सुबह के चल रहे हैं लेकिन जहां विरोध था और लोग सुबह के कोर्ट नहीं चाहते थे वहां नहीं किये गये।

श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

श्रीमान् फैजाबाद व बाराबंकी जिले की मसौधा मिल बन्द है और किसानों का गन्ना सूख रहा है आपने कहा था कि आप सूचना दे दें तो उसको स्वीकार किया जायगा, वहां के किसान मर रहे हैं वहां कितनी बार बाढ़ आ चुकी है और किसान भूख से व्याकुल है, उसका गन्ना मिलें बन्द होने से सूख रहा है और उसकी हानि हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप कल दे दें नियम ५१ में ।

श्री गिरजा शंकर—

आपने कल आश्वासन दिया था कि आज स्वीकार कर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहता हूं कि सदन का समय ५ बजे के बाद कब तक बढ़ाया गया है, एक घंटा या आधा घंटा ?

श्री अध्यक्ष—

५ के बाद यह जो प्रश्न आते हैं उनकी सूचना मैं सदन में देता हूं । अब थोड़े में आप लोग अपनी सूचनाओं के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह लें । बस इतना काम होगा ।

श्री हिम्मत सिंह—

तो छः बजे तक हो सकता है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

सूचना तो आपने दे दी, अब समाप्त कीजिये, जब लिख कर सब दिया जा चुका है तो फिर उसे कहने की क्या जरूरत है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप लोग चाहते हैं तो अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२१ मई, १९७० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७० के छठे गुरुवार के लिए निर्धारित श्री शिव प्रसाद पांडिया द्वारा पूंछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर में कही गई।

तालिका

१—श्री प्रेम चन्द्र
२—श्री काम्ता सिंह
३—श्री तौकीर
४—श्री राधे श्याम बाजपेई
५—श्री एच० एन० तिवारी
६—श्री रामा धर मिश्र
७—श्री पी० डब्लू० गोस्वामी
८—श्री एस० एन० शुक्ला
९—श्री एस० बी० लाल
१०—श्री राम नाथ
११—लक्षमन
१२—श्री निहोरे
१३—श्री महाबीर
१४—श्री भगवती
१५—श्री शिव पति
१६—श्री बरकत अली
१७—श्री हनुमान सिंह
१८—श्री माता प्रसाद
१९—श्री राम चन्द्रा
२०—श्री बाबू खां
२१—श्री जुमन
२२—श्री मोहम्मद इशाक
२३—श्री मोहम्मद जमील
२४—श्री शंकर
२५—श्री मोहम्मद इसाक
२६—श्री जमालउद्दीन
२७—श्री राम सजीवन दुबे
२८—श्री मोहम्मद अयूब
२९—श्री मुनीर अहमद
३०—श्री सदा शिव
३१—श्री रहमानुल हक
३२—श्री कबित हुसेन
३३—श्री शिव नाइक
३४—श्री बैनी प्रसाद
३५—श्री माधव बिहारी
३६—श्री राज बहादुर
३७—श्री सिराजुल हक
३८—श्री नजीर अहमद
३९—श्री मोहम्मद यूसुफ
४०—श्री बाबू हसन
४१—श्री राम सजीवन तिवारी
४२—श्री माता बक्स
४३—श्री राम
४४—श्री अब्दुल हसन
४५—श्री आशिक अली
४६—श्री तसौर खां
४७—श्री नारायण
४८—श्री गनेश दीन
४९—श्री अब्दुल जब्बार
५०—श्री कृष्णा कान्त
५१—श्री चन्द्र मोहन
५२—श्री राम मूर्ति
५३—श्री जियाउल हसन
५४—श्री राजा मोहम्मद
५५—श्री मोहम्मद हनीफ
५६—श्री राम हर्ष
५७—श्री आशिक अली
५७—श्री मोहम्मद उमर
५८—श्री आशिक अली
५९—श्री राम खिलावन
६०—श्री माधव प्रसाद
६१—श्री कृष्ण कुमार
६२—श्री नन्हू राम
६३—श्री लाल बहादुर
६४—श्री श्रीमती दिनेश कुमारी
६५—श्री राम भरोसे
६६—श्री विश्नू प्रसाद
५७—श्री बाबूलाल
६८—श्री अब्दुल शकूर
६९—श्री मती खलीफुन
७०—श्री श्याम बिहारी लाल
७१—श्री श्याम बिहारी लाल

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

सूची, उन थानाध्यक्षों एवं सब-इन्सपेक्टरों की जो कानपुर जिले में पांच वर्ष से अधिक से तैनात हैं।

१—श्री राम नगीना सिंह	..	..	थानाध्यक्ष, कल्याणपुर
२—श्री बीर सेन यादव	..	..	थानाध्यक्ष, छावनी
३—श्री राम स्वरूप निम	..	..	थानाध्यक्ष, रसूलाबाद
४—श्री सूरज सिंह सेंगर,	..	..	थानाध्यक्ष, सचेंदी
५—श्री नरोत्तम सिंह	..	..	सब-इन्सेपेक्टर नागरिक पुलिस
६—श्री वीरेन्द्र सिंह हरदोई	..	..	" "
७—श्री रघुनन्दन शर्मा	..	..	" "
८—श्री जगदीश प्रसाद शर्मा		..	" "
९—श्री शिव चरन सिंह	..	..	" "
१०—श्री एस० एन० सिंह	..	..	" "
११—श्री जगदीश प्रसाद गौतम		..	" "
१२—श्री नरेश चन्द्र यादव	..	..	" "
१३—श्री लोकेन्द्र सिंह	..	..	" "
१४—श्री गुरु दयाल	..	..	" "
१५—श्री चरन सिंह सिसोदिया		..	" "
१६—श्री सोने लाल गोयल	..	..	" "
१७—श्री निरंजन प्रसाद शर्मा	..	..	" "
१८—श्री नेत्र पाल सिंह	..	..	" "
१९—श्री कालिका सिंह	..	..	" "
२०—श्री पृथ्वीराज सिंह	..	..	" "
२१—श्री भगवान सिंह	..	..	" "
२२—श्री रघुनाथ सिंह	..	..	" "
२३—श्री मलखान सिंह (अन्डर सस्पेंशन)		..	" "
२४—श्री शिव वरन सिंह	..	..	" "
२५—श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ला		..	" "
२६—श्री उमा कान्त सिंह	..	..	" "
२७—श्री राधे श्याम सिंह	..	..	" "
२८—श्री राम अभिलाख उपाध्याय		..	" "
२९—श्री देव नाथ पाण्डेय	..	..	" "
३०—श्री राम नरेश मिश्र	..	..	" "
३१—श्री बंशराज सिंह	..	..	" "
३२—श्री प्रेम चन्द्र	..	..	" "
३३—श्री राज बली सिंह	..	..	" "
३४—श्री शिव पूजन तिवारी	..	..	" "
३५—श्री राम नौमी राम यादव		..	" "
३६—श्री शिव मूरत राय	..	..	" "
३७—श्री हनुमान सिंह	..	..	" "
३८—श्री जय शंकर सिंह	..	..	" "

नत्थियां

३९—श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय,	..	सब-इन्सपेक्टर	नागरिक पुलिस
४०—श्री गिरीश सिंह ..	..	"	"
४१—श्री लालता सिंह ..	..	"	"
४२—श्री राम सिरोमनी पाण्डेय	..	"	"
४३—श्री राम सूरत सिंह ..	..	"	"
४४—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ..	..	"	"
४५—श्री नवल किशोर सिंह ..	..	"	"

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)]

दिनांक १-१-७० से ३१-३-७० तक थाना वजीरगंज एवं थाना नवाबगंज, जिला गोंडा में हुई कत्ल, डकैती, चोरी और राहजनी की घटनाओं का विवरण ।

थाने का नाम	किस्म अपराध	अपराधों का संख्या	जिन ग्रामों में घटनाएं हुईं उनके नाम
वजीरगंज	कत्ल ..	१	ग्राम—करौंदी (१)
	डकैती	१	ग्राम—पिपरहवा टोला, देवीनगर (१)
	चोरी	६	ग्राम सोनवरखा- मझौरा सहवापुर पूरे हाथी (१) (१) (१) (१) रामापुर करौंदा करदहा वजीरगंज बाजार (१) (१) (१) (१) बेलिया (१)
	राहजनी ..	..	..
नवाबगंज	कत्ल	१	ग्राम रामापुर (१)
	डकैती	२	ग्राम तुलसीपुर माझा लौधा बीरपुर (१) (१)
	चोरी	१५	नवाबगंज दुल्लापुर परवती ताल रघुनाथपुर (७) (१) (१) (१) हौटलपुरवा बिसनोहरपुर महगपुर बोवावीरपुर (१) (१) (१) (१) खड़ोवा (१)
	राहजनी	२	ग्राम चौबेपुर उत्तरगंगा (१) (१)

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—६९ एल० ए० (हि०)—१९७०—८४५ ।